पराशर संहिता ।

मूल संस्कृत एवं भाषानुवाद सहित ।

कलकत्ता

३नं० ३९ भवानीचरण दत्त ष्ट्रीट, हिन्दीबङ्गवासी इलेक्ट्रो मेशीन प्रेसमें
श्रीनटवर चक्रवर्त्ती द्वारा मुद्रित
और प्रकाशित ।

सम्वत् १९६९ ।

मूल्य १) एक रुपया ।

पराशर संहिता।

मूल संस्कृत एवं भाषानुवाद सहित।

कलकत्ता

३८।२ भवानीचरण दत्त ष्ट्रीट, हिन्दीबङ्गवासी इलेक्ट्रो मेशीन प्रेसमें

श्रीनटवर चक्रवर्त्ती द्वारा मुद्रित

और प्रकाशित।

संवत् १९३२।

मूल्य १) एक रुपया।

पराशरसंहिता ।

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये ।
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥ १
मानुषाणां हितं धर्म्मं वर्त्तमाने कलौ युगे ।
शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत ॥ २
तच्छ्रुत्वा ऋषिवाक्यन्तु सशिष्याग्न्यर्कसन्निभः ।
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥ ३
न चाहं सर्व्वतत्त्वज्ञः कथं धर्म्मं वदाम्यहम् ।
अस्मत्पितैव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत् ॥ ४
ततस्त ऋषयः सर्व्वे धर्म्मतत्त्वार्थकाङ्क्षिणः ।
ऋषिं व्यासं पुरस्कृत्य गता वदरिकाश्रमम् ॥ ५
नानावृक्षसमाकीर्णं फलपुष्पोपशोभितम् ।
नदीप्रस्रवणाकीर्णं पुण्यतीर्थैरलङ्कृतम् ॥ ६
मृगपक्षिनिनादाढ्यं देवतायतनावृतम् ।
यक्षगन्धर्व्वसिद्धैश्च नृत्यगीतसमाकुलम् ॥ ७
तस्मिन्नृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम् ।
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम् ॥ ८
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह ।
प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुतिभिः समपूजयत् ॥ ९
अथ सन्तुष्टमनसा पराशरमहामुनिः ।
आह सुस्वागतं ब्रूहीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ॥ १०
व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः ।
कुशलं कुशलेत्युक्त्वा व्यासः पृच्छत्यतः परम् ॥ ११
यदि जानासि मे भक्तिं स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ।
धर्म्मं कथय मे तात अनुग्राह्यो ह्यहं तव ॥ १२
श्रुता मे मानवा धर्म्मा वासिष्ठाः काश्यपास्तथा ।
गार्गेया गौतमाश्चैव तथा चौशनसाः स्मृताः ॥ १३
अत्रेर्विष्णोश्च संवर्त्ता दाक्षा आङ्गिरसास्तथा ।
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यकृताश्च ये ॥ १४
कात्यायनकृताश्चैव प्राचेतसकृताश्च ये ।
आपस्तम्बकृता धर्म्माः शङ्खस्य लिखितस्य च ॥ १५
श्रुता ह्येते भवत्प्रोक्ताः श्रौतार्थास्तेन विस्मृताः ।
अस्मिन् मन्वन्तरे धर्म्माः कृतत्रेतादिके युगे ॥ १६
सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्व्वे नष्टाः कलौ युगे ।
चातुर्व्वर्ण्यसमाचारं किञ्चित् साधारणं वद ॥ १७
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः ।
धर्म्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलञ्च विस्तरात् ॥ १८
शृणु पुत्र प्रवक्ष्येऽहं शृण्वन्तु ऋषयस्तथा ।
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १९
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारा निर्णेतव्याश्च सर्व्वदा ।
न कश्चिद्वेदकर्त्ता च वेदस्मर्त्ता चतुर्म्मुखः ।
तथैव धर्म्मं स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥ २०
अन्ये कृतयुगे धर्म्मास्त्रेतायां द्वापरे परे ।
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ॥ २१
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।
द्वापरे यज्ञमित्यूचुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ २२
कृते तु मानवो धर्म्मस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः ।
द्वापरे शङ्खलिखितौ कलौ पाराशरः स्मृतः ॥ २३
त्यजेद्देशं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सृजेत् ।
द्वापरे कुलमेकन्तु कर्त्तारञ्च कलौ युगे ॥ २४
कृते सम्भाषणात् पापं त्रेतायाञ्चैव दर्शनात् ।
द्वापरे चान्नमादाय कलौ पतति कर्म्मणा ॥ २५
कृते तु तत्क्षणाच्छापस्त्रेतायां दशभिर्दिनैः ।
द्वापरे मासमात्रेण कलौ संवत्सरेण तु ॥ २६
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते ।

द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ ॥ २७
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चैव मध्यमम् ।
अधमं याचमानं स्यात् सेवादानञ्च निष्फलम् ॥ २८
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांससंस्थिताः ।
द्वापरे रुधिरं यावत् कलावन्नादिषु स्थिताः ॥ २९
धर्म्मो जितो ह्यधर्म्मेण जितः सत्योऽनृतेन च ।
जिता भृत्यैस्तु राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ॥ ३०
सीदन्ति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति ।
कुमार्य्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन् कलियुगे सदा ॥ ३१
युगे युगे च ये धर्म्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः ।
तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ ३२
युगे युगे च सामर्थ्यं शेषं मुनिविभाषितम् ।
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥ ३३ ॥
अहमद्यैव तद्धर्म्ममनुस्मृत्य ब्रवीमि वः ।
चातुर्व्वर्ण्यसमाचारं शृणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ ३४
पराशरमतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् ।
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्म्मसंस्थापनाय च ॥ ३५
चतुर्णामपि वर्णानामाधारो धर्म्मपालकः ।
आचारभ्रष्टदेहानां भवेद्धर्म्मः पराङ्मुखः ॥ ३६
षट्कर्म्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः ।
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ३७
सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्च्चनम् ।
वैश्वदेवातिथेयञ्च षट्कर्म्माणि दिने दिने ॥ ३८
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एव वा ।
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ३९
दूराध्वानं पथिश्रान्तं वैश्वदेवे उपस्थितम् ।
अतिथिं तं विजानीयान्नातिथिः पूर्व्वमागतः ॥ ४०
न पृच्छेद्गोत्रचरणं न स्वाध्यायव्रतानि च ।
हृदयं कल्पयेत् तस्मिन् सर्व्वदेवमयो हि सः ॥ ४१
नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा ।
अनित्यं ह्यागतो यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२
अपूर्व्वः सुव्रती विप्रो ह्यपूर्व्वो वातिथिस्तथा ।
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्व्वा दिने दिने ॥ ४३
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्ते भिक्षुके गृहमागते ।
उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्ज्जयेत् ॥ ४४

यती च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ ।
तयोरन्नमदत्त्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ४५
यतिहस्ते जलं दद्याद्भैक्षं दद्यात् पुनर्जलम् ।
तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ ४६
वैश्वदेवकृतान् दोषाञ्छक्तो भिक्षुर्व्यपोहितुम् ।
न हि भिक्षुकृतान् दोषान् वैश्वदेवो व्यपोहति ॥ ४७
अकृत्वा वैश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः ।
सर्व्वे ते निष्फला ज्ञेयाः पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ४८
शिरोवेष्टन्तु यो भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।
वामपादे करं न्यस्य तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ ४९
यतये काञ्चनं दत्त्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे ।
चौरेभ्योऽप्यभयं दत्त्वा दातापि नरकं व्रजेत् ॥ ५०
पापो वा यदि चाण्डालो विप्रघ्नः पितृघातकः ।
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ५१
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्त्तते ।
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षशतानि च ॥ ५२
न प्रसन्न्यातिगो विप्रो ह्यतिथिं वेदपारगम् ।
अदत्त्वान्नमात्रन्तु भुक्त्वा भुङ्क्ते तु किल्बिषम् ॥ ५३
ब्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम् ।
वापयेत् सर्व्वबीजानि सा कृषिः सर्व्वकामिका ॥ ५४
सुक्षेत्रे वापयेद्बीजं सुपुत्रे दापयेद्धनम् ।
सुक्षेत्रे च सुपुत्रे च यत् क्षिप्तं नैव नश्यति ॥ ५५
अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः ।
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥ ५६
क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणिः प्रचण्डवत् ।
विजित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्म्मेण पालयेत् ॥ ५७
न श्रीः कुलक्रमायाता स्वरूपाल्लिखितापि या ।
खड्गेनाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥ ५८
पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेदं न कारयेत् ।
मालाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ॥ ५९
लोहकर्म्म तथा रत्नं गवाञ्च प्रतिपालनम् ।
वाणिज्यं कृषिकर्म्माणि वैश्यवृत्तिरुदाहृता ॥ ६०
शूद्राणां द्विजशुश्रूषा परो धर्म्मः प्रकीर्त्तितः ।
अन्यथा कुरुते किञ्चित् तद्भवेत् तस्य निष्फलम् ॥ ६१
लवणं मधु तैलञ्च दधि तक्रं घृतं पयः ।

न दुग्धेच्छूद्रजातीनां कुर्य्यात् सर्व्वस्य विक्रयम् ॥ ६२
अविक्रेयं मद्यमांसमभक्ष्यस्य च भक्षणम् ।
अगम्यागमनञ्चैव शूद्रोऽपि नरकं व्रजेत् ॥ ६३
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ।
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरकं ध्रुवम् ॥ ६४

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

अतःपरं गृहस्थस्य धर्म्माचारं कलौ युगे ।
धर्म्मं साधारणं शक्यं चातुर्व्वर्ण्याश्रमागतम् ॥ १
सम्प्रवक्ष्याम्यहं भूयः पाराशर्य्यप्रचोदितः ॥
षट्कर्म्मनिरतो विप्रः कृषिकर्म्माणि कारयेत् ॥ १
हलमष्टगवं धर्म्म्यं षड्गवं मध्यमं स्मृतम् ।
चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम् ॥ ३
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवर्द्दं न योजयेत् ।
हीनाङ्गं व्याधितं क्लीवं वृषं विप्रो न वाहयेत् ॥ ४
स्थूलाङ्गं नीरुजं दृप्तं वृषभं षण्डवर्ज्जितम् ।
वाहयेद्दिवसस्यार्द्धं पश्चात् स्नानं समाचरेत् ॥ ५
जप्यं देवार्च्चनं होमं स्वाध्यायञ्चैवमभ्यसेत् ।
एकद्वित्रिचतुर्विप्रान् भोजयेत् स्नातकान् द्विजः ॥ ६
स्वयंकृष्टे तथा क्षेत्रे धान्यैश्च स्वयमर्ज्जितैः ।
निर्व्वपेत् पञ्चयज्ञानि क्रतुदीक्षाञ्च कारयेत् ॥ ७
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतः समाः ।
विप्रस्यैवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ८
संवत्सरेण यत् पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात् ।
अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली ॥ ९
पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा ।
अदाता कर्षकश्चैव पञ्चैते समभागिनः ॥ १०
कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भोऽथ मार्ज्जनी ।
पञ्च सूना गृहस्थस्य अहन्यहनि वर्त्तते ॥ ११
वृक्षांश्छित्त्वा महीं भित्त्वा हत्वा तु कृमिकीटकान् ।
कर्षकः खलु यज्ञेन सर्व्वपापात् प्रमुच्यते ॥ १२
यो न दद्याद्द्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ।
स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिर्द्दिशेत् ॥ १३
राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानाञ्चैकविंशकम् ।
विप्राणां त्रिंशकं भागं कृषिकर्त्ता न लिप्यते ॥ १४
क्षत्रियोऽपि कृषिं कृत्वा द्विजान् देवांश्च पूजयेत् ।
वैश्यः शूद्रः सदा कुर्य्यात् कृषिवाणिज्यशिल्पकान् ॥ १५
विकर्म्म कुर्व्वते शूद्रा द्विजसेवाविवर्ज्जिताः ।
भवन्त्यल्पायुषस्ते वै पतन्ति नरकेषु च ।
चतुर्णामपि वर्णानामेष धर्म्मः सनातनः ॥ १६

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अतः शुद्धिं प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा ।
दिनत्रयेण शुध्यन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥ १
क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहकैः ।
शूद्रः शुध्यति मासेन पराशरवचो यथा ॥ २
उपासने तु विप्राणामङ्गशुद्धिस्तु जायते ।
ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देहस्पर्शो विधीयते ॥ ३
जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥ ४
एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः ।
त्र्यहात् केवलवेदस्तु द्विहीनो दशभिर्द्दिनैः ॥ ५
जन्मकर्म्मपरिभ्रष्टः सन्ध्योपासनवर्ज्जितः ।
नामधारकविप्रस्य दशाहं सूतकं भवेत् ॥ ६
एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः ।
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत् तेषाञ्च सूतकम् ॥ ७
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ।
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्त्तते ॥ ८
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु ।
दायाद्विच्छेदमाप्नोति पञ्चमो वात्मवंशजः ॥ ९
चतुर्थे दशरात्रं स्यात् षण्णिशा पुंसि पञ्चमे ।
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम् ॥ १०
पञ्चभिः पुरुषैर्युक्ता अशाद्धेयाः सगोत्रिणः ।
ततः षट्पुरुषाद्याश्च श्राद्धे भोज्याः सगोत्रिणः ॥ ११
भृग्वग्निमरणे चैव देशान्तरमृते तथा ।
बाले प्रेते च सन्न्यासे सद्यः शौचं विधीयते ॥ १२

दशरात्रे व्यतीतेऽपि त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।
ततः संवत्सरादूर्द्ध्वं सचैलं जलमाचरेत् ॥ १३
देशान्तरगतः कश्चित् सगोत्रः श्रूयते यदि ।
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥ १४
आ त्रिपक्षात् त्रिरात्रं स्यात् षण्मासाच्च पक्षिणी ।
अहः संवत्सरादर्व्वाक् सद्यःशौचं विधीयते ॥ १५
अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाद्विनिःसृताः ।
न तेषामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥ १६
यदि गर्भो विपद्येत स्रवते वापि योषिताम् ।
यावन्मासं स्थितो गर्भो दिनं तावत् न सूतकः ॥ १७
आ चतुर्थाद्भवेत् स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः ।
अत ऊर्द्ध्वं प्रसूतिः स्याद्दशाहं सूतकं भवेत् ॥ १८
प्रसूतिकाले सम्प्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम् ।
जीवापत्ये तु गोत्रस्य मृते मातुश्च सूतकः ॥ १९
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके ।
पूर्व्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः ॥ २०
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूड़े च संस्थिते ।
अग्निसंस्करणं तेषां त्रिरात्रं सूतकं भवेत् ॥ २१
आ दन्तजननात् सद्य आ चुड़ान्नैशिकी स्मृता ।
त्रिरात्रमा व्रतात् तेषां दशरात्रमतःपरम् ॥ २२
गर्भे यदि विपत्तिः स्याद्दशाहं सूतकं भवेत् ।
जीवन् जातो यदि प्रेतः सद्य एव विशुध्यति ॥ २३
स्त्रीणां चूड़ान्न आदानात् संक्रमात् तदधःक्रमात् ।
सद्यः शौचमथैकाहं त्र्यहः पितृबन्धुषु ॥ २४
ब्रह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशने ।
सम्पर्कं न च कुर्व्वन्ति न तेषां सूतकं भवेत् ॥ २५
सम्पर्काद्दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे ।
सम्पर्केषु निवृत्तस्य न प्रेतं नैव सूतकम् ॥ २६
शिल्पिनः कारुका वैद्या दासीदासाश्च नापिताः ।
श्रोत्रियाश्चैव राजानः सद्यःशौचाः प्रकीर्त्तिताः ॥ २७
सव्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः ।
राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ २८
उद्यतो निधने दाने आर्त्तो विप्रो निमन्त्रितः ।
तदैव ऋषिभिर्दृष्टं यथाकालेन शुध्यति ॥ २९
प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्य्यात् सङ्करं यदि ।
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥ ३
सर्व्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोर्दशाहिकम् ।
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ३१
यदि पत्न्यां प्रसूतायां सम्पर्कं कुरुते द्विजः ।
सूतकन्तु भवेत् तस्य यदि विप्रः षड़ङ्गवित् ॥ ३२
सम्पर्काज्जायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे ।
तस्मात् सर्व्वप्रयत्नेन सम्पर्कं वर्ज्जयेद्द्विजः ॥ ३३
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतसूतके ।
पूर्व्वसङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ ३४
अन्तरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी ।
तावत् स्यादशुचिर्व्विप्रो यावत् तत् स्यादनिर्दशम् ॥
ब्राह्मणार्थे विपन्नानां वन्दिगोग्रहणे तथा ।
आहवेषु विपन्नानामेकरात्रन्तु सूतकम् ॥ ३६
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य्यमण्डलभेदकौ ।
परिव्राड़्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः ॥ ३७
यत्र यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः ।
अक्षयान् लभते लोकान् यदि क्लीवं न भाषते ॥ ३
जितेन लभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाः ।
क्षणविध्वंसिके कायेऽस्मिन् का चिन्ता मरणे रणे ॥ ३
यस्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः ।
परित्राता यदागच्छेत् स च क्रतुफलं लभेत् ॥ ४०
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरशक्त्यृष्टिमुद्गरैः ।
देवकन्यास्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥ ४१
वराङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतम् ।
नागकन्याश्च धावन्ति मम भर्त्ता भवेदिति ॥ ४२

ललाटदेशाद्रुधिरं हि यस्य
तथास्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्त्रे ।
तं सोमपाने न हि तस्य तुल्यं
संग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम् ॥ ४३
यं यज्ञसङ्घैस्तपसा च विद्यया
स्वर्गैषिणो यात्र यथैव विप्राः ।
तथैव यान्त्येव हि तत्र वीराः
प्राणान् सुयुद्धेन परित्यजन्तः ॥ ४४ ॥

अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः ।
पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्व्याल्लभन्ति ते ॥ ६५

असगोत्रमबन्धुञ्च प्रेतीभूतञ्च ब्राह्मणम् ।
नीत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ॥ ४६
न तेषामशुभं किञ्चिद्विजानां शुभकर्म्मणि ।
जलावगाहनात् तेषां शुद्धिः स्मृतिरितीरिता ॥ ४७
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ।
स्नात्वा चैव तु स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ ४८
क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्ब्राह्मणो योऽनुगच्छति ।
एकाहमशुचिर्भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ४९
शवञ्च वैश्यमज्ञानाद्ब्राह्मणो योऽनुगच्छति ।
कृत्वाशौचं त्रिरात्रञ्च प्राणायामान् षडाचरेत् ॥ ५०
प्रेतीभूतन्तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ।
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ ५१
त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम् ।
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ ५२
विनिर्वर्त्य यदा शूद्रा उदकान्तमुपस्थिताः ।
द्विजैस्तदानुगन्तव्या इति धर्म्मविदो विदुः ॥ ५३
तस्माद्द्विजो मृतं शूद्रं न स्पृशेन्न च दाहयेत् ।
दृष्टे सूर्य्यावलोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥ ५४

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

—

चतुर्थोऽध्यायः ।

अतिमानादतिक्रोधात् स्नेहाद्वा यदि वा भयात् ।
उद्बध्नीयात् स्त्री पुमान् वा गतिरेषा विधीयते ॥ १
पूयशोणितसम्पूर्णे अन्धे तमसि मज्जति ।
षष्टिं वर्षसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २
नाशौचं नोदकं नाग्निं नाश्रुपातञ्च कारयेत् ।
वोढ़ारोऽग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३
तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ।
गोभिर्हतं तथोद्बद्धं ब्राह्मणेन तु घातितम् ॥ ४
संस्पृशन्ति च ये विप्रा वोढ़ारश्चाग्निदाश्च ये ।
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छेदकराश्च ये ॥ ५
तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्ति कुर्य्युर्ब्राह्मणभोजनम् ।
अनडुत्सहितां गाञ्च दद्युर्विप्राय दक्षिणाम् ॥ ६
त्र्यहमुष्णं पिबेदापस्त्र्यहमुष्णं पयः पिबेत् ।
त्र्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम् ॥ ७
यो वै समाचरेद्विप्रः पतितादिष्वकामतः ॥ ८
मासार्द्धं मासमेकं वा मासद्वयमथापि वा ।
अब्दार्द्धमब्दमेकं वा तदूर्द्धञ्चैव तत्समः ॥ ९
त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्रमाचरेत् ।
तृतीये चैव पक्षे तु कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥ १०
चतुर्थे दशरात्रं स्यात् पराकः पञ्चमे मतः ।
कुर्य्याच्चान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वैन्दवद्वयम् ॥ ११
शुद्ध्यर्थमष्टमे चैव षण्मासात् कृच्छ्रमाचरेत् ।
पक्षसङ्ख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥ १२
ऋतुस्नाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसर्पति ।
सा मृता नरकं याति विधवा च पुनःपुनः ॥ १३
ऋतौ स्नातान्तु यो भार्य्यां सन्निधौ नोपगच्छति ।
घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १४
अदुष्टापतितां भार्य्यां यौवने यः परित्यजेत् ।
सप्तजन्म भवेत् स्त्रीत्वं वैधव्यञ्च पुनःपुनः ॥ १५
दरिद्रं व्याधितं मूर्खं भर्त्तारं या न मन्यते ।
सा मृता जायते व्याली वैधव्यञ्च पुनःपुनः ॥ १६
ओघवाताहृतं वीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति ।
क्षेत्री तल्लभते वीजं न वीजी भागमर्हति ॥ १७
तद्वत् परस्त्रियाः पुत्रौ द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ ।
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्त्तरि गोलकः ॥ १८
औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ।
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥ १९
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते ।
सर्व्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ २०
दाराग्निहोत्रसंयोगं यः कुर्य्यादग्रजे सति ।
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्व्वजः ॥ २१
द्वौ कृच्छ्रौ परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छ्र एव च ।
कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ दातुश्च होता चान्द्रायणं चरेत् ॥ २२
कुब्जवामनषण्ढेषु गद्गदेषु जड़ेषु च ।
जातान्धे वधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ २३
पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तथा ।
दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २४
ज्येष्ठो भ्राता यदि तिष्ठेदाधानं नैव चिन्तयेत् ।

पञ्चात्मन् पुत्रांश्च प्रजन्त पचनं यथा ॥ २५
नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ २६
मृते भर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्य्ये व्यवस्थिता ।
सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ २७
तिस्रः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि रोमाणि मानवे ।
तावत्कालं वसेत् स्वर्गं भर्त्तारं यानुगच्छति ॥ २८
व्यालग्राही यथा व्यालं बिलादुद्धरते बलात् ।
एवमुद्धृत्य भर्त्तारं तेनैव सह मोदते ॥ २९

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

वृककाश्वशृगालाद्यैर्यदि दष्टस्तु ब्राह्मणः ।
स्नात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम् ॥ १
गवां शृङ्गोदके स्नातो महानद्यास्तु सङ्गमे ।
समुद्रदर्शनाद्वापि शुना दष्टः शुचिर्भवेत् ॥ २
वेदविद्याव्रतस्नातः शुना दष्टस्तु ब्राह्मणः ।
स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ ३
सव्रतस्तु शुना दष्टस्त्रिरात्रं समुपोषितः ।
घृतं कुशोदकं पीत्वा व्रतशेषं समापयेत् ॥ ४
अव्रतः सव्रतो वापि शुना दष्टो भवेद्द्विजः ।
प्रणिपत्य भवेत् पूतो विप्रैश्चक्षुर्निरीक्षितः ॥ ५
शुनाघ्रातावलीढस्य नखैर्विलिखितस्य च ।
अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम् ॥ ६
शुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा ।
उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः शुचिर्भवेत् ॥ ७
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन ।
यां दिशं व्रजते सोमस्तां दिशञ्चावलोकयेत् ॥ ८
असद्ब्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टस्तु ब्राह्मणः ।
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नानाद्विशुध्यति ॥ ९
चण्डालेन श्वपाकेन गोभिर्विप्रैर्हतो यदि ।
आहिताग्निर्मृतो विप्रो विषेणात्महतो यदि ॥ १०
दहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवर्जितम् ।
स्पृष्ट्वा वोढ्वा च दग्ध्वा च सपिण्डेषु च सर्व्वथा ॥ ११
प्राजापत्यं चरेत् पश्चाद्विप्राणामनुशासनात् ।
दग्धास्थीनि पुनर्गृह्य क्षीरैः प्रक्षालयेद्द्विजः ॥ १२
पुनर्दहेत् स्वकाग्नौ तन्मन्त्रेण च पृथक् पृथक् ।
आहिताग्निर्द्विजः कश्चित् प्रवसन् कालचोदितः ॥ १३
देहनाशमनुप्राप्तस्तस्याग्निर्वसते गृहे ।
प्रेताग्निहोत्रसंस्कारः श्रूयतामृषिसत्तमाः ॥ १४
कृष्णाजिनं समास्तीर्य्य कुशैश्च पुरुषाकृतिम् ।
षट्शतानि शतञ्चैव पलाशानाञ्च वृन्तकम् ॥ १५
चत्वारिंशच्छिरे दद्यात् त्रिंशत् कण्ठे विनिर्द्दिशेत् ।
बाहुभ्याञ्च शतं दद्यादङ्गुलीषु दशैव तु ॥ १६
शतञ्चोरसि सन्दद्यात् त्रिंशच्चैवोदरे न्यसेत् ।
अष्टौ वृषणयोर्दद्यात् पञ्च मेढ्रे च विन्यसेत् ॥ १७
एकविंशतिमूरुभ्यां जानुजङ्घे च विंशतिम् ।
पादाङ्गुल्योः शतार्द्धञ्च पलाशं च तथा न्यसेत् ॥ १८
शम्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अरणीं वृषणे तथा ।
जुहूं दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपभृत् ॥ १९
कर्णे चोदूखलं दद्यात् पृष्ठे च मुषलं ततः ।
शिरस्योरसि दृषदं तण्डुलाज्यतिलान् मुखे ॥ २०
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीञ्च चक्षुषोः ।
कर्णे नेत्रे मुखे घ्राणे हिरण्यशकलं क्षिपेत् ॥ २१
अग्निहोत्रोपकरणं गात्रे शेषं प्रविन्यसेत् ।
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति च घृताहुतीः ॥ २२
दद्यात् पुत्रोऽथवा भ्राता अन्यो वापि स्वधर्म्मिणः ।
यथा दहनसंस्कारस्तथा कार्य्यं विचक्षणैः ॥ २३
ईदृशन्तु विधिं कुर्य्याद्ब्रह्मलोके गतिर्ध्रुवम् ।
ये दहन्ति द्विजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम् ॥ २४
अन्यथा कुर्वते किञ्चिदात्मबुद्धिप्रचोदिताः ।
भवन्त्यल्पायुषस्ते वै पतन्ति नरके ध्रुवम् ॥ २५

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः।

अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम्।
पराशरेण पूर्व्वोक्तां मन्वर्थेऽपि च विस्तृताम्॥ १
हंससारसक्रौञ्चांश्च चक्रवाकं सकुक्कुटम्।
जालपादांश्च शरभमहोरात्रेण शुध्यति॥ २
बलाकाटिट्टिभानाञ्च शुकपारावतादिनाम्।
आटिनाञ्च बकानाञ्च शुध्यते नक्तभोजनात्॥ ३
भासकाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः।
अन्तर्जले उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुध्यति॥ ४
गृध्रश्येनशिखिग्राह-चाषोलूकनिपातने।
अपक्काशी दिनं तिष्ठेत् त्रिकालं मारुताशनः॥ ५
वल्गुणीचटकानाञ्च कोकिलाखञ्जरीटकान्।
लावकान् रक्तपादांश्च शुध्यन्ते नक्तभोजनात्॥ ६
कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाकुररस्य च।
भारद्वाजनिहन्ता च शुध्यते शिवपूजनात्॥ ७
भेरुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञ्जलान्।
पक्षिणामेव सर्व्वेषामहोरात्रेण शुध्यति॥ ८
हत्वा नकुलमार्ज्जारसर्पाजगरडुण्डुभान्।
कृशरं भोजयेद्विप्रान् लौहदण्डञ्च दक्षिणाम्॥ ९
शल्लकीशशकागोधामत्स्यकूर्म्माभिपातने।
वृन्ताकफलभोक्ता च ह्यहोरात्रेण शुध्यति॥ १०
वृकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षूणाञ्च घातने।
तिलप्रस्थं द्विजे दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम्॥ ११
गजगवयतुरङ्गाणां महिषोष्ट्रनिपातने।
शुध्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च॥ १२
मृगं खरं वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्।
अफालकृष्टमश्नीयादहोरात्रेण शुध्यति॥ १३
एवं चतुष्पदानाञ्च सर्व्वेषां वनचारिणाम्।
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन् वै जातवेदसम्॥ १४
शिल्पिनं कारुकं शूद्रं स्त्रियं वा यस्तु घातयेत्।
प्राजापत्यद्वयं कुर्य्याद् वृषैकादश दक्षिणा॥ १५
वैश्यं वा क्षत्रियं वापि निर्द्दोषमभिघातयेत्।
सोऽतिकृच्छ्रद्वयं कुर्य्याद्गोविंशद्दक्षिणां ददेत्॥ १६
वैश्यं शूद्रं क्रियासक्तं विकर्म्मस्थं द्विजोत्तमम्।
हत्वा चान्द्रायणं कुर्य्याद्दद्याद्गोत्रिंशद्दक्षिणाम्॥ १७
क्षत्रियेणापि वैश्येन शूद्रेणैवेतरेण वा।
चण्डालवधसम्प्राप्तः कृच्छ्रार्द्धेन विशुध्यति॥ १८
चौरः श्वपाकचाण्डाला विप्रेणापि हता यदि।
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन शुध्यति॥ १९
श्वपाकं वापि चाण्डालं विप्रः सम्भाषते यदि।
द्विजसम्भषणं कुर्य्याद्गायत्रीं वा सकृज्जपेत्॥ २०
चाण्डालैः सह सुप्तन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत्।
चाण्डालैकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः॥ २१
चाण्डालदर्शनेनैव आदित्यमवलोकयेत्।
चाण्डालस्पर्शने चैव सचैलं स्नानमाचरेत्॥ २२
चाण्डालखातवापीषु पीत्वा सलिलमग्रजः।
अज्ञानाच्चैव नक्तेन त्वहोरात्रेण शुध्यति॥ २३
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा कूपगतं जलम्।
गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्राच्छुद्धिमाप्नुयात्॥ २४
चाण्डालोदकभाण्डे तु अज्ञानात् पिबते जलम्।
तत्क्षणात् क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत् २५
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्य्यति।
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत्॥ २६
चरेत् सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु क्षत्रियः।
तदर्द्धन्तु चरेद्वैश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्॥ २७
भाण्डस्थमन्त्यजानान्तु जलं दधि पयः पिबेत्।
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चैव प्रमादतः॥ २८
ब्रह्मकूर्च्चोपवासेन द्विजातीनान्तु निष्कृतिः।
शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः॥ २९
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्ते चाण्डालान्नं कदाचन।
गोमूत्रयावकाहाराद्दशरात्रेण शुध्यति॥ ३०
एकैकं ग्रासमश्नीयाद्गोमूत्रयावकस्य च।
दशाहं नियमस्थस्य व्रतं तत्र विनिर्द्दिशेत्॥ ३१
अविज्ञातस्तु चाण्डालः सन्तिष्ठेत् तस्य वेश्मनि।
विज्ञाते तूपसन्नस्य द्विजाः कुर्व्वन्त्यनुग्रहम्॥ ३२
ऋषिवक्त्राच्च्युता धर्म्मा स्नायन्ति वेदपावनाः।
पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्म्मज्ञं पापसङ्कटात्॥ ३३
दध्ना च सर्पिषा चैव क्षीरगोमूत्रयावकम्।
भुञ्जीत सह सर्व्वैश्च त्रिसन्ध्यमवगाहनम्॥ ३४

त्र्यहं भुञ्जीत दध्ना च त्र्यहं भुञ्जीत सर्पिषा ।
त्र्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एकैकेन दिनत्रयम् ॥ ३५
भावदुष्टं न भुञ्जीयान्नोच्छिष्टं कृमिदूषितम् ।
त्रिपलं दधिदुग्धस्य पलमेकन्तु सर्पिषः ॥ ३६
भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्ताम्रकांस्ययोः ।
जलशौचेन वस्त्राणां परित्यागेन मृन्मयम् ॥ ३७
कुसुम्भगुड़कार्पास-लवणं तैलसर्पिषी ।
द्वारे कृत्वा तु धान्यानि गृहे दद्याद्धुताशनम् ॥ ३८
एवं शुद्धस्ततः पश्चात् कुर्य्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।
त्रिंशतं गा वृषञ्चैकं दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ ३९
पुनर्लेपनखातेन होमजप्येन शुध्यति ।
आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४०
रजकी चर्म्मकारी च लुब्धकस्य च पुक्कसी ।
चातुर्वर्ण्यं गृहे यस्य ह्यज्ञानादधितिष्ठति ॥ ४१
ज्ञात्वा तु निष्कृतिं कुर्य्यात् पूर्व्वोक्तस्यार्द्धमेव च ।
गृहदाहं न कुर्व्वीताप्यन्यत् सर्व्वञ्च कारयेत् ॥ ४२
गृहस्याभ्यन्तरे गच्छेच्चाण्डालो यस्य कस्यचित् ।
तस्माद्गृहाद्विनिःसृत्य गृहभाण्डानि वर्ज्जयेत् ॥४३
रसपूर्णन्तु यद्भाण्डं न त्यजेच्च कदाचन ।
गोरसेन तु सम्मिश्रैर्जलैः प्रोक्षेत् समन्ततः ॥ ४४
ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे ।
कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ४५
गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सर्पिषा ।
त्र्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदुष्टः शुचिर्भवेत् ॥४६
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पञ्च माषान् प्रदापयेत् ।
गोदक्षिणान्तु वैश्यस्याप्युपवासं विनिर्द्दिशेत् ॥ ४७
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति ।
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ४८
अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ।
प्रणम्य शिरसा धार्य्यमग्निष्टोमफलं हि तत् ॥ ४९
व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्षे डामरे तथा ।
उपवासो व्रतो होमो द्विजसम्पादितानि वा ॥ ५०
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्वयं कुर्व्वन्त्यनुग्रहम् ।
सर्व्वधर्म्ममवाप्नोति द्विजैः संवर्द्धितोऽपि वा ॥ ५१
दुर्व्वलेऽनुग्रहः कार्य्यस्तथा वै बालवृद्धयोः ।
अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ॥ ५२
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा ।
कुर्व्वन्त्यनुग्रहं ये वै तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ५३
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियमन्तु ये ।
महत्कार्य्योपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ॥ ५४
स्वस्थस्य मूढ़ाः कुर्व्वन्ति नियमन्तु वदन्ति ये ।
ते तस्य विघ्नकर्त्तारः पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ५५
स एव नियमस्त्याज्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते ।
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुण्येन युज्यते ॥ ५६
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं कोऽपि वदेद्द्विजः ।
कुर्य्याद्वाक्यं द्विजानाञ्च अकुर्व्वन् ब्रह्महा भवेत् ॥५७
उपवासो व्रतञ्चैव स्नानं तीर्थं जपस्तपः ।
विप्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेत् ॥ ५८
व्रतच्छिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्म्मणि ।
सर्व्वं भवति निश्छिद्रं ब्राह्मणैरुपपादितम् ॥ ५९
ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निर्ज्जनं सर्व्वकामदम् ।
तेषां वाक्योदकेनैव शुध्यन्ति मलिना जनाः ॥ ६०
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः ।
सर्व्वदेवमया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥ ६१
अन्नाद्ये कीटसंयुक्ते मक्षिकाकीटदूषिते ।
अन्तरा संस्पृशेच्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत् ॥ ६२
भुञ्जानो हि यदा विप्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत् ।
उच्छिष्टं हि स वै भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते मुक्तभाजने ॥६३
पादुकास्थो न भुञ्जीत पर्य्यङ्के संस्थितोऽपि वा ।
शुना चाण्डालदृष्टो वा भोजनं परिवर्ज्जयेत् ॥ ६४
पक्वान्नञ्च निषिद्धं यदन्नशुद्धिं तथैव च ।
यथा पराशरेणोक्तं तथैवाहं वदामि वः ॥ ३५
मितं द्रोणाढ़कस्यान्नं काकश्वानोपघातितम् ।
केनैतच्छुध्यते चान्नं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ॥ ६६
काकश्वानावलीढ़न्तु द्रोणान्नं न परित्यजेत् ।
वेदवेदाङ्गविद्विप्रैर्धर्म्मशास्त्रानुपालकैः ॥ ६७
प्रस्थो द्वात्रिंशतिद्रोणः स्मृतो द्विप्रस्थ आढ़कः ।
ततो द्रोणाढ़कस्यान्नं श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ॥ ६८
काकश्वानावलीढ़न्तु गवाघ्रातं खरेण वा ।
स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्रोणाढ़के भवेत् ॥ ६९

अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यच्च नोपहतं भवेत् ।
सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताशेनैव तापयेत् ॥ ७०
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च ।
विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात् ॥ ७१

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यसंशुद्धिः पराशरवचो यथा ।
दारवाणां तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १
मार्ज्जनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्म्मणि ।
चमसानां ग्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ २
चरूणां स्रुक्स्रुवाणाञ्च शुद्धिरुष्णेन वारिणा ।
भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥ ३
रजसा शुध्यते नारी विकलं या न गच्छति ।
नदी वेगेन शुध्येत लेपो यदि न दृश्यते ॥ ४
वापीकूपतडागेषु दूषितेषु कथञ्चन ।
उद्धृत्य वै घटशतं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ५
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।
दशवर्षा भवेत् कन्या अत ऊर्द्ध्वं रजस्वला ॥ ६
प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ।
मासि मासि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरः स्वयम् ॥ ७
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ ८
यस्तां समुद्वहेत् कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः ।
असम्भाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥ ९
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः ।
स भैक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्विशुध्यति ॥ १०
अस्तं गते यदा सूर्य्ये चाण्डालं पतितं स्त्रियम् ।
सूतिकां स्पृशतश्चैव कथं शुद्धिर्विधीयते ॥ ११
जातवेदं सुवर्णञ्च सोममार्गं विलोक्य च ।
ब्राह्मणानुगतश्चैव स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥ १२
स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा ।
तावत् तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ १३
स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा ।
अर्द्धकृच्छ्रं चरेत् पूर्व्वा पादमेकमनन्तरा ॥ १४
स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजा तथा ।
पादोनञ्चैव पूर्व्वायाः परायाः कृच्छ्रपादकम् ॥ १५
स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा ।
कृच्छ्रेण शुध्यते पूर्व्वा शूद्रा दानेन शुध्यति ॥ १६
स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुध्यति ।
कुर्य्याद्रजोनिवृत्तौ तु दैवपित्रादिकर्म्म च ॥ १७
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहन्तु प्रवर्त्तते ।
नाशुचिः सा ततस्तेन तत् स्याद्वैकालिकं मलम् ॥ १८
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ।
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ॥ १९
आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः ।
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्येत् स आतुरः ॥ २०
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः ।
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ २१
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्शे स्नानं विधीयते ।
उच्छिष्टेन च संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ २२
भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते ।
सुरामात्रेण संस्पृष्टं शुध्यतेऽग्न्युपलेपनैः ॥ २३
गवाघ्रातानि कांस्यानि श्वकाकोपहतानि च ।
शुध्यन्ति दशभिः क्षारैः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥ २४
गण्डूषं पादशौचञ्च कृत्वा वै कांस्यभाजने ।
षण्मासान् भुवि निक्षिप्य उद्धृत्य पुनराहरेत् ॥ २५
आयसेष्वायसानाञ्च सीसस्याग्नौ विशोधनम् ।
दन्तमस्थि तथा शृङ्गं रौप्यं सौवर्णभाजनम् ॥ २६
मणिपाषाणकांस्यञ्च एतान् प्रक्षालयेज्जलैः ।
पाषाणे तु पुनर्घृष्टिरेषा शुद्धिरुदाहृता ॥ २७
मृद्भाण्डदहनाच्छुद्धिर्धान्यानां मार्ज्जनादपि ॥ २८
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् ।
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ २९
वेणुवल्कलचीराणां क्षौमकार्पासवाससाम् ।
और्णानां नेत्रपट्टानां जलाच्छौचं विधीयते ॥ ३०
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्बराणि च ।
शोषयित्वार्कतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिर्भवेत् ॥ ३१
मुञ्जोपस्करशूर्पाणां शणस्य फलचर्म्मणाम् ।

तृणकाष्ठादिरज्जूनामुदकप्रोक्षणं मतम् ॥ ३२
मार्ज्जारमक्षिकाकीट-पतङ्गकृमिदर्दुराः ।
मेध्यामेध्यं स्पृशन्त्येव नोच्छिष्टान् मनुरब्रवीत् ॥ ३३
भूमिं स्पृष्टगतं तोयं वाचाप्यन्योन्यविप्रुषः ।
भुक्तोच्छिष्टं तथा स्नेहं नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ ३४
ताम्बूलेक्षुफले चैव भुक्तस्नेहानुलेपने ।
मधुपर्के च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ ३५
रथ्याकर्द्दमतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च ।
मरुतार्केण शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ ३६
अदुष्टाः सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः ।
स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥ ३७
क्षुते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानृते ।
पतितानाञ्च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ ३८
अग्निरापश्च वेदाश्च सोमसूर्य्यानिलास्तथा ।
एते सर्व्वेऽपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ ३९
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यं मनुरब्रवीत् ॥ ४०
देशभङ्गे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि ।
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धर्म्मं समाचरेत् ॥ ४१
येन केन च धर्म्मेण मृदुना दारुणेन च ।
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्म्ममाचरेत् ॥ ४२
आपत्काले तु सम्प्राप्ते शौचाचारं न चिन्तयेत् ।
स्वयं समुद्धरेत् पश्चात् स्वस्थो धर्म्मं समाचरेत् ॥ ४३
इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

गवां बन्धनयोक्त्रे तु भवेन्मृत्युरकामतः ।
अकामात् कृतपापस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १
वेदवेदाङ्गविदुषां धर्म्मशास्त्रं विजानताम् ।
स्वकर्म्मरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत् ॥ २
अत ऊर्द्ध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम् ।
उपस्थितो हि न्यायेन व्रतादेशनमर्हति ॥ ३
सद्यो निःसंशये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः ।
भुञ्जानो वर्द्धयेत् पापं पर्षद्यत्र न विद्यते ॥ ४
संशये तु न भोक्तव्यं यावत् कार्य्यविनिश्चयः ।
प्रमादश्च न कर्त्तव्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ५
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवर्द्धते ।
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्म्मविद्भ्यो निवेदयेत् ॥ ६
ते हि पापे कृते वैद्या हन्तारश्चैव पाप्मनाम् ।
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ॥ ७
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने ह्रीमान् सत्यपरायणः ।
मृदुरार्जवसम्पन्नः शुद्धिं गच्छेत मानवः ॥ ८
सचेलं वाग्यतः स्नात्वा क्लिन्नवासाः समाहितः ।
क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ततः पर्षदमाव्रजेत् ॥ ९
उपस्थाय ततः शीघ्रमार्त्तिमान् धरणीं व्रजेत् ।
गात्रैश्च शिरसा चैव न च किञ्चिदुदाहरेत् ॥ १०
सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्त्यग्निकार्य्ययोः ।
अज्ञानात् कृषिकर्त्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥ ११
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ १२
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्म्ममतद्विदः ।
तत् पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तॄनधिगच्छति ॥ १३
अज्ञात्वा धर्म्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः ।
प्रायश्चित्ती भवेत् पूतः किल्बिषं पर्षदं व्रजेत् ॥ १४
चत्वारो वा त्रयो वापि यद्ब्रूयुर्वेदपारगाः ।
स धर्म्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहस्रशः ॥ १५
प्रमाणमार्गं मार्गन्तो ये धर्म्मं प्रवदन्ति वै ।
तेषामुद्विजते पापं सद्भूतगुणवादिनाम् ॥ १६ ॥
यथाश्मनि स्थितं तोयं मरुतार्केण शुध्यति ।
एवं परिषदादेशान्नाशयेद्देव दुष्कृतम् ॥ १७
नैव गच्छति कर्त्तारं नैव गच्छति पर्षदम् ।
मारुतार्कादिसंयोगात् पापं नश्यति तोयवत् ॥ १८
अनाहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः ।
पञ्च त्रयो वा धर्म्मज्ञाः परिषत् सा प्रकीर्त्तिता ॥ १९
मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनम् ।
वेदव्रतेषु स्नातानामेकोऽपि परिषद्भवेत् ॥ २०
पञ्च पूर्व्वं मया प्रोक्तास्तेषाञ्चैव त्वसम्भवे ।
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत् सा प्रकीर्त्तिता ॥ २१
अत ऊर्द्ध्वन्तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः ।

परिषत्त्वं न तेषां वै सहस्रगुणितेष्वपि ॥ २२
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्म्ममयो मृगः ।
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ २३
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्ज्जलः ।
यथा हुतमनग्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २४
यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौरूषराफला ।
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ २५
चित्रं कर्म्म यथानेकैरङ्गैरुन्मील्यते शनैः ।
ब्राह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारैर्विधिपूर्व्वकैः ॥२६
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः ।
ते द्विजाः पापकर्म्माणः समेता नरकं ययुः ॥ २७
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये ।
त्रैलोक्यं धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥ २८
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्तोऽग्निः सर्व्वभक्षकः ।
तथैव ज्ञानवान् विप्रः सर्व्वभक्ष्य दैवतम् ॥ २९
अमेध्यानि च सर्व्वाणि प्रक्षिप्यन्तुदके यथा ।
तथैव किल्विषं सर्व्वं प्रक्षिपेच्च द्विजेऽनले ॥ ३०
गायत्रीरहितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिर्भवेत् ।
गायत्रीब्रह्मतत्त्वज्ञाः सम्पूज्यन्ते द्विजोत्तमाः ॥ ३१
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः ।
कः परित्यज्य दुष्टां गां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ ३२
धर्म्मशास्त्ररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः ।
क्रीड़ार्थमपि यद्ब्रूयुः स धर्म्मः परमः स्मृतः ॥ ३३
चातुर्व्वेद्योऽविकल्पी च अङ्गविद्धर्म्मपाठकः ।
प्रवयाश्रमिणो मुख्याः परिषत् स्याद्दशावराः ॥ ३४
राज्ञश्चानुमते चैव प्रायश्चित्तं द्विजो वदेत् ।
स्वयमेव न वक्तव्यं प्रायश्चित्तस्य निष्कृतिः ॥ ३५
ब्राह्मणांश्च अतिक्रम्य राजा यत् कर्त्तुमिच्छति ।
तत् पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥ ३६
प्रायश्चित्तं सदा दद्याद्देवतायतनाग्रतः ।
आत्मानं पावयेत् पश्चाज्जपन् वै वेदमातरम् ॥ ३७
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम् ।
गवां गोष्ठे वसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुव्रजेत् ॥ ३८
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् ।
न कुर्व्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ३९
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले ।
भक्षयन्तीं न कथयेत् पिबन्तञ्चैव वत्सकम् ॥ ४०
पिबन्तीषु पिबेत् तोयं संविशन्तीषु संविशेत् ।
पतितां पङ्कमग्नां वा सर्व्वप्राणैः समुद्धरेत् ॥ ४१
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान् परित्यजेत् ।
मुच्यते ब्रह्महत्याद्यैर्गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ४२
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्द्दिशेत् ।
प्राजापत्यन्तु यत् कृच्छ्रं विभजेत् तच्चतुर्व्विधम् ॥ ४३
एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः ।
अयाचिताश्येकमहरेकाहं मारुताशनः ॥ ४४
दिनद्वयञ्चैकभक्तो द्विदिनं नक्तभोजनः ।
दिनद्वयमयाची स्यात् द्विदिनं मारुताशनः ॥ ४५
त्रिदिनञ्चैकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः ।
दिनत्रयमयाची स्यात् त्रिदिनं मारुताशनः ॥ ४६
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः ।
चतुर्दिनमयाची स्याच्चतुरहं मारुताशनः ॥ ४७
प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्य्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।
विप्राय दक्षिणां दद्यात् पवित्राणि जपेद्द्विजः ।
ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न संशयः ॥ ४८

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः ।
तद्वधन्तु न तं विद्यात् कामाकामकृतं तथा ॥ १
अङ्गुष्ठमात्रः स्थूलो वा बाहुमात्रः प्रमाणतः ।
आर्द्रस्तु सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २
दण्डादूर्द्धं यदन्येन प्रहरेद्वा निपातयेत् ।
प्रायश्चित्तं चरेत् प्रोक्तं द्विगुणं गोव्रतञ्चरेत् ॥ ३
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातनञ्च चतुर्व्विधम् ।
एकपादं चरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत् ॥ ४
योक्त्रेषु पादहीनं स्याच्चरेत् सर्व्वं निपातने ।
गोचरे च गृहे वापि दुर्गेष्वपि समेष्वपि ॥ ५
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेष्वथ दरीमुखे ।
दग्धदेशे मृता गावस्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥ ६

चान्द्रायणत्रयं कुर्य्याच्छिश्नच्छेदेन शुध्यति।
मातृष्वसृगमे चैव आत्ममेढ्रनिकर्त्तनम्॥ ११
अज्ञानात्तु तां यो गच्छेत् कुर्य्याच्चान्द्रायणद्वयम्।
दशगोमिथुनं दद्याच्छुद्धिः पराशरोऽब्रवीत्॥ १२
पितृदारान् समारुह्य मातुराप्ताञ्च भ्रातृजाम्।
गुरुपत्नीं स्नुषाञ्चैव भ्रातृभार्य्यां तथैव च॥ १३
मातुलानीं सगोत्राञ्च प्राजापत्यत्रयं चरेत्।
गोद्वयं दक्षिणां दत्त्वा शुध्यते नात्र संशयः॥ १४
पशुवेश्यादि-गमने महिषुष्ट्रीकपीस्तथा।
खरीञ्च सूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्॥ १५
गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणे ददत्।
महिष्युष्ट्रीखरीगामी त्वहोरात्रेण शुध्यति॥ १६
डामरे समरे वापि दुर्भिक्षे वा जनक्षये।
वन्दिग्राहे भयार्त्ते वा सदा स्वस्त्रीं निरीक्षयेत्॥ १७
चाण्डालैः सह सम्पर्कं या नारी कुरुते ततः।
विप्रान् दश वरान् गत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्॥ १८
आकण्ठसम्मिते कूपे गोमयोदककर्द्दमे।
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत्॥ १९
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकौदनम्।
त्रिरात्रमुपवासित्वं त्वेकरात्रं जले वसेत्॥ २०
शङ्खपुष्पीलतामूलं पत्रञ्च कुसुमं फलम्।
सुवर्णं पञ्चगव्यञ्च क्वाथयित्वा पिबेज्जलम्॥ २१
एकभक्तं चरेत् पश्चाद्यावत् पुष्पवती भवेत्।
व्रतं चरति यद्यावत् तावत् संवसते बहिः॥ २२
प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्य्याद् ब्राह्मणभोजनम्।
गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः पराशरोऽब्रवीत्॥ २३
चातुर्व्वर्ण्यस्य नारीणां कृच्छ्रचान्द्रायणव्रतम्।
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात् तां न तु दूषयेत्॥ २४
वन्दिग्राहेण या भुक्ता हत्वा बद्ध्वा बलाद्भयात्।
कृत्वा सान्तपनं कृच्छ्रं शुध्येत् पराशरोऽब्रवीत्॥ २५
सकृद्भुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्म्मभिः।
प्राजापत्येन शुध्येत ऋतुप्रस्रवणेन तु॥ २६
पतत्यर्द्धं शरीरस्य यस्य भार्य्या सुरां पिबेत्।
पतितार्द्धशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते॥ २७
गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत्॥ २८

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्।
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्॥ २९
जारेण जनयेद्गर्भं गर्भे त्यक्ते मृते पतौ।
तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम्॥ ३०
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत् परपुंसा समन्विता।
सा तु नष्टा विनिर्द्दिष्टा न तस्या गमनं पुनः॥ ३१
कामान्मोहाद्यदा गच्छेत् त्यक्त्वा बन्धून् सुतान् पतिम्।
सा तु नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषतः॥ ३२
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते।
दशाहं न त्यजेन्नारीं त्यजेन्नष्टश्रुता तथा॥ ३३
भर्त्ता चैव चरेत् कृच्छ्रं कृच्छ्रार्द्धञ्चैव बान्धवाः।
तेषां भुक्त्वा च पीत्वा च अहोरात्रेण शुध्यति॥ ३४
ब्राह्मणस्तु यदा गच्छेत् परपुंसा विवर्ज्जिता।
गत्वा पुंसां शतं याति त्यजेयुस्तान्तु गोत्रिणः॥ ३५
पुंसो यदि गृहं गच्छेत् तदशुद्धं गृहं भवेत्।
पितृमातृगृहं यच्च जारस्यैव तु तद्गृहम्॥ ३६
उल्लिख्य तद्गृहं पश्चात् पञ्चगव्येन शुध्यति।
त्यजेन्मृन्मयपात्राणि वस्त्रं काष्ठञ्च शोधयेत्॥ ३७
सम्भारान् शोधयेत् सर्व्वान् गोकेशैश्च फलोद्भवान्।
ताम्राणि पञ्चगव्येन कांस्यानि दश भस्मभिः॥ ३८
प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रो ब्राह्मणैरुपपादितम्।
गोद्वयं दक्षिणां दद्यात् प्राजापत्यं समाचरेत्॥ ३९
इतरेषामहोरात्रं पञ्चगव्येन शोधनम्।
सपुत्रः सहभृत्यश्च कुर्य्याद्ब्राह्मणभोजनम्॥ ४०
आकाशं वायुरग्निश्च मेध्यं भूमिगतं जलम्।
न दुष्यन्तीह दर्भाश्च यज्ञेषु चमसास्तथा॥ ४१
उपवासैर्व्रतैः पुण्यैः स्नानसन्ध्यार्च्चनादिभिः।
जपैर्होमैस्तथा दानैः शुध्यन्ते ब्राह्मणाः सदा॥ ४२
इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः॥ १०॥

एकादशोऽध्यायः।

अमेध्यरेतो गोमांसं चाण्डालान्नमथापि वा।
यदि भुक्तन्तु विप्रेण कृच्छ्रं चान्द्रायणं चरेत्॥ १
तथैव क्षत्रियो वैश्यस्तदर्द्धन्तु समाचरेत्।

शूद्रोऽप्येवं यदा भुङ्क्ते प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ २
पञ्चगव्यं पिबेच्छूद्रो ब्रह्मकूर्चं पिबेद्द्विजः ।
एकद्वित्रिचतुर्गाश्च दद्याद्विप्राननुक्रमात् ॥ ३
शूद्रान्नं सूतकस्यान्नमभोज्यस्यान्नमेव च ।
शङ्कितं प्रतिषिद्धान्नं पूर्वोच्छिष्टं तथैव च ॥ ४
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा ।
ज्ञात्वा समाचरेत् कृच्छ्रं ब्रह्मकूर्चन्तु पावनम् ॥ ५
बालैर्नकुलमार्जारैरन्नमुच्छिष्टितं यदा ।
तिलदर्भोदकैः प्रोक्ष्य शुध्यते नात्र संशयः ॥ ६
शूद्रोऽप्यभोज्यं भुक्तान्नं पञ्चगव्येन शुध्यति ।
क्षत्रियो वापि वैश्यश्च प्राजापत्येन शुध्यति ॥ ७
एकपङ्क्त्युपविष्टानां विप्राणां सह भोजने ।
यद्येकोऽपि त्यजेत् पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत् ॥ ८
मोहाद्वा लोभतस्तत्र पङ्क्तावुच्छिष्टभोजने ।
प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रः कृच्छ्रं सान्तपनं तथा ॥ ९
पीयूषं श्वेतलशुनं वृन्ताकफलगृञ्जनम् ।
पलाण्डुं वृक्षनिर्यासं देवस्वं कवकानि च ॥ १०
उष्ट्रीक्षीरमविक्षीरमज्ञानाद्भुञ्जते द्विजः ।
त्रिरात्रमुपवासी स्यात् पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ११
मण्डूकं भक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च ।
ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्रं यावकान्नेन शुध्यति ॥ १२
क्षत्रियो वापि वैश्यो वा क्रियावन्तौ शुचिव्रतौ ।
तद्गृहेषु द्विजैर्भोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥ १३
घृतं तैलं तथा क्षीरं गुडं तैलेन पाचितम् ।
गत्वा नदीतटे विप्रो भुञ्जीयाच्छूद्रभोजनम् ॥ १४
अज्ञानाद्भुञ्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपि वा ।
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत् ॥ १५
गायत्र्यष्टसहस्रेण शुद्धः स्याच्छूद्रसूतके ।
वैश्यः पञ्चसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रियः ॥ १६
ब्राह्मणस्य यदा भुङ्क्ते प्राणायामेन शुध्यति ।
अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुध्यति ॥ १७
शुष्कान्नं गोरसं स्नेहं शूद्रवेश्मन आगतम् ।
पक्वं विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरब्रवीत् ॥ १८
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ।
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत् ॥ १९

दासनापितगोपाल-कुलमित्रार्द्धसीरिणः ।
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २०
शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ।
संस्कृतस्तु भवेद्दासो ह्यसंस्कारैस्तु नापितः ॥ २१
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः ।
स गोपाल इति ज्ञेयो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २२
वैश्यकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ।
आर्द्धिकः स तु विज्ञेयो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २३
भाण्डस्थितमभोज्येषु जलं दधि घृतं पयः ।
अकामतस्तु यो भुङ्क्ते प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ २४
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति ।
ब्रह्मकूर्चोपवासेन यथा वर्णस्य निष्कृतिः ॥ २५
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति ।
ब्रह्मकूर्चमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत् ॥ २६
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।
निर्दिष्टं पञ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम् ॥ २७
गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेतायाः गोमयं हरेत् ।
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥ २८
कपिलाया घृतं ग्राह्यं सर्वं कापिलमेव वा ।
गोमूत्रस्य पलं दद्याद्दध्नस्त्रिपलमुच्यते ॥ २९
आज्यस्यैकपलं दद्यादङ्गुष्ठार्द्धन्तु गोमयम् ।
क्षीरं सप्तपलं दद्यात् पलमेकं कुशोदकम् ॥ ३०
गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ।
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दधि ॥ ३१
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वा कुशोदकम् ।
पञ्चगव्यमृचा पूतं स्थापयेदग्निसन्निधौ ॥ ३२
आपोहिष्ठेति चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत् ।
सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः शुकत्विषः ॥ ३३
एभिरुद्धृत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि ।
इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शंवती ॥
एतैरुद्धृत्य होतव्यं हुतशेषं स्वयं पिबेत् ॥ ३४
आलोड्य प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रणवेन तु ।
उद्धृत्य प्रणवेनैव पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ ३५
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम् ।
ब्रह्मकूर्चो दहेत् सर्वं यथैवाग्निरिवेन्धनम् ॥ ३६

पिबतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःसृतम् ।
अपेयं तद्विजानीयाद्भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३७
कूपे च पतितं दृष्ट्वा श्वशृगालौ च मर्कटम् ।
अस्थिचर्म्मादि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्विजः ॥ ३८
नारन्तु कूपे काकञ्च विड्वराहखरोष्ट्रकम् ।
गावयं सौप्रतीकञ्च मयूरं खड्गकं तथा ॥ ३९
वैयाघ्रमार्क्षं सैंहं वा कूपे यदि निमज्जति ॥ ४०
तडागस्याथ दुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ।
प्रायश्चित्तं भवेत् पुंसः क्रमेणैतेन सर्व्वशः ॥ ४१
विप्रः शुध्येत्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात् ।
एकाहेन तु वैश्यस्तु शूद्रो नक्तेन शुध्यति ॥ ४२
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ।
अपचस्य च भुक्त्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ४३
अपचस्य च यद्दानं दातुश्चास्य कुतः फलम् ।
दाता प्रतिग्रहीता च द्वौ तौ निरयगामिनौ ॥ ४४
गृहीत्वाग्निं समारोप्य पञ्चयज्ञान्न वर्त्तयेत् ।
परपाकनिवृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्त्तितः ॥ ४५
पञ्चयज्ञं स्वयं कृत्वा परान्नेनोपजीवति ।
सततं प्रातरुत्थाय परपाकरतो हि सः ॥ ४६
गृहस्थधर्म्मी यो विप्रो ददाति परिवर्ज्जितः ।
ऋषिभिर्धर्म्मतत्त्वज्ञैरपचः परिकीर्त्तितः ॥ ४७
युगे युगे च ये धर्म्मास्तेषु धर्म्मेषु ये द्विजाः ।
तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युगरूपाहि ब्राह्मणाः ॥ ४८
हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वङ्कारञ्च गरीयसः ।
स्नात्वा तिष्ठन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ ४९
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा ।
विवादेनापि निर्ज्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ ५०
अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिपातने ।
अतिकृच्छ्रञ्च रुधिरे कृच्छ्रमन्तरशोणिते ॥ ५१
नवाहमतिकृच्छ्रं स्यात् पाणिपूरान्नभोजनम् ।
त्रिरात्रमुपवासः स्यादतिकृच्छ्रः स उच्यते ॥ ५२
सर्व्वेषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते ।
शतं सहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम् ॥ ५३

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः ॥ ११

—

द्वादशोऽध्यायः ।

दुःस्वप्नं यदि पश्येत् तु वान्ते वा क्षुरकर्म्मणि ।
मैथुने प्रेतधूमे च स्नानमेव विधीयते ॥ १
अज्ञानात् प्राश्य विण्मूत्रं सुरां वा पिबते यदि ।
पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥
अजिनं मेखलादण्डो भैक्षचर्य्या व्रतानि च ।
निवर्त्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्म्मणि ॥ ३
स्त्रीशूद्रस्य तु शुद्ध्यर्थं प्राजापत्यं विधीयते ।
पञ्चगव्यं ततः कृत्वा स्नात्वा पीत्वा विशुध्यति ॥ ४
जलाग्निपतने चैव प्रव्रज्यानाशकेषु च ।
प्रत्यवसितमेतेषां कथं शुद्धिर्विधीयते ॥ ५
प्राजापत्यद्वयेनापि तीर्थाभिगमनेन च ।
वृषैकादशदानेन वर्णाः शुध्यन्ति ते त्रयः ॥ ६
ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गत्वा चतुष्पथम् ।
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ ७
गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ।
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्वञ्च गच्छति ॥ ८
स्नानानि पञ्च पुण्यानि कीर्त्तितानि मनीषिभिः ।
आग्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम् ।
आपोहिष्ठेति तद् ब्राह्मं वायव्यं रजसा स्मृतम् ॥ १०
यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते ।
तत्र स्नात्वा तु गङ्गायां स्नातो भवति मानवः ॥ ११
स्नानार्थं विप्रमायान्तं देवाः पितृगणैः सह ।
वायुभूता हि गच्छन्ति तृषार्त्ताः सलिलार्थिनः ॥ १२
निराशास्ते निवर्त्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते ।
तस्मान्न पीडयेद्वस्त्रमकृत्वा पितृतर्पणम् ॥ १३
विधूनोति हि यः केशान् स्नातः प्रस्रवतो द्विजः ।
आचामेद्वा जलस्थोऽपि स बाह्यः पितृदैवतैः ॥ १४
शिरः प्रावर्त्तकं बद्ध्वा मुक्तकच्छशिखोऽपि वा ।
विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ १४
जले स्थलस्थो नाचामेज्जलस्थश्च बहिःस्थिते ।
उभे स्पृष्ट्वा समाचान्त उभयत्र शुचिर्भवेत् ॥ १६
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे ।

आचान्तः पुनराचमेद्वासो विपरिधाय च ॥ १७
क्षुते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानृते ।
पतितानाञ्च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ १८
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूर्य्योऽनिलस्तथा ।
ते सर्व्वे ह्यपि तिष्ठन्ति कर्णे विप्रस्य दक्षिणे ॥ १९
दिवाकरकरैः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते ।
अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात् ॥ २०
मरुतो वसवो रुद्रा आदित्याश्चादिदेवताः ।
सर्व्वे सोमे विलीयन्ते तस्मात् स्नानन्तु तद्ग्रहे ॥ २१
फलयज्ञे विवाहे च संक्रान्तौ ग्रहणेषु च ।
शर्व्वर्य्यां दानमेतेषु नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ २२
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्म्मणि ।
राहोश्च दर्शने दानं प्रशस्तं नान्यथा निशि ॥ २३
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थप्रहरद्वयम् ।
प्रदोषपश्चिमौ यामौ दिनवत् स्नानमाचरेत् ॥ २४
चैत्यवृक्षश्चितिश्चैव चण्डालः सोमविक्रयी ।
एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥ २५
अस्थिसञ्चयनात् पूर्व्वं रुदित्वा स्नानमाचरेत् ।
अन्तर्द्दशाहे विप्रस्य पूर्व्वमाचमनं भवेत् ॥ २६
सर्व्वं गङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे ।
सोमग्रहे तथैवोक्तं स्नानदानादिकर्म्मसु ॥ २७
कुशपूतन्तु यत् स्नानं कुशेनोपस्पृशेद्द्विजः ।
कुशेनोद्धततोयं यत् सोमपानसमं स्मृतम् ॥ २८
अग्निकार्य्यात् परिभ्रष्टाः सन्ध्योपासनवर्ज्जिताः ।
वेदञ्चैवानधीयानाः सर्व्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥ २९
अस्माद्वृषलभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः ।
अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्व्वं न शक्यते ॥ ३०
शूद्रान्नरसपुष्टस्याप्यधीयानस्य नित्यशः ।
जपतो जुह्वतो वापि गतिरूर्द्ध्वा न विद्यते ॥ ३१
शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं शूद्रेण तु सहासनम् ।
शूद्राज्ज्ञानागमश्चापि ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥ ३२
मृतस्तत्कपृष्ठाङ्गो द्विजः शूद्रान्नभोजने ।
अहं तां न विजानामि कां कां योनिं गमिष्यति ॥ ३३
गृध्रो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि शूकरः ।
श्वयोनौ सप्त जन्म स्यादित्येवं मनुरब्रवीत् ॥ ३४
दक्षिणार्थन्तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः ।
ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत् ॥ ३५
मौनव्रतं समाश्रित्य आसीनो न वदेद्द्विजः ।
भुञ्जानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्ज्जयेत् ॥ ३६
अर्द्धे भुक्ते तु यो विप्रस्तस्मिन् पात्रे जलं पिबेत् ।
हतं दैवञ्च पित्र्यञ्च आत्मानञ्चोपघातयेत् ॥ ३७
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्व्वन्ति ये द्विजाः ।
न देवास्तृप्तिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ॥ ३८
गृहस्थस्तु यदा युक्तो धर्म्ममेवानुचिन्तयेत् ।
पोष्यधर्म्मार्थसिद्ध्यर्थं न्यायवर्त्ती सुबुद्धिमान् ॥ ३९
न्यायोपार्ज्जितवित्तेन कर्त्तव्यं ज्ञानरक्षणम् ।
अन्यायेन तु यो जीवेत् सर्व्वकर्म्मबहिष्कृतः ॥ ४०
अग्निचित् कपिला सती राजा भिक्षुर्म्महोदधिः ।
दृष्टमात्रं पुनन्त्येते तस्मात् पश्येत्तु नित्यशः ॥ ४१
अरणिं कृष्णमार्ज्जारं चन्दनं सुमणिं घृतम् ।
तिलान् कृष्णाजिनं छागं गृहे चैतानि रक्षयेत् ॥ ४२
गवां शतं सैकवृषं यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम् ।
तत् चैवं दशगुणितं गोचर्म्म परिकीर्त्तितम् ॥ ४३
ब्रह्महत्यादिभिर्म्मर्त्त्यो मनोवाक्कायकर्म्मजैः ।
एतद्गोचर्म्मदानेन मुच्यते सर्व्वकिल्बिषैः ॥ ४४
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः ।
यद्दानं दीयते तस्मै तदायुर्वृद्धिकारकम् ॥ ४५
आ षोड़शदिनादर्व्वाक् स्नानमेव रजस्वला ।
अत ऊर्द्ध्वं त्रिरात्रं स्यादुशना मुनिरब्रवीत् ॥ ४६
युगं युगद्वयञ्चैव त्रियुगञ्च चतुर्युगम् ।
चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात् ॥ ४७
ततः सन्निधिमात्रेण सचेलं स्नानमाचरेत् ।
स्नात्वावलोकयेत् सूर्य्यमज्ञानात् स्पृशते यदि ॥ ४८
वापीकूपतड़ागेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुर्ब्बलः ।
तोयं पिबति वक्त्रेण श्वयोनौ जायते ध्रुवम् ॥ ४९
यस्तु क्रुद्धः पुमान् भार्य्यां प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम् ।
पुनरिच्छति तां गन्तुं विप्रमध्ये तु श्रावयेत् ॥ ५०
श्रान्तः क्रुद्धस्तमोभ्रान्त्या क्षुत्पिपासाभयार्द्दितः ।
दानं पुण्यमकृत्वा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम् ॥ ५१
उपस्पृशेत् त्रिषवणं महानद्युपसङ्गमे ।

चीर्णान्ते चैव गां दद्याद् ब्राह्मणान् भोजयेद्दश ॥ ५२
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च ।
अन्नं भुक्त्वा द्विजः कुर्य्याद्दिनमेकमभोजनम् ॥ ५३
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनः ।
भुक्त्वान्नं मुच्यते पापादहोरात्रन्तु वै नरः ॥ ५४
ऊर्द्ध्वोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षमृतौ तथा ।
कृच्छ्रत्रयं प्रकुर्व्वीत अशौचमरणे तथा ॥ ५५
कृच्छ्रं देवयुतञ्चैव प्राणायामशतत्रयम् ।
पुण्यतीर्थे नार्द्रशिरः स्नानं द्वादशसङ्ख्यया ॥
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कृच्छ्रमेवं प्रकल्पितम् ॥ ५६
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रेतसः सेचनं भुवि ।
सहस्रन्तु जपेद्देव्याः प्राणायामैस्त्रिभिः सह ॥ ५७
चातुर्व्वेद्योपपन्नस्तु विधिवद्ब्रह्मघातके ।
समुद्रसेतुगमने प्रायश्चित्तं विनिर्द्दिशेत् ॥ ५८
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्व्वर्ण्यं समाचरेत् ।
वर्ज्जयित्वा विकर्म्मस्थांश्छत्रोपानद्विवर्ज्जितः ॥ ५९
अहं दुष्कृतकर्म्मा वै महापातककारकः ।
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ ६०
गोकुलेषु वसेच्चैव ग्रामेषु नगरेषु च ।
तथा वनेषु तीर्थेषु नदीप्रस्रवणेषु च ॥ ६१
एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम् ।
दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम् ॥ ६२
रामचन्द्रसमादिष्टं नलसञ्चयनञ्चितम् ।
सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ६३
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु पृथिवीपतिः ।
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासार्थमुपसर्पति ॥ ६४
सपुत्रः सह भृत्यैश्च कुर्य्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।
गाश्चैवैकशतं दद्याच्चातुर्व्वेद्येषु दक्षिणाम् ॥ ६५
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ।
सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् ॥ ६६
मद्यपश्च द्विजः कुर्य्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम् ।
चान्द्रायणे ततश्चीर्णे कुर्य्याद् ब्राह्मणभोजनम् ॥ ६७
अनडुत्सहितां गाञ्च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ ६८
अपहृत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम् ।
गच्छेन्मुषलमादाय राजाभ्यासं वधाय तु ॥ ६९
ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासौ मुक्त एव च ।
कामकारकृतं यत् स्यान्नान्यथा वधमर्हति ॥ ७०
आसनाच्छयनाद्यानात् सम्भाषात् सहभोजनात् ।
संक्रामन्ति हि पापानि तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ७१
चान्द्रायणं यावकञ्च तुलापुरुष एव च ।
गवाञ्चैवानुगमनं सर्व्वपापप्रणाशनम् ॥ ७२
एतत् पाराशरं शास्त्रं श्लोकानां शतपञ्चकम् ।
द्विनवत्या समायुक्तं धर्म्मशास्त्रस्य संग्रहः ॥ ७३
यथाध्ययनकर्म्माणि धर्म्मशास्त्रमिदं तथा ।
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गगामिना ॥ ७४

इति पाराशरे धर्म्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

पराशरसंहिता समाप्ता ॥

पराशर संहिता।

प्रथम अध्याय।

प्राचीन समयमें एक दिन हिमालय पर्वतके ऊपर देवदारु वनमय आश्रममें व्यासजी एकाग्रचित्तसे बैठे हुए थे। उस समय ऋषियोंने व्यासजीसे पूछा ;—हे सत्यवतीनन्दन! कलियुगमें कौन धर्म्म, कैसा आचार और कैसा शौच रखनेसे प्राणिमात्रकी भलाई होगी? कृपाकर उन धर्म्मोंको यथानियम कहिये। प्रज्व-लित अग्नि और सूर्य्यके सदृश तेजस्वी, वेद तथा स्मृतियोंके पूर्ण पण्डित व्यासजी ऋषियोंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर बोले— मैं तो सम्पूर्ण तत्वोंको जानता नहीं, फिर धर्म्मकी बात कैसे कहूं। इसलिये मेरे पिता पराशरजीसे इस बातको पूछना चाहिये। धर्म्मतत्वको जाननेके लिये उत्कण्ठित ऋषिगण व्यासजीको अग्रणीकर बदरिकाश्रमको चले। यह आश्रम फल और फूलसे सुशोभित और अनेक प्रकारके वृक्षोंसे पूर्ण था। नदी, झरने और पुण्य-तीर्थोंसे सुसज्जित था। इसमें हरिण एवं पक्षिगण इधर उधर घूम रहे थे। अनेक जगह देवालय विद्यमान थे। यक्ष, गन्धर्व और सिद्धगण चारो और नाच और गान कर रहे थे। उसी आश्रममें शक्ति-पुत्र पराशरजी बैठे थे। उस समय ऋषियोंकी सभा लगी थी। पराशरजी प्रधान प्रधान मुनियोंसे वेष्ठित थे। उसी समय व्यासजी भी सब ऋषियोंको लिये पराशर जीके पास पहुंचे। उचित प्रद-क्षिणा और प्रणामकर व्यासजीने पराशर मुनिकी स्तुतिकरके पूजा की। इसके बाद महामुनि पराशर जीने प्रसन्न होकर ऋषियोंसे कुशल मङ्गल पूछा। व्यासजी और ऋषिगण बोले—हम सब सकुशल हैं। आगे व्यासजीने पराशर जीसे कहा— हे पिता! आप यदि यह जानते हों, कि मेरी आपमें कैसी भक्ति है, यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो हे भक्तवत्सल पिता! मैं आपका अनुगृहीत हूं और मुझे आप धर्म्मोपदेश दीजिये। मैंने आपसे मनु, वसिष्ट, काश्यप, गर्ग, गौतम, उशना, अत्रि, विष्णु, सम्वर्त्त, दक्ष, अङ्गिरा, शातातप, हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेतस, आपस्तम्ब और शङ्ख प्रभृति ऋषियोंके बनाये हुये धर्म्मशास्त्रोंको पढ़ा है। आपकी कही हुई इन कथाओंको जिस तरहसे

सुना है, उसी तरहसे स्मरण भी रखा है। पर उपरोक्त धर्म्म शास्त्र सत्य, त्रेता और द्वापर युगके लिये ही बनाये गये हैं। सत्ययुगमें तो सभी धर्म्म थे, पर कलियुगमें सभी नष्ट हो गये हैं। इसलिये चारो वर्णोंका कुछ कुछ साधारण धर्म्म कहिये। व्यासजीकी बात समाप्त होनेपर मुनिप्रधान पराशरजीने धर्म्मका स्थूल और सूक्ष्मनिर्णय विस्तारस्वरूपसे कहना प्रारम्भ किया। हे पुत्र व्यास! हे ऋषिगण! मैं धर्म्मकथा कहता हूं, आप लोग सुनिये। सभी कल्पोंमें प्रलयके अन्तमें फिर नवीन सृष्टि होती है। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्मृति और सदाचारका भी निर्णय होता है। कल्पान्तर होनेपर दूसरे कल्पमें कोई वेदकर्ता निर्दिष्ट नहीं होता। चतुर्मुख ब्रह्मा वेदके स्मरणकर्तास्वरूप होते हैं। मनु भी दूसरे कल्पोंमें धर्म्मोंके स्मरणाधिकारी होते हैं। सत्ययुगमें धर्म्म दूसरे ही रूपसे रहता, त्रेता और द्वापरमें दूसरे ही और कलियुगमें कुछ और ही प्रकारका होता है। सत्ययुगमें तपस्या, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियुगमें केवल दान ही प्रधान है। सत्ययुगमें मनुसम्पादित, त्रेतामें गौतम सम्पादित, द्वापरमें शङ्खलिखित, एवं कलियुगमें पराशर मुनि प्रणीत धर्म्म प्रधान है। पापीका संसर्ग बचानेके लिये सत्ययुगमें देश, त्रेतामें गांव, द्वापरमें कुल और कलियुगमें केवल पापी हीको परित्याग करना चाहिये। सत्ययुगमें पापीके साथ वार्तालाप, त्रेतामें दर्शन, द्वापरमें पापीका अन्नग्रहण करनेसे और कलियुगमें अपने कर्म्मद्वारा मनुष्य पतित होता है। सत्ययुगमें पापका फल तुरत, त्रेतामें दशदिनमें, द्वापरमें एक महीनेमें और कलियुगमें एक वर्षमें मिलता है। सत्ययुगमें दान लेनेवालेके समीप जाकर, त्रेतामें बुलाकर, द्वापरमें यदि दानग्रहीता याचक होकर आवे तब और कलियुगमें जो सेवा करे, दान देना चाहिये। दान लेनेवालेके पास जाकर दान देना वही उत्तम, बुलाकर देना मध्यम, याचकको देना अधम और सेवाकरनेवालेको देना निष्फल दान कहाता है। सत्ययुगमें अस्थिगत, त्रेतामें मांसगत, द्वापरमें रुधिरगत और कलिमें अन्नादिमें मनुष्यका प्राण रहता है। कलिमें अधर्म्मसे धर्म्म, मिथ्यासे सत्य, सेवकसे राजा और स्त्रीसे पुरुष पराजित रहते हैं। कलियुगमें अग्निहोत्र यज्ञ अवसन्न हो जाता है, गुरुपूजा नष्ट हो जाती है और स्त्रियां कुमारिकावस्था हीमें सन्तान प्रसव करने लगती हैं। जिन जिन युगोंमें जो जो धर्म्म व्यवस्थित हैं, जिन जिन युगोंमें ब्राह्मण लोग जो जो आचरण करते हैं, इसके लिये ब्राह्मण देवोंकी निन्दा न करना चाहिये; क्योंकि वे ही युगस्वरूप हैं। मुनियोंने युगभेदसे सामर्थ्यभेद भी किया है। किन्तु कलि-

युगमें पराशरोक्त प्रायश्चित्त ही श्रेष्ठ है। आज मैं कलियुगका वही धर्म्म धारण करता हुआ आप लोगोंसे कहता हूं। मुनिवर! आपलोग कलियुगके चार वर्णोंका आचार सुनिये। पराशरजीका यह मत पवित्र, पुण्यमय और पापनाशी है। ब्राह्मणोंके लिये और धर्म्मस्थितिके लिये मैं इसकी चिन्ता करता हूं। आचार-ही चारों वर्णोंका पालक है। आचार भ्रष्ट मनुष्यसे धर्म्म भी विमुख रहता है। जो ब्राह्मण षटकर्म्ममें लगे रहते और नित्य देवपूजा, अतिथिसत्कारके बाद हवनसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, उनको कभी दुःख नहीं होता है। प्रतिदिन स्नान, सन्ध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, देवपूजा और बलि-वैश्वदान यही ६ काम ब्राह्मणोंको प्रति-दिवस करना चाहिये। चाहे मित्र वा शत्रु हो अथवा पण्डित वा मूर्ख हो वह यदि बलिवैश्वके समय आ जाय, तो वही अतिथि है और उसीकी सेवासे स्वर्गलाभ होता है। दूर देशसे समीपमें आया हुआ वा पथश्रान्तव्यक्ति बलिवैश्वके समय आ जावे, तो उसीको अतिथि समझना चाहिये। किन्तु जो पहलेसे आये हुए हैं, वे अतिथि नहीं हैं। अतिथिके गोत्र, आचरण, स्वाध्याय और व्रत इन किसी विषयोंको न पूछ करके हृदयसे उसका यत्न करना चाहिये, क्योंकि अतिथि सर्वदेव-स्वरूप हैं। परिवारके साथ और अपने कार्य्यके लिये आये हुए एवं एक गांवके रहनेवाले ब्राह्मण भी अतिथि नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो रोज नहीं आते हैं, वे ही अतिथि कहलाते हैं। जो पहले अतिथि नहीं हुए हैं, व्रतनिष्ठ ब्राह्मण और विद्याभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण ये तीनों अपूर्व अतिथि कहलाते हैं। बलिवैश्वके समय यदि कोई भिक्षुक आ जाय, तो वैश्वदेवके निमित्त रखे हुए अन्नसे निकाल भिक्षुकको देकर विदा करना चाहिये। यदि इसी भांति ब्रह्मचारी भी आ जावे, तो वे दोनो ही पक्वान्नके स्वामी होते हैं। इन दोनोको न देकर भोजन करनेसे चान्द्रायण-व्रत करना होगा। पहले भिक्षुकके हाथमें जल देना उसके बाद अन्न देना अन्तमें फिर जल देना। ऐसा करनेसे भिक्षान्न मेरु-तुल्य और जल समुद्रतुल्य हो जाता है। कदाचित वैश्वदेवमें कोई दोष हो जाय, तो भिक्षुक उसे मिटा सकता है, पर भिक्षुक-कृत दोष वैश्वदेव नहीं मिटा सकते हैं। जो द्विजाति बिना बलिवैश्व किये भोजन करते हैं, उनका सभी निष्फल हो जाता है और अन्तमें अपवित्र होकर वे नरकमें पड़ते हैं। जो मनुष्य शिरपर पगड़ी आदि रखकर, दक्षिण और मुखकर और बांये पांवपर हाथ रखकर भोजन करते हैं, उनके भोज्यान्न राक्षस खा जाते हैं। जो यतीको सोना, ब्रह्मचारीको पान और चोरको अभयदान देनेवाले दानी होनेपर

भी नरकगामी होते हैं। बलिवैश्वके समय यदि कोई अतिथि आ जाय और वह पापी, चाण्डाल, ब्रह्मघाती अथवा पितृ-हन्ता क्यों न हो, पर वह स्वर्ग देनेवाला होता है। जिसके घरसे अतिथि निराश होकर चले जाते हैं, उस मनुष्यके पितृगण १००० वर्ष उपवास करते हैं। जो ब्राह्मण, वेदपारदर्शी अतिथिको अन्न नहीं देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे केवल पापराशि खाते हैं। ब्राह्मणका मुख कांटा और जलसे रहित खेत है। उसी खेतमें जो कृषिका बीज बोया जावेगा, वही सम्पूर्ण फलको देनेवाला होगा। अच्छे खेतमें बीज बोना चाहिये और सुपात्रको दान देना चाहिये। अच्छे खेत और सुपात्रमें जो कुछ छोड़ा जायगा, वह व्यर्थ न होगा जिस जगहके ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, पाठाभ्यास नहीं करते और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, उस गांवके रहनेवाले मनुष्योंको राजा दण्ड देवें। क्योंकि, ग्रामवासियों होने इस तरहके चोरका पालन किया है। क्षत्रिय प्रजाकी रक्षा करें। अस्त्र ग्रहणपूर्वक प्रचण्डभावसे शत्रुको पराजय करें और धर्मानुसार पृथिवीका पालन करें। लक्ष्मी खूब दृढ़तापूर्वक स्थापित होनेपर भी वंशपरम्पराके क्रमसे नहीं ठहरती हैं। उन्हें खड्गके द्वारा आक्रमण करके भोग-कर सकते हैं। क्योंकि वीरपुरुष ही इस पृथ्वीको भोग सकते हैं। माला बनानेके निमित्त पुष्पवाटिकासे केवल फूल ही तोड़ा जाता है न कि वृक्ष ही समूल नष्ट किया जाता है। उसी भांति राजा जिसमें प्रजाको कष्ट न मालूम हो, उतना लरलेकर अपने खजानेको पूरा करें, किन्तु कड़ाईकी आग बरसाता हुआ प्रजाका मूलोच्छेद न करें। लौहकर्म, रत्न, गोपालन, वाणिज्य और कृषिकर्म ये वैश्यके कर्म हैं। द्विजातियोंकी सेवा ही शूद्रोंका सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जिनके लिये जो कर्म कहे गये हैं, उनसे भिन्न कर्म करनेवालोंका कार्य्य निष्फल होगा। नमक, मधु, तेल, दही, मठा, घी और दूध इन चीजोंको शूद्र भी बेंच सकता है। इस कार्य्यको करनेमें वह दोषी नहीं हो सकता। मद्य और मांसको बेचने, अभक्ष्य वस्तुओ खाने, अगम्यागमनसे शूद्र भी नरकगामी होगा। कपिला गौके दूध पीने, ब्राह्मणीके साथ भोग करने और वेदाक्षरका विचार करनेसे शूद्र अवश्य नरकमें पड़ेंगे।

प्रथम अध्याय समाप्त।

द्वितीय अध्याय।

इसके बाद पराशर मुनिका कहा हुआ कलियुगमें गृहस्थोंका धर्म और आचार तथा चारो वर्णों और आश्रमोंका साधारण धर्म कहूंगा। छओ कर्म करता

हुआ ब्राह्मण खेती कर सकता है। आठ बैलोंसे हल चलवाना धर्म्मकार्य्य है, छःसे मध्यम, चारसे निष्ठुर तथा दोसे हल चलवाना वृषघाती कार्य्य है। भूखे प्यासे और श्रान्त बैलको हलमें नहीं जोतना चाहिये। अङ्गहीन, रोगी और नपुंसक बैलपर ब्राह्मण बोझा न लादे। जो बैल खूब मोटेताजे, अक्लीव, मजबूत, नीरोग और बलदर्पित हैं, उनको दोपहर-तक हलमें जोतना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मण स्नान, जप, देवार्चन, होम और स्वाध्याय अभ्यास करें एवं एक, दो, तीन अथवा चार स्नातक ब्राह्मणोंको भोजन करावें। खेतको जोत और अपनी मिहनतसे धान पैदाकर उस धानसे पञ्चमहायज्ञ करें तथा उस यज्ञमें किसीकी सहायता दें। ब्राह्मणको तिल और रस नहीं बेचना चाहिये। हां धान्य अथवा उसी प्रकारकी चीज वा तृण और काष्ठ बेंच सकते हैं। ब्राह्मणोंका ऐसा व्यवसाय दोषयुक्त नहीं है। मछुआ वर्ष दिनमें जो पाप बटोरता है, लोहेकी नोकवाला हल चलानेवालेको वे सब पाप एक ही दिनमें हो जाते हैं। पाशजीवी मछुआ, व्याधा, बहेलिया, सूम एवं हल-ग्राही यह पांचो समान पापी हैं। उखल शिल, बट्टा, चूल्हा, जलयुक्त घड़ा और झाड़ू इनकेद्वारा पांचहत्या गृहस्थमात्रको प्रतिदिन होती हैं। वृक्ष काटनेमें और पृथ्वी गोड़नेमें कीटादिके मर जानेका जो पाप कृषकको होता है, यज्ञ करनेसे उस पापसे कृषक मुक्त हो जाता है। अन्न-राशिके समीप रहकर भी जो आदमी द्विजातिगणके मांगनेपर नहीं देता है, वह चोर, पापी एवं ब्रह्मघाती है। राजाको छठां हिस्सा, देवतादिको इक्कीसवां हिस्सा एवं ब्राह्मणको तीसवां हिस्सा देनेसे खेती करनेवाला पापमुक्त होता है। क्षत्रिय भी खेती करके ब्राह्मण और देवताओंकी पूजा करें। वैश्य और शूद्र खेती, वाणिज्य एवं शिल्पकार्य सदा करें। द्विजातिकी सेवा न करके यदि शूद्र और कार्य्य करे, तो वह अल्पायु होकर नरकमें पड़ता है। चारो वर्णोंका यही सनातनधर्म्म है।

द्वितीय अध्याय समाप्त।

तृतीय अध्याय।

अब जन्माशौच और मरणाशौचका विधान कहते हैं। मरणाशौचमें ब्राह्मणोंको तीन दिनतक अङ्गास्पृश्य अशौच होता है। पराशर मुनिकी मतिसे क्षत्रियोंको १२ दिन, वैश्यको १५ दिन और शूद्रको एक महीना मरणाशौच होता है। उपासना करनेसे ब्राह्मणोंकी अङ्गशुद्धि होती है। जन्माशौच-में ब्राह्मणोंका अङ्गस्पर्श कर सकते हैं। जन्माशौचमें ब्राह्मण १० दिन, क्षत्रिय १२ दिन, वैश्य १५ दिन और शूद्र एक महीनेमें शुद्ध होता है। अग्निहोत्री और वेदाध्यायी ब्राह्मणोंको १ दिन अशौच रहता

है। जो ब्राह्मण वेदपाठमें दत्तचित्त रहते हैं, उन्हें तीन दिनतक अशौच रहता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और वेदाध्यायी नहीं हैं, उन्हींको १० दिन अशौच रहता है। जो ब्राह्मण जन्म और कर्मसे भ्रष्ट हैं, सन्ध्योपासनसे एकदम कोरे हैं और जो धर्म कर्म परिभ्रष्ट सन्ध्योपासनाविहीन नाम मात्रके ब्राह्मण हैं, उनको १० दिन सूतका शौच होता है। सपिण्ड परिवार यदि अलग हो गये हों, तब भी उनका जन्म और मरण होनेपर दशदिन अशौच लगता है। जिसको दशदिनके दोनो अशौच लगी हों, उनका अन्न नहीं खाना चाहिये। अशौचके समय दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय ये चार कर्म नहीं करना चाहिये। अपने वंशमें चार पुश्ततक पूर्णाशौच होता है। अपने वंशमें पञ्चम पुश्तमें दाय भाग नष्ट हो जाता है। चारपुश्ततक १० दिन, पञ्चम पुश्तमें ६ दिन, षष्ठ पुश्ततक ४ दिन और सप्तम पुश्ततक ६ दिन अशौच रहता है। सगोत्र व्यक्ति यदि पांच पुश्तके भीतर हो, तो वह श्राद्धमें बैठकर नहीं खा सकता है। ६ पुश्तसे लेकर उधरका व्यक्ति श्राद्धमें भोजन कर सकता है। ६ पुश्तसे ऊपरका व्यक्ति पतित होकर, आगमें जलकर और देशान्तर जाकर यदि मरा हो, तो इस मरणमें अशौचवाले तुरन्त शुद्ध हो जाते हैं। यदि मरनेके दशदिन बाद खबर मिले, तो तीन दिनमें शुद्धि हो जाती है और यदि एक वर्षके बाद मरनेकी खबर मिले, तो सवस्त्र स्नान करके शुद्ध हो सकता है। किसी सगोत्रकी मृत्यु देशान्तरमें हुई हो तो यह खबर सुनकर केवल स्नानमात्र होसे शुद्धि हो सकती है। उसके लिये त्रिरात्र वा अहोरात्रका अशौच नहीं हो सकता है। तीन पक्षके भितर यदि मृत्युकी खबर मालूम हो, तो तीन दिन अशौच लगता है। छः महीनेके बाद मृत्युकी खबर सुननेसे आधे दिन अशौच रहता है। एक वर्षके भीतर सुननेसे एक दिन अशौच रहता और एक वर्षके बाद सुननेसे तुरन्त शुद्धि हो जाती है। जो बालक जन्म लेते ही मर जाय वा दांत निकलनेके पहले ही मरजाय उसका न तो अग्निसंस्कार ही हो सकता है न अशौच, वा उसकी क्रिया ही हो सकती है। यदि बालक गर्भ हीमें मरजाय वा गर्भस्राव हो जाय, तो जितने दिन बालक गर्भमें रहा हो वा जितने दिनका गर्भस्राव हुआ हो, उतने ही दिन स्त्रियोंके लिये अशौच होता है। चार महीनेके भीतर यदि गर्भ गिर जाय, तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। पांचवें और छठें महीनेमें गर्भ गिरनेसे भी उसे गर्भपात कहते हैं। इसके बाद गर्भ नष्ट होनेसे वह प्रसव कहलाता है। ऐसी ही दशामें दश दिन अशौच माना जाता है। स्त्री लोगोंके प्रसवका समय आ पहुंचे, उस समय सन्तान उत्पन्न होकर बच जाय तो गोत्र मात्रको

अशौच और मर जाय तो केवल जननीको जननाशौच लगता है। रात्रिमें जन्म मरण अथवा रजो दर्शन हो तो जबतक सूर्योदय न हो, तबतक वह पूर्व ही दिनमें कहा जायेगा। दांत उठने वा चूड़ाकरण होनेपर यदि बालक मरे, तब उसका अग्नि संस्कार और त्रिरात्र अशौच होगा। बालक का दांत न उठा हो इसके भीतर ही मर जाय तो सद्यः शौच हो जाता है। चूड़ाकरणके भीतर यदि मरे तो एक रात्रि उपनयनके भीतर त्रिरात्र और उसके बाद दश रात्रि मरणाशौच रहता है। बालक यदि गर्भ हीमें नष्ट हो जाय तो दश दिन सूतका शौच और जन्मलेकर मर जाय तो सद्यः शुद्धि होती है। जन्मके बाद चूड़ाकरण और अन्नप्राशनके प्रथम ही यदि कन्या मर जाय तो उसके पितृबान्धव लोग सुननेके बाद ही तुरन्त शुद्ध हो जाते हैं। यदि कन्यादानके प्रथम मरे, तो एक दिन अशौच और कन्यादानके बाद मरे, तो तीन दिन अशौच लगता है। जिसके घरमें ब्रह्मचारी हवन करते हों और किसीसे संसर्ग न रखते हों उनको अशौच नहीं होता है। ब्राह्मण केवल संसर्ग ही द्वारा दूषित होते हैं और किसी कारणसे दूषित नहीं होते। संसर्गरहित रहनेसे उनको जन्माशौच वा मरणाशौच नहीं होता है। शिल्पी, कारीगर, वैद्य, दासी, दास, नापित श्रोत्रिय और राजा ये सब भी सद्यः शुद्ध हो जाते हैं। सद्याध्यायी, मन्त्रपूत, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, राजा और राजा जिसको बहुत चाहते हों, इनको जन्माशौच नहीं लगता है। मरणोद्यत, दानोद्यत, निमन्त्रित और आर्त्त व्यक्ति समयपर शुद्ध हो सकते हैं। ऋषियोंकी ऐसी ही व्यवस्था है। गृहमेधी ब्राह्मण यदि सूतिका गृहसे संसर्ग नहीं रखता हो, तो वह स्नान करके शुद्ध हो सकता है। प्रसूतिका स्त्री दश दिनमें शुद्ध होती है। पिता, माता एवं और सम्बन्धियोंका मरणाशौच दशदिन होता है। सूतक शौच केवल जननी हीको होता है। पिता केवल स्नान मात्रसे ही शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण यदि षड़ङ्गोंके साथ वेद भी जाननेवाला क्यों न हो, पर यदि वह अपनी स्त्रीके साथ सूतिकागृहसे संसर्ग रखे, तो अवश्य उसे भी अशौच लगेगा। क्योंकि संसर्ग रखने हीसे ब्राह्मणोंको अशौच होता है। और किसी कारणसे ब्राह्मण दूषित नहीं होता। इसलिये उचित है, कि ब्राह्मण सभी यत्नोंसे संसर्ग बचावे। विवाह, उत्सव तथा यज्ञादिमें किसी द्रव्यको दान करनेका संङ्कल्प हो गया हो और उस समय यदि जन्माशौच वा मरणाशौच हो, तो देय द्रव्योंका दान कर सकते हैं। उस दानमें अशौचदोष नहीं होगा। इस अशौचके बीच हीमें ब्राह्मणोंको फिर भी यदि कोई जन्माशौच वा मरणाशौच हो जाय, तो पहले दश दिनवाले अशौचके अन्त होने हीसे

पिछलेका भी अन्त हो जायगा। ब्राह्मण, और बन्दीकृत जो गौके उद्धारके लिये मरें और जो संग्राममें मरें ऐसे मरणका अशौच एक रात्रि होगा। जो योगी परिव्राजक हैं और जिन्होंने रणमें सम्मुख प्राण दिये हैं ऐसे लोग सूर्य्यमण्डलको भेदकर उर्द्ध लोकमें चले जाते हैं। शत्रुओंसे घिरकर जो वीरपुरुष जिस जगह आहत हो और मरते मरते कातर वचन मुखसे न निकाले, तो वह अक्षयपुण्यलोकपाता है। युद्धमें वीरपुरुष यदि जयलाभ करें तब तो लक्ष्मी हाथ आवे और यदि आहत हों, तो सुरलोक और सुराङ्गना मिलें। यह शरीर क्षणविध्वंसी है इसके लिये रणक्षेत्रमें चिन्ता ही क्या? संग्राममें छिन्नभिन्न होकर सेनायें भागने लगें उस समय भी जो उनकी रक्षा करें वे ही यज्ञफल प्राप्त कर सकते हैं। संग्राममें बाण, शक्ति और ऋष्टिसे जिनकी देह क्षतविक्षत हो जाती है, उनका यश देवकन्यायें गाती हैं और उनपर आसक्त हो जाती हैं। रणक्षेत्रमें जो वीरपुरुष आहत होते हैं, उनकी ओर "यह मेरे पति होवेंगे" यह कहते वरकामिनी देवकन्या और नागकन्या दौड़ती हैं। रणक्षेत्रमें जिसके शस्त्रक्षत ललाटसे रुधिर बहकर मुखमें आता है, वह रुधिर मानो समरयज्ञका सोमरस होकर मुखमें जाता है। यज्ञ, तप और विद्याद्वारा ब्राह्मणगण जिस लोकको पाते हैं, धर्म्मयुद्धमें प्राणत्याग किये हुए वीरपुरुष भी उसी लोकको पाते हैं। अनाथ ब्राह्मणकी मृतदेहको जो ब्राह्मण श्मशानमें ले जाते हैं, उनको पदपदमें आनुपूर्विक यज्ञफल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सगोत्र अथवा मित्र नहीं हैं, उसके शव ढोनेसे प्राणायामसे देह शुद्ध हो जाती है। यह सब करनेसे ब्राह्मणोंके शुभकार्य्यमें किसी प्रकारका अकल्याण नहीं होता है। ऐसा कहा है, कि जलमें स्नान करने होसे वे शुद्ध हो जाते हैं। अपना परिवार हो वा परिवार न हो सजातीय हो, उनकी मृतदेहका अनुगमन करनेसे स्नान, अग्निस्पर्श और घृत भोजनके अन्तमें शुद्धिलाभ करते हैं। ब्राह्मण जो अज्ञानतया क्षत्रियकी मृतदेहका अनुगमन करें, तो उसे एक दिनका अशौच होता है और पञ्चगव्य खानेसे शुद्धि होती है। वैश्यजातिकी मृतदेहके अनुगमन करनेसे त्रिरात्रिकी अशुद्धि होती और छः प्राणायाम करनेसे शुद्धि होती है। जो अल्पज्ञानी ब्राह्मण शूद्रकी मृतदेहका अनुगमन करे, तो त्रिरात्रिका अशौच होता है। तीन रात्रिके बाद समुद्रवाहिनी नदीमें जाकर एक सौबार प्राणायाम और घृतभोजन करनेसे ऐसे ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। धर्म्मविद् लोग कहते हैं, कि शूद्रगण मृतदेहका संस्कारकर जबतक किसी जलाशयके अन्ततक प्रतिगमन न करें, तबतक

ब्राह्मण शूद्रका अनुगमन न करें। इसी-लिये ब्राह्मण शूद्रकी मृतदेहका स्पर्श और दाह नहीं करे। शूद्रकी मृतदेहको यदि ब्राह्मण आंखसे देख लेवे, तो सूर्य्यको देखकर शुद्ध हो सकता है, यही पुरातन रीति है।

तृतीय अध्याय समाप्त।

अथ चतुर्थ अध्याय।

अत्यन्त मान, अतिक्रोध, स्नेह अथवा भयसे फांसी लगाकर जो स्त्री अथवा पुरुष प्राणत्याग करते हैं, उनकी जो गति होती है, उसे अब कहते हैं। फांसी लगाकर मरनेसे पीव और रुधिरसे परिपूर्ण और घोर अन्धकारमें डुवाये जाते और उसमें उनको ६० सहस्र वर्षपर्य्यन्त नरक भोग करना पड़ता है। फांसी लगाकर मर जानेवालेका अग्निसंस्कार, तथा जलसे तर्पण नहीं करना चाहिये। उनका अशौच ग्रहण नहीं करना और उनके लिये दुःखसे आंखमें अश्रुसञ्चार भी नहीं करना चाहिये। फांसी लगाकर मरे हुए आदमीके मृत शरीरको जो ले जाते, जो अग्निसंस्कार करते और उनके गलेसे रस्सी खोलते हैं, वे तप्तकृच्छ्र व्रतसे शुद्ध होते हैं, ऐसा प्रजापति भगवानने कहा है। जिन्हें गौ वा ब्राह्मणने मार डाला है अथवा जो फांसी लगाकर मर गये हैं, उनके मृत शरीरको जो ब्राह्मण स्पर्श करते वा जो उसे ढोते और अग्निसंस्कार करते अथवा जो मृतदेहका अनुगमन करते और फांसी लगाकर मरे हुए आदमीका केशच्छेदन करते हैं, वे सभी तप्तकृच्छ्रव्रत और ब्रह्मभोज करानेसे शुद्ध होते हैं। वे वृषसहित गोदक्षिणा ब्राह्मणको देवें। तीन दिन उष्ण जल, तीन दिन उष्ण दुग्ध और तीन दिन उष्ण घृत पान करें एवं तीन दिन वायु भक्षण करके रहें। जो ब्राह्मण अनिच्छासे पतितादिके साथ आहार व्यवहार करते हैं— पांच दिन, दश दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन एक महीना, दो महीना, छः महीना, एक वर्ष अथवा उससे ऊपर आहार व्यवहार करनेसे वह भी पतित हो जाता है।

एक पक्ष यदि पतितोंके साथ आहार व्यवहार करे, तो त्रिरात्रि, दो पक्षमें कृच्छ्रव्रत, तृतीय पक्षमें कृच्छ्रसान्तपनव्रत, चतुर्थ पक्षमें दशरात्रव्रत, पञ्चमपक्षमें पराकव्रत, षष्ठपक्षमें चान्द्रायणव्रत, सप्तमपक्षमें दो चान्द्रायणव्रत, और अष्टम पक्षमें छः मासका कृच्छ्रव्रत करना होगी। इससे अधिक दिन पतितके साथ आहार व्यवहार करनेसे जितने ही पक्ष होगा उतने ही सुवर्ण (मुद्रा) दान करना होगी। ऋतु स्नानकर जो स्त्री अपने पतिके पास नहीं जाती है, वह नरकमें पड़ती है और अनेक जन्म वैधव्य-दुःख पाती है। स्त्रीके ऋतुस्नान करनेपर जो पुरुष स्त्रीके पास नहीं जाते हैं, उन्हें भ्रूणहत्याका पातक लगता है, यह निश्चय

जानना। अपतिता एवं अदुष्टा युवती स्त्रीको जो छोड़ देते हैं, वे सात जन्म स्त्रीका जन्म धारणाकर वारवार वैधव्य-दुःख भोगते हैं। स्वामी यदि दरिद्र, व्याधिग्रस्त अथवा मूर्ख क्यों न हो, उसे यदि स्त्री अनादरकी दृष्टिसे देखे, तो वह मरनेके बाद सर्पिणी होती और बार बार वैधव्य-दुःखको पाती है। जलप्रवाहसे अथवा वायुप्रेरित होकर जैसे कोई बीज दूसरेके खेतमें पड़कर अङ्कुरित होता और वह जैसे खेतवाले हीके अधिकारमें रहता है, किन्तु बीज-वालेका कुछ स्वत्व नहीं रहता, उसी भांति दूसरेकी स्त्रीके गर्भमें उत्पादित दोनो प्रकारके पुत्र अर्थात् कुण्ड और गोलक ये स्त्री स्वामी हीके अधिकारमें होंगे, किन्तु सम्भोगकर्त्ताका उनमें कुछ भी स्वत्व नहीं होगा। यदि पतिके जीते जो स्त्री पर-पुरुषसे पुत्रोत्पादन करे, तो वह कुण्डपुत्र कहलाता है और पतिके मर जानेपर यदि स्त्री परपुरुषसे पुत्रोत्पादन करे, तो उसका नाम "गोलक" है। पुत्र चार प्रकारके हैं— औरस, क्षेत्रज, दत्तक और कृत्रिम। माता वा पिता जिस पुत्रको दूसरेको दे देते हैं, उसका नाम दत्तक है। परिवित्ति, परि-वेत्ता, जिस कन्याके साथ परिवेदन होता है, जो कन्यादान करते हैं और जो पुरो-हिती करते हैं, ये पांचो आदमी नरकगामी होते हैं। ज्येष्ठ भाईके अविवाहित रहते जो विवाह और अग्निहोत्र कर लेते हैं, उनको परिवेत्ता कहते और अविवाहित ज्येष्ठ भाईको परिवित्ति कहते हैं। परि-वित्तिको दो कृच्छ्र, कन्याको एक कृच्छ्र, कन्यादाताको कृच्छ्रातिकृच्छ्र और पुरो-हितको चान्द्रायण करना होगा। यदि जेठा भाई कुबड़ा, वामन, नपुंसक, वागड़, जड़, जन्मान्ध, बहरा अथवा गूंगा हो, तो उसके अविवाहित रहनेपर भी यदि छोटे भाईका विवाह हो जाय, तो कोई दोष नहीं। जेठा भाई यदि पितृव्य पुत्र हो, सौ-तेला भाई अथवा परस्त्री-गर्भसे पिताका औरस पुत्र हो, तो उसके रहते छोटे भाईका विवाह और अग्निहोत्र दूषित नहीं है। जेठा भाई यदि विवाह करना नहीं चाहे, तो उसकी अनुमति लेकर छोटा भाई अपना विवाह कर सकता है, ऐसा शङ्खमुनि कहते हैं। जिस पुरुषके साथ कन्याका विवाह स्थिर हो गया हो और वह पुरुष यदि निरुद्देश हो जाय, मर जाय त्यागी हो जाय, नपुंसक हो जाय वा पतित हो जाय, तो इन पांचो आपत्तिमें कन्याका दूसरे पतिसे विवाह हो सकता है। पतिके मर जानेपर जो स्त्री ब्रह्म-चर्यसे रहे, तो मरनेपर जिस पदको ब्रह्मचारी पाते हैं, उसी पदको वह स्त्री भी पाती है। पतिके मर जानेपर जो स्त्री पतिके साथ सती होती है, मनुष्यके शरीरमें साढ़े तीन कोटि रोम हैं इतने-दिन वह स्त्री स्वर्गमें रहती है। जैसे व्याल-

ग्राही पुरुष सर्पको बिलसे जबर्दस्ती खींच लेते हैं, वैसे ही स्वामीके साथ मरी हुई स्त्री पतिको हठात् उद्धारकर पतिके साथ स्वर्गसुख भोगती है।

चतुर्थ अध्याय समाप्त।

अथ पञ्चम अध्याय।

कुत्ता, भेड़िया शृगाल आदि यदि ब्राह्मणको काट ले, तो ब्राह्मण स्नानकर पवित्र वेदमाता गायत्रीका जप करें; अथवा और लोग गोशृङ्गोदकसे अथवा महानदी सङ्गममें स्नान करें वा समुद्र दर्शन करें, तो शुद्ध होंगे। वेद, विद्या, और व्रतकी समाप्तिके बाद ब्राह्मणको यदि कुत्ता काट ले, तो वह सुवर्णजलसे स्नानकर और घृत भोजनकर शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण कोई व्रत करता हो और उस समय यदि कुत्ता उसे काट ले, तो व्रती तीन रात्रि उपवासकर बचे दिनमें घृत और कूपोदक पीकर व्रत समाप्त करें। ब्राह्मण व्रतनिष्ठ वा व्रतहीन चाहे जो हो उसे यदि कुत्ता काट ले, तो तीन ब्राह्मणोंको प्रणामकर और ब्राह्मणकी दृष्टि अपने ऊपर कराकर शुद्ध हो जायगा। कुत्ता यदि देहको सूंघ ले, चाट ले,अथवा नखसे चिह्नित कर दे, तो उस स्थानको जलसे धो देने वा आगसे स्पर्श करा देनेसे शुद्धि हो सकती है। यदि ब्राह्मणीको स्यार वा कुत्ता काटे, तो ब्राह्मणी चन्द्रमा वा नक्षत्रोदय देखके तुरन्त शुद्ध हो जाती है। कृष्ण पक्षमें यदि चन्द्रमा नहीं दीख पड़े, तो जिस ओर चन्द्रमाकी गति हो उधर ही देखकर ब्राह्मणी शुद्ध हो जाती है। जिस गांवमें कोई ब्राह्मण न हो और उस गांवमें किसी ब्राह्मणको कुत्ता काट ले, तो वह स्नान एवं वृक्षको प्रदक्षिणाकर तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। साग्निक ब्राह्मण गौ, ब्राह्मण, चण्डाल वा राजासे हत हों, तो बिना मन्त्रके लौकिक अग्निसे उनका मृत संस्कार करना चाहिये, किन्तु उक्त रूपसे मरे हुए ब्राह्मणकी मृतदेहको सपिण्ड ब्राह्मण यदि सर्वतोभावसे ढोवें, संस्कार करें वा स्पर्श करें, तो वे प्राजापत्य व्रत करें और ब्राह्मणकी अनुमति लेकर, उस मृत देहकी दग्धाग्निको लेकर फिर दूधसे बुझावें, इसके बाद उसकी हड्डी लेकर अपनी आगसे मन्त्रके साथ फिर जलावें। आहिताग्नि ब्राह्मण यदि विदेशमें जाकर कालवश हो जांय, तो उनके तो घर हीमें आग है। हे मुनिगण! अब इनके श्रौत अग्निहोत्र संस्कार-विधि सुनिये,—कुश और मृगचर्म बिछाकर कुशकी एक पुरुषाकृति बनावे। इसके बाद सात सौ पलाशकी टहनियां लावे। इनमें मृत आहिताग्नि ब्राह्मणके मस्तकमें ४०, कण्ठमें ६०, दोनो बाहुओंमें १००, अङ्गुली समूहमें

१०, छातीमें १००, पेटपर ३०, दोनों वृषणोंमें ८, मेढ़में ५, जङ्घामें २१, घुटने और पिंडुलीमें २०, और चरणाङ्गुली समूहमें ५० पलाशकी टहनियोंके पत्ते भी रखते जाना। लिङ्ग और वृषणोंपर शमीकी अरणी बनाकर रख देना चाहिये। दाहने हाथमें स्रुवा, बायें हाथमें उपभृद्, कानमें उखल, पीठपर मूसल, छातीपर पत्थर, मुंहमें चावल घी और तिल देवे। फिर कानमें प्रोक्षणी और दोनों आंखोंमें आज्यस्थाली देना चाहिये। इसके बाद कान, आंख, मुख और नाकमें सोनेके टुकड़े देकर सम्पूर्ण अङ्गोंमें और और अग्निहोत्रके उपकरणपात्रको देना। अन्तमें मृत अग्निहोत्रीका पुत्र, भाई अथवा और कोई जो स्वधर्मी हो वह "असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" इस मन्त्रको पढ़ता हुआ घृताहुति करे। जो विचक्षण हों वे दहन कार्य्यके विषयमें जो कुछ कहा गया है उन सबोंको अवश्य करेंगे। उक्त प्रकारसे कार्य्य करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण ऐसा दाह करते हैं, वे परमगतिको पाते हैं और जो अपनी बुद्धिसे मनमानी कुछ और ही भांति करते हैं, वे अवश्य अल्पायु और नरकगामी होते हैं।

इति पञ्चम अध्याय समाप्त।

अथ षष्ठ अध्याय।

प्राणिहत्यासे किस प्रकार मनुष्य छुटकारा पा सकता है, उसका विवरण अब कहा जाता है। पराशर भगवान् पहले ही इन बातोंको कह चुके हैं और मनुसंहितामें भी सविस्तर वर्णन है। हंस सारस, बक, चक्रवाक, मुरगा, बतख और सामाका प्राणघात करनेसे एक दिन एक रात्रि उपवास करनेसे शुद्धि हो जाती है।

बगुली, टिटिहिरी, तोता, कबूतर, मुरगाबी और बक प्रभृतिकी हत्या करनेसे दिनभर उपवास करे और रात्रिको भोजन करे, तो हत्यादोषसे विमुक्ति हो जाता है। भास, कांक, कपोत, मैना और तीतरी इनको घात करनेवाला प्रातःकाल और सायङ्काल जलमें खड़ा होकर प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जाता है। गिद्ध, बाज, मयूर, शिखिग्राह, चातक और उल्लू इन प्राणियोंके हत्याकारी दिनमें कच्चा अन्न खाकर और रात्रिमें वायु भक्षणकर रह जानेसे शुद्ध हो सकता है। बादुर, चटक, कोयल, खञ्जन, लावा, शुक इन प्राणियोंके प्राणघात करनेवाला दिनमें उपवासकर और रात्रिमें भोजनकर शुद्ध हो जाता है। कारण्डव, चकोर, पिङ्गल कुरा और भारद्वाज इन पक्षियोंका प्राणघात करनेसे शिवपूजाकर शुद्धि हो जाती है। भेरुण्ड, सेन, भास, पारावत

और कपिञ्जल इन पक्षियोंका प्राणघात करनेसे अहोरात्र उपवास करनेपर हत्यासे विमुक्त हो सकता है। नकुल, बिड़ाल, सांप, अजगरसांप, गेंड़ासांप और कुत्ता इन प्राणियोंका प्राणघात करनेसे लोहदानकर ब्राह्मणको तिल भोजन कराकर शुद्धि लाभ कर सकता है। साहिल, खरगोश, गोह, मछली, और कछुआ इन प्राणियोंके प्राणघात करनेपर अहोरात्र बैगन खाकर रहे, तो शुद्धिलाभ कर सकता है। भेड़िया, स्यार, भालु और तेंदुआ इनको घात करनेवाला ब्राह्मण तीन दिनतक वायु भक्षणकर एकप्रस्थ तिलदानकर शुद्ध हो सकता है। हाथी, गवय, घोड़ा, महिष और ऊंट इनके हत्याकारी सप्त रात्रि उपवासकर अन्तमें ब्राह्मणको सन्तुष्टकर शुद्ध हो जाते हैं। मृग, रुरुमृग और शूकर इन प्राणियोंको अज्ञानतया विनाश करनेवाला पुरुष हलसे विना जोती हुई जगहमें उपजे हुए शस्यको ही केवल भक्षणकर अहोरात्र रहकर शुद्ध हो जा सकता है। ऐसे ही और भी वनके जो चतुष्पाद जन्तु हैं, उन्हें वध करनेसे अहोरात्र उपवासकर वह्निवीज जपनेसे शुद्धि होती है। जो कोई शिल्पजीवी, कारु, शूद्र और स्त्रीकी हत्या करे, तो वह दो प्राजापात्यव्रत और ग्यारह वृष दक्षिणा करनेपर शुद्ध होता है। विना अपराध ही क्षत्रिय वा वैश्यको विनाश करनेसे दो अतिकृच्छ्रव्रतकर बीस गोदक्षिणा करनेसे पातक छूटता है। यज्ञक्रियासक्त वैश्य और शूद्र एवं क्रियाहीन ब्राह्मणको वध करनेसे चान्द्रायण व्रत करने और ब्राह्मणको तीस गोदक्षिणा देनेसे पातक विमुक्ति होती है। यदि क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र कोई इतर जाति चाण्डालका नाश करे, तो आधा कृच्छ्रव्रत करके शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण यदि चोर अथवा श्वपाककी हत्या करे, तो अहोरात्र उपवास करके प्राणायाम करनेपर शुद्ध हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मण, चाण्डाल और श्वपाकके साथ बातचीत करे, तो वह ब्राह्मणोंके साथ आलाप और गायत्री जप करे, तो शुद्ध हो सकता है। चाण्डालके साथ एक बिस्तरेपर सोनेसे ब्राह्मण त्रिरात्र उपवास करके शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्राह्मण चाण्डालके साथ रास्तेमें चलें, तो गायत्री स्मरण करके वे शुद्ध हो जाते हैं। चाण्डालका दर्शन करनेसे सूर्य्यकी ओर देख लेनेसे शुद्ध हो जाते हैं। चाण्डालसे स्पर्श होनेपर सवस्त्र स्नानकर करना। अज्ञानतामें जो ब्राह्मण, चाण्डालके पोखरी, खात वा दीर्घिकाका जल पी लेवे, तो एक रात्रि और एक अहोरात्र उपवास कर शुद्ध हो सकता है। चाण्डालके भाण्डसे स्पर्शित किसी कूपजलको पी लेनेसे ब्राह्मण तीन रात्रि गोमूत्र और जव खाकर रहे, तो शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञानतया किसी चाण्डालके जलपात्रसे जलपान

कर ले और चाण्डालका पात्र जानकर पिये हुए जलको तत्क्षण ही वमन कर दे, तो प्राजापत्य व्रतकर शुद्ध हो जाता है और यदि पिये हुए जलको वमन नहीं करे अपिच पचा डाले, तो उसकी शुद्धि केवल प्राजापत्यव्रत करनेसे ही नहीं होगी, उसे कृच्छ्रसान्तपन व्रत करना होगा। जिस प्रायश्चित्तमें ब्राह्मणको सान्तपनव्रत करना चाहिये उस जगह क्षत्रिय प्राजापत्यव्रत करे; वैश्य अर्द्धप्राजापत्य और शूद्रको एक पाद प्राजापत्यव्रत करना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भ्रमसे अन्त्यजजातिके पात्रका जल, दही वा दुग्ध पी लेवे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य तो उपवासकर ब्रह्मकूर्चव्रत और उपवाससे शुद्ध होते हैं और शूद्र केवल उपवासकर यथा शक्ति दान करनेसे प्रायश्चित्त विमुक्त होता है। ब्राह्मण यदि अज्ञानतासे चाण्डालका अन्न खा ले, तो दश रात्रि केवल गोमूत्र और यावक आहार कर रहनेसे शुद्ध होता है। इस दश दिनोंमें प्रतिदिन गोमूत्र और यावक एक एक ग्रास भक्षणकर नियमपूर्व्वक व्रत समाप्त करना चाहिये। यदि किसी ब्राह्मणके घरमें कोई चाण्डाल रहता हो और गृहवासी लोगोंको नहीं मालूम हो, कि यह चाण्डाल है और पीछे मालूम हो तो ब्राह्मण आगे कहे हुए उपसन्यास करके उसपर अनुग्रह कर उसको पापविमुक्त कर देंगे, क्योंकि ऋषिमुखसे सुना गया और वेदपावन धर्म्म सबोंकी रक्षा करता है। तब उस धर्म्मके जाननेवाले ब्राह्मण अवश्य पतितोंका भी उद्धार कर सकते हैं, उपसन्यास—उक्त धर्म्म-मर्म्मज्ञ ब्राह्मणोंके साथ मिलकर दही, घी और दुग्धके साथ तिलान्न भोजन करे और त्रिकाल स्नान करे। तीन दिन दूध सहित, तीन दिन दही सहित और तीन दिन घी सहित गोमूत्रयुक्त तिलान्न खाना होगा। भावदुष्ट, क्रमिदूषित और उच्छिष्ट द्रव्य नहीं खाय। दही और दूध तीन पल और घी एक पल मात्र खाय। भवनस्थित ताम्रपात्र और कांस्यपात्र भस्मसे मलनेपर शुद्ध होता है, वस्त्र जलसे धो लेनेपर शुद्ध हो जाता है और मृण्मय पात्रको छोड़ दे। इन सबोंकी शुद्धि करनेपर घरके द्वारपर कुसुम्भ, गुड़, कपास, लवण, तैल, घृत और धान्य इन चीजोंको रखकर घरमें आग लगाकर घरको जला देवे। जब ये सभी शुद्ध हो जांय, तब घरमें ब्रह्मभोज कराना होगा। ब्राह्मणको तीस गौ और एक वृष दान करना होगा। फिर उस स्थानको लीप पोतकर हवन और जप कराना होगा। तब वह घर शुद्ध हो जायगा, क्योंकि ब्राह्मणगण जहां बैठ जाते हैं, उस जगहमें कोई दोष नहीं रह जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके घरमें अपरिचित धीविन, चमा-

दिन, लुब्धकी और पुक्कसी चली आवे और पीछे मालूम हो जाय, कि यह अमुक है, तो पूर्व्वोक्त गृहशुद्धिमें जो जो विधान हैं, उनको आधा करना होगा,—केवल घर नहीं जलाना होगा। किसीके घरमें यदि चाण्डाल प्रवेश करे, तो उस घरकी सभी चीजोंको निकालकर फेंक देवे, पर जिन भाण्डोंमें घी, तेल आदि रसद्रव्य होगा, उसको नहीं फेंकना चाहिये। इन भाण्डोंको गोरससे मिले जलसे सर्वांश धो लेना होगा। ब्राह्मणके घावमें कीड़े पड़ जांय, तो उसके लिये जो प्रायश्चित्त है, उसे सुनो—तीन दिनोंतक दही, दूध, घी गोमूत्र और गोमयसे स्नान करे और इन चीजोंका पान करे, तो कृमिदूषित ब्राह्मण शुद्ध होता है। उक्त अवस्थामें यदि क्षत्रिय हो, तो पांच माशा सुवर्ण दान करे, वैश्य हो, तो एक दिन उपवास करे और एक गो दक्षिणा दे और शूद्र हो, तो उसे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं,—वह केवल पञ्चगव्यपान, ब्राह्मणको नमस्कार और दानकर शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मणको शूद्र नमस्कार करे, तो ब्राह्मण कहे, कि "अच्छिद्रमस्तु" यह वाक्य पृथिवीके देवतामात्रको प्रसन्न कर देता है। ब्राह्मणको प्रणामकर आशीर्वाद शिरोधार्य्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे अग्निष्टोमका फल मिलता है। शूद्रके कोई व्याधि, व्यसन, श्रान्ति, दुर्भिक्ष और डामर प्रभृति उपस्थित होनेपर उपवास, व्रत और होम आदि उस ब्राह्मणसे करावे अथवा ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर आप ही उसके सभी कामोंको कर देवें। ब्राह्मणोंके आशीर्वाद लेनेसे सम्पूर्ण धर्म्मोंका फल होता है। दुर्बल, बालक और वृद्धपर दया करना ब्राह्मणका परम कर्त्तव्य है। इनको छोड़कर औरोंपर अनुग्रह करनेसे दोष होता है, क्योंकि वैसी दया फलवती नहीं होगी। जो ब्राह्मण, स्नेह, लोभ, भय, और अज्ञानवश अनुपयुक्त पात्रपर अनुग्रह करते हैं, तो अनुगृहीत पुरुषका सभी पाप उस ब्राह्मणके शिरपर आ बैठता है। जो ब्राह्मण प्राणनाशके सम्भावना स्थलमें प्रायश्चित्तका विधान करते हैं। जो भारी कार्य्यके ख्यालसे अच्छे सुस्थपुरुषको नियम पालन करनेका निषेध करते हैं और जो मूढ़ व्यक्ति सुस्थ शरीरवालेके लिये उनका नियम आप पालन करते हैं, वा ऐसा करनेको जो विधान करते हैं, वे सभी प्रकृत प्रायश्चित्तमें विघ्नकर्त्ता कहे जाते हैं और अपवित्र नरकमें पड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मणका अपमान करते हैं, वे व्रतनियमके योग्य नहीं हैं और उनका उपवास व्यर्थ है। उनको इन सबोंका पुण्य लाभ नहीं होता। ब्राह्मण जिस प्रकार व्यवस्था दें, उसी प्रकार करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मणके वाक्यको नहीं पालन करते हैं, उनको ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तका भागी होना

पड़ता है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थदर्शन, जप और तपस्या प्रभृतिको जो व्यक्ति ब्राह्मणद्वारा सम्पन्न कराते हैं, उन्हींका सम्पूर्ण कार्य्य सफल होता है। ब्राह्मणद्वारा कार्य्य सम्पन्न होनेसे—व्रतच्छिद्र, तपश्छिद्र और यज्ञछिद्र कुछ भी नहीं रहेगा और जो कुछ कार्य्य होगा सभी निर्दोष होगा! ब्राह्मण देवता सर्वकामद जनरहित जङ्गम तीर्थस्वरूप हैं। उनके वाक्यरूप जल हीसे पापकलुषित मलिनपुरुष पवित्र होता है। ब्राह्मणके मुखसे जो वाक्य निकलता है, वह देववाक्य है। वे सर्वदेवमय हैं। उनका वाक्य कभी निष्फल नहीं होता है। यदि अन्न आदि कीटसंयुक्त अथवा मक्खी और कीटादिसे दूषित हो जाय, दूषित हो नहीं हो, किन्तु अन्नमें भक्ष भी हो जाय, तो भोजनके समय उस अन्नको जलसे धोकर तब स्पर्श करे। ब्राह्मण यदि भोजन करनेके समय चरणपर हाथ रखकर भोजन करे और यदि वह भोजन-पात्रमें हाथ न रखे हो, तो उसका भोजन करना उच्छिष्ट भोजन करना है। किसीके जूठे पात्रमें भी भोजन करना उच्छिष्ट ही खाना है। पांवमें पादुका पहनकर वा बिस्तरेपर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये। यदि किसी भोज्यवस्तुको कुत्ता अथवा चाण्डाल देख ले, तो उस अन्नको छोड़ देना चाहिये। पक्वान्न और शुद्ध तथा अशुद्ध अन्नका विचार जैसे पराशर भगवान्ने कहा है, उसीके अनुसार मैं तुम लोगोंसे कहता हूं। द्रोणपरिमित वा आढ़कपरिमित अन्न काक वा कुत्ता जूठा कर दे, तो उसकी शुद्धि कैसे होगी, यह ब्राह्मणसे जाकर पूछे। उस समय धर्म्मशास्त्रपालक और वेदवेदाङ्गके जाननेवाले ब्राह्मण यह आज्ञा दें, कि यदि काकने द्रोणान्न वा आढ़कान्नको उच्छिष्ट कर दिया हो, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिये। ३२ प्रस्थका एक द्रोण होता है और २ प्रस्थका एक आढ़क होता है। श्रुति स्मृतिविशारद पण्डितगण इस बत्तीस प्रस्थपरिमित अन्नको द्रोणान्न और दोप्रस्थपरिमित अन्नको आढ़कान्न कहते हैं। जिस अन्नमें काक वा कुत्ता मुख डाल दे अथवा गौ वा गर्दभ उसे सूंघ ले और वह अन्न अल्पपरिमित हो, तब उसे परित्याग कर देना चाहिये। यदि वह अन्न द्रोणान्न वा आढ़कान्न हो, तो अशुद्ध वा त्याज्य नहीं होता। इस अन्नमें जिस जगह काक वा कुत्तेने मुख दिया हो, वहांसे कुछ अंश निकाल दे और जिसमें मुख न दिया हो वा जो अंश दूषित न हुआ हो उसे सुवर्णस्पृष्ट जलसे धोकर आगसे फिर गर्म कर ले। अग्नि और सुवर्णजलस्पृष्ट एवं ब्राह्मणके वेद घोष द्वारा पवित्र होनेसे वह अन्न तत्क्षणात् भोजनयोग्य हो जाता है।

षष्ठ अध्याय समाप्त।

सप्तम अध्याय।

अब पराशर भगवान्‌के वचनानुसार द्रव्यशुद्धि विधान कहा जाता है। काठके बने हुए पात्रको ऊपरसे छील देने हीसे वह शुद्ध हो जाता है। यज्ञमें व्यवहार किये हुए पात्रको हाथसे पोंछ देने हीसे वह शुद्ध हो जाता है। ग्रह और चमस जलसे धो देने हीसे शुद्ध हो जाते हैं। चरु और स्रुवा आदि यज्ञपात्र उष्ण जलसे धो देनेसे शुद्ध होते हैं। कांस्यपात्र भस्मसे और ताम्रपात्र खटाईसे मल देनेसे शुद्ध हो जाता है। यदि स्त्री परपुरुषगामिनी न हो, तो रजस्वला होने हीसे पवित्र हो जाती है। कोई स्थान यदि मल संलग्न न हो, तो नदी वेगसे वह परिशुद्ध हो जाता है। यदि वापी, कूप और तड़ागादिका जल किसी कारण दूषित हो जाय, तो उनमेंसे १०० घड़ा पानी निकाल देने और उनमें पञ्चगव्य छोड़ देने हीसे जल शुद्ध हो जाता है। आठ वर्षकी लड़कीको गौरी, नव वर्षकी लड़कीको रोहिणी और दश वर्षकी लड़कीको कन्या कहते हैं। दश वर्षसे ऊपर हो जानेसे लड़की रजस्वला हो जाती है। कन्याकी उमर बारह वर्षकी हो जाय और उस समयतक यदि उसका विवाह न कर दिया जाय, तो उसके पिताके पितृगण महीने महीने उस कन्याके ऋतुशोणितको पीते हैं। कन्याको अविवाहितावस्थामें रजस्वला होती देखनेसे उसके माता, पिता और बड़ा भाई तीनो ही नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण अज्ञानमुग्ध होकर इस कन्यासे विवाह करते हैं, वे शूद्रापतिके तुल्य हो जाते हैं। उस ब्राह्मणके साथ एक पंक्तिमें बैठकर कोई भोजन न करे तथा उससे कोई सम्भाषण भी न करे। जो ब्राह्मण शूद्रा नारीके साथ एक रात्रिमात्र सहवास करे, वह तीन वर्षतक भिक्षान्न खाकर रहे और जप करे, तो शुद्ध होता है। सूर्य्यास्तके बाद कोई ब्राह्मण चाण्डाल, पतितव्यक्ति और सूतिका स्त्रीका स्पर्श करनेसे किस भांति शुद्ध हो सकता है, इसका विधान आगे कहते हैं,— अग्नि सुवर्ण वा चन्द्रमार्ग देखकर ब्राह्मणकी अनुमति कर स्नान करनेपर शुद्ध हो जाता है। यदि दो ब्राह्मण कन्या रजस्वलावस्थामें एक दूसरेको स्पर्श कर लें, तो दोनो ही तीन रात्रि निराहार रहें, तो शुद्ध होती हैं। यदि ब्राह्मणकी कन्या और क्षत्रियकी कन्या उक्त अवस्थामें एक दूसरेको स्पर्श कर लें, तो ब्राह्मणी अर्द्धकृच्छ्र और क्षत्रियाणी चतुर्थांश कृच्छ्रव्रत करें, तो दोनो शुद्ध होती हैं। यदि ब्राह्मणी और वैश्या उक्तावस्थामें एक दूसरेको छू लें, तो ब्राह्मणी पादोन कृच्छ्र और वैश्या चतुर्थांश कृच्छ्रव्रत करें, तो शुद्ध हों। यदि ब्राह्मणी और शूद्रा उक्तावस्थामें परस्पर स्पृष्ट हों, तो ब्राह्मणी सम्पूर्ण कृच्छ्रव्रत और शूद्रा केवल दानकर शुद्ध हो जाती है। रज-

स्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करनेपर शुद्ध तो हो जाती है, पर रजोनिवृत्ति होने ही-पर दैवकर्म्म, पितृकर्म्म आदि कर सकती है। जिस स्त्रीको किसी रोगके कारण नित्य रजःस्राव हो, तो वह स्त्री रजोयोगसे अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि वह रजःप्रवृत्ति प्राकृतिक नहीं है। रजस्वला स्त्री पहले दिन चाण्डाली, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या-दोषवाली, तृतीय दिन धोबिन तुल्या और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। रोगिणी स्त्रीके ऋतुस्नानका दिन आनेपर कोई अनातुर व्यक्ति दशबार स्नान करे और प्रतिवार उस रोगिणीका स्पर्श करे। इस भाँति दशबार रोगिणी स्त्रीको स्पर्श करनेसे वह शुद्ध हो जायगी। ब्राह्मण यदि कुत्ते वा उच्छिष्टयुक्त शूद्रसे स्पृष्ट हो जाय, तो वह एक रात्रि उपवास कर पञ्चगव्य पान करनेसे शुद्ध हो जाता है। शूद्र उच्छिष्टयुक्त न हो, उस अवस्थामें उससे यदि ब्राह्मणका स्पर्श हो जाय, तो ब्राह्मण स्नानकर शुद्ध हो जाता है, किन्तु उच्छिष्टयुक्त शूद्र यदि ब्राह्मणको छू ले, तो ब्राह्मणको प्राजापत्यव्रत करना होगा। यदि सुरासे लिप्त न हो, तो भस्मसे कांस्यपात्र पवित्र हो जाता है, पर यदि कांस्यपात्र सुरालिप्त होगा, तो आगमें तपानेसे वह पवित्र होता है। कांस्य पात्र-को यदि गौ सूंघ ले अथवा उसमें कुत्ता वा काक मुंह लगा दे, तो उसे दशबार चारसे मलनेपर वह शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्यपात्रमें कोई कुल्ला कर दे वा पांव धोवे, तो उस कांस्यपात्रको ६ महीने जमीनमें गाड़ दे, उसके बाद निकालकर उसे काममें लावे। लोहेके पात्र एक स्थानसे दूसरे स्थानपर कर देने हीसे शुद्ध हो जाते हैं। शीशेको आगसे छुआ देनेसे वह शुद्ध हो जाता है। दांत, हड्डी, सींग रूपे और सोनेके पात्र, मणिमय पात्र और पाषाणमय पात्र जलसे धो देने हीसे शुद्ध हो जाते हैं। पाषाणमयपात्रोंको फिर मांज लेना ही उचित है। मृण्मय पात्रको जला लेने हीसे वह शुद्ध हो जाता है। धान्यको मलकर साफ कर देने हीसे; वह शुद्ध होता है। बहुत धान्य वा बहुत वस्त्र अपवित्र हो जांय, तो जलका छींटा उनपर दे देनेसे वे शुद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त पदार्थ थोड़े हों, तो उन्हें धो लेना होगा। वंश, वल्कल, छिन्नवस्त्र, पट्टवस्त्र, कार्पासवस्त्र, ऊनीवस्त्र, रेशमीवस्त्र इन सबोंको जलसे धो देनेपर वे शुद्ध होते हैं। तोशक, तकिया आदि और रक्त और पीतवस्त्रको धूपमें सुखाकर धो देने हीसे ये शुद्ध हो जाते हैं।—मूञ्ज, झाड़ू, सूप, अन्नपर शान धरनेका फलक, चाम, तृण, काष्ठ आदि और बांधनेका रस्सा ये सब पदार्थ जलसे धो लेनेसे शुद्ध होते हैं। मार्जार, मक्षिका, कीट, पतङ्ग, कृमि और मेढ़क आदि सदा ही पवित्र अपवित्र वस्तुओं स्पर्श किया करते हैं। इनसे कोई वस्तु

उच्छिष्ट नहीं होती है,—इसे मनु भगवान्ने कहा है। जो जल जमीनको स्पर्श करके चला गया हो, जो जल दूसरे जलके साथ मिल गया हो, वह जल यदि किसीका जूठा भी हो, तब भी पवित्र ही गिना जायगा, क्योंकि इस भांतिका द्रवजल अपवित्र नहीं होता है। मनुजीने इसकी व्यवस्था दी है। पान, ईख, जिससे तेल निकले ऐसा फल, अनुलेपन, मधुपर्क और सोमरस ये सब उच्छिष्ट नहीं होते हैं, मनुजीने ऐसी व्यवस्था दी है। रास्तेका कादा, जल, नौकापथ तथा और पकी हुई ईंट इनमें वायु और धूप लगनेसे ये शुद्ध हो जाते हैं। वायुसे उड़ी हुई धूलि और फैली हुई जलधारा दूषित नहीं होती। स्त्रीजाति चाहे बालिका हो चाहे वृद्धा हो वह कभी अपवित्र नहीं होती। छींकने, थूकने अथवा किसी अङ्गमें हाथ लग जाने, बात झूठ हो जाने, और पतितके साथ बातचीत करनेपर दहिना कान छू लेना चाहिये। इसका कारण यह है, कि अग्नि, जल, वेद, इन्द्र, सूर्य्य और वायु ये लोग ब्राह्मणके दाहिने कानमें सदा ही वास करते हैं। मनुजी तो कहते हैं, कि प्रभासक्षेत्र आदि तीर्थ समूह और गङ्गा आदि सभी नदियां ब्राह्मणोंके दाहिने कानके समीप सदा ही रहती हैं। देशमें विप्लव होने और दुर्भिक्ष पड़ने परदेश जाने, किसी पीड़ा आदिकी अवस्थामें और विपत्ति पड़नेपर पहले किसी भांति अपनी देहकी रक्षा कर ले और पीछे धर्म्मानुष्ठान करे। विपत्तिके समय चाहे कठोरता वा कोमलतासे किसी भांति दीन आत्माका उद्धार करे। पीछे जब समर्थ होवे, तो अपना धर्म्मानुष्ठान कर ले। जिस समय विपन्नावस्था आ जाय, उस समय शौचाचारपर ध्यान देनेका कोई प्रयोजन नहीं है। विपत्तिमें प्रथम अपनी आत्माकी रक्षा करना चाहिये। सुस्थ हो जानेपर पीछे धर्म्माचरण कर लेने हीसे काम चल जायगा।

इति सप्तम अध्याय समाप्त।

अष्टम अध्याय।

यदि बंधे बंधे वा जोतनेमें किसी बैलकी मृत्यु हो जाय और उस मृत्युमें कोई कामना न हो, तो उस अकामकृत पापका किस भांति प्रायश्चित्त होगा, वही अब कहा जाता है। जो ब्राह्मण वेद वेदाङ्गवेत्ता, धर्म्मशास्त्र पारदर्शी और अपने कर्त्तव्यकर्म्ममें निरत हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको उल्लिखित स्थलमें केवल निजकृत पापका विषय परिषद्के समीप निवेदन करना होगा। ऐसे स्थलमें कैसी अवस्थामें परिषद्के समीप उपस्थित होना पड़ता है उसका लक्षण लिखते हैं, क्योंकि यथारीति उपस्थित होने हीसे परिषद् उसे व्रतका उपदेश देंगी। यदि पापीने निश्चय ही पाप किया है ऐसा उसके मनमें

तुरन्त जंच जाय, तो परिषद्‌के समीप जानेके पहले भोजन कदापि न करे। जहां परिषद्‌तक नहीं वहां यदि सभामें आनेके प्रथम भोजन कर ले, तो उसका पाप द्विगुण बढ जाता है। मैंने पाप किया है, यदि ऐसा सन्देह हो, तो जबतक पाप करने वा न करनेकी बात निश्चय न हो जाय तबतक भोजन न करे। भ्रमसे ऐसा निश्चय न कर ले, कि मैंने पाप नहीं किया है, क्योंकि भ्रमसे किसी बातका सिद्धान्त नहीं हो सकता। पाप करके किसी भांति उसे नहीं छिपाना चाहिये, क्योंकि छिपानेसे पाप अधिक बढ़ता है। चाहे पाप भारी हो चाहे हलका हो, उसे धर्म्मवेत्ताओंसे अवश्य ही कह देना चाहिये। जैसे बुद्धिमान् वैद्य पीड़ित पुरुषकी पीड़ा आराम कर देते हैं, उसी भांति धर्म्मवेत्ता लोग भी पापीके पाप दूर होनेका यत्न कर देते हैं। इस भांति प्रायश्चित्त करनेसे लज्जाशील, सत्यनिष्ठ और सरल स्वभाववाला व्यक्ति तुरन्त प्रायश्चित्तसे शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय अथवा वैश्य यदि किसी ऐसे स्थलमें पाप करे, तो वे तुरन्त स्नान कर भीगे कपड़े पहने हुए ही एकाग्र चित्तसे मौनावलम्बन करके व्यवस्थापक सभामें चले जांय। सभाके समीप जाकर पापी तुरन्त ही साष्टाङ्ग जमीनपर पड़ जाय, किन्तु कुछ बोले नहीं। जो ब्राह्मण (सावित्री) वेद अथवा गायत्री, सन्ध्या उपासना नहीं जानते, अग्निमें हवन न करते हों, किन्तु कृषिकर्म्ममें नियुक्त हों वे केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं। मन्त्र तथा व्रतरहित और केवल जातिमात्रोपजीवी ऐसे ब्राह्मण यदि एक हजार एकत्र हो जांय तो भी वह "परिषद्" नहीं कही जा सकती। ज्ञानवञ्चित मूर्ख और धर्म्ममतविमूढ़ व्यक्ति जो कुछ कहते हैं और उस अनर्थवादसे जो कुछ पाप होता है, वह पाप शतधा होकर उन व्यक्तियोंके शिरपर जा पड़ता है जो उनकी बातोंको कहते हैं। धर्म्मशास्त्रका प्रकृतमर्म्म न जानकर जो किसीको प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते हैं, तो उस व्यवस्थासे पापीका प्रायश्चित्त तो दूर हो जाता है, किन्तु पापीका पाप व्यवस्थादाता सभ्यगणके शिरपर जा बैठता है। वेदार्थवेत्ता चार अथवा तीन ब्राह्मण जो कुछ व्यवस्था दें, वही धर्म्मसम्मत व्यवस्था मानी जायगी। पर इनसे भिन्न यदि हजारों आदमी व्यवस्था दें, तो वह धर्म्म कहकर ग्राह्य न होगी। जो ब्राह्मण प्रमाणपथावलम्बन करते हैं अर्थात् सभी बातोंका प्रमाण संग्रहकर जो धर्म्मशास्त्रकी व्यवस्था देते हैं, ऐसे बहुगुणवेत्ता पुरुषोंसे ही पाप डरता है। जैसे पत्थरपर पड़ा हुआ जल वायु और सूर्य्यके उत्तापसे धीरे धीरे सूख जाता है, उसी भांति उक्त ब्राह्मणसमिति या परिषद्‌की आज्ञासे सम्पूर्ण पातक दूर हो जाता है। उक्तलक्षणानुसार व्यवस्था

होनेसे पापकारी अथवा व्यवस्थादाता-गण,—किसीपर वह पाप नहीं आता। सूर्य्यकिरणों और वायुसे जैसे जल सूख जाता है, उसी भांति पाप एकदम विनष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण-गण वेद वेदाङ्गवेत्ता और धर्म्मज्ञ हैं, पर आहिताग्नि नहीं हैं, ऐसे पांच अथवा तीन ब्राह्मण एकत्र हों, तो उसे परिषद कहते हैं। जो लोग मुनि, आत्मज्ञानसम्पन्न यज्ञ करने और करानेवाले, देवव्रतपरायण या स्नातक ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण यदि एक ही हों, तो उसे भी परिषद् कहते हैं। पहले मैं कह चुकाहूं, कि वेदज्ञ पांच ब्राह्मणोंके एकत्र होने हीपर "परिषद्" होगा। पर यदि उक्त लक्षणवाले पांच ब्राह्मण न मिलें, तो वेदका न जाननेवाला भी ब्राह्मण यदि निज वृत्तिसे परितुष्ट हो, तो ऐसे ब्राह्मणके पा जानेपर भी "परिषद्" वो भी जा सकती है। इससे भिन्न जो ब्राह्मण नाम मात्रके ब्राह्मण हैं, ऐसे यदि हजारों ब्राह्मण इकट्ठे हों तब भी वह "परिषद्" नहीं कही जा सकती। जैसे काठका बना हुआ हाथी और चामका बना हुआ मृगा प्रकृत हाथी और मृगा नहीं हैं, उसी भांति केवल नाम मात्रका ब्राह्मण वेदवेदाङ्गसे विहीन मूर्ख ब्राह्मण भी प्रकृत ब्राह्मण नहीं है। जलशून्य गांव वा जलशून्य कूप और अग्निशून्य हवन जैसे व्यर्थ कहा जाता है, उसी भांति मन्त्र-हीन ब्राह्मण भी असार है। जैसे नपुंसकका स्त्रीसम्भोग निष्फल होता है, ऊसर भूमि फलवती नहीं होती और जैसे अज्ञ ब्राह्मणको दान देना निष्फल है, उसी भांति ऋक् वा वेद मन्त्रहीन ब्राह्मण भी निष्फल हैं। चित्र कर्म्ममें जिस भांति अनेक प्रकारके अङ्ग प्रत्यङ्ग यथाक्रम चित्रित होकर परिस्फुट होते हैं, उसी भांति विधि-पूर्व्वक संस्कारसे यथाक्रम ब्राह्मणोंका ब्राह्मणत्व भी प्रकाश होता है। जो ब्राह्मण केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं, वे यदि प्रायश्चित्त विधि दें, तो वे पापकारी ब्राह्मण नरकमें पड़ते हैं। जो द्विजगण वेदपाठ और पञ्चयज्ञ करते हैं, वे ब्राह्मण पञ्चेन्द्रिय विषयासक्त प्राणियोंके आश्रय रूप होकर इन तीनों लोकोंको धारण करते हैं। श्मशानकी अग्नि मंत्रपूत होकर जिस प्रकार सर्व-भुक् होती है, उसी प्रकार विप्रगण भी ज्ञान लाभकर सर्वभक्ष और देवरूपी होते हैं। जिस भांति सम्पूर्ण अपवित्र वस्तु जलमें फेंक दी जाती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण पापको निर्म्मल ब्राह्मणोंके ऊपर फेंक देना चाहिये। गायत्रीविहीन ब्राह्मणको शूद्रसे भी अपवित्र समझना चाहिये और जो ब्राह्मण गायत्रीनिष्ट और ब्रह्मतत्त्ववेत्ता हैं, वे ही द्विजगणमें श्रेष्ठ और पूजनीय हैं। इस अवस्थामें ब्राह्मण यदि दुःशील भी हो, तो भी वह पूजनीय ही होगा, पर शूद्र यदि संयतेन्द्रिय भी हो

तो भी वह पूजनीय नहीं हो सकता। कौन ऐसा है जो दुष्टा गौको छोड़कर बड़ी सीधी गदहीका दूध दुहने जायगा? जो द्विज धर्मशास्त्ररूपी रथपर सदा सवार होकर वेदरूपी खड्गको धारण किये रहते हैं, वे यदि हंसी खेलकी भांति भी कोई बात कहें, तो उसे भी परम धर्म मानना चाहिये। जो ब्राह्मण चारो वेद जानते हों निर्विकल्प हृदय, वेदाङ्गवेत्ता और धर्म-पाठक हों, ऐसे एक ब्राह्मण ही श्रेष्ठ परिषद् हैं, पर संसारी प्रपञ्चमें पड़े हुए दश भी वेदविद् ब्राह्मण एकत्र हों, तो ऊपर कही हुई परिषद्की अपेक्षा मध्यम हैं। राजाकी अनुमति लेकर ही द्विजगण प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देंगे। विना राजाकी आज्ञा किसी भांति वे स्वयं व्यवस्था न देंगे। ब्राह्मणोंकी बात न सुनकर अथवा उनकी अनुमति न लेकर यदि राजा स्वयं प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनेकी इच्छा करें, तो पापीका पाप शतधा होकर राजाके ऊपर जा बैठता है। किसी देवालयके सम्मुख बैठकर ब्राह्मणगण प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देवें। व्यवस्था निश्चय हो जानेके बाद वेदमाता गायत्रीका जप करके पीछे व्यवस्था दें। मनमें यदि कोई पाप हो, तो उसे भी पहले मिटा लेना चाहिये। प्रायश्चित्त करनेके समय शिखासहित केश मुण्डन कराना होगा। त्रिकाल सन्ध्या करना होगी। रात्रिमें गोशालामें सोना होगा और दिनमें जिधर जिधर गऊ फिरें उनके पीछे पीछे फिरना होगा। यदि अत्यन्त गर्मी, वर्षा, या भयङ्कर शीत पड़े वा अतिशय हवा चले, तो यथाशक्ति गौओंकी रक्षा न कर अपनी आत्माकी रक्षा करनेका कोई यत्न न करे। अपने वा दूसरेके घर वा खेतका अथवा खलखल्य शस्य यदि गौ खा जाय अथवा बच्चा दूध पी ले, तो उन गौओंको मना न करे। गौ जलपान कर ले तब आप भी पानी पीवे। गौ जब सो जाय तब आप भी सोवे। यदि गौ किसी भांति कादोमें फंस जाय, तो प्राणपणसे उसका उद्धार करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौके लिये अपना प्राणत्याग करता है, वह ब्राह्मण और गौकी रक्षा करनेवाला ब्रह्महत्यादि पापसे मुक्त हो जाता है। गौवधके प्रायश्चित्तके लिये प्राजापत्यव्रतकी व्यवस्था देना चाहिये। प्राजापत्य नामक कृच्छ्रव्रतको चार भागमें बांटना होगा। एकदिन केवल एकवार भोजन करके रहे, फिर एकदिन केवल रात्रिमें भोजन करके रह जावे, उसके बाद एक दिन विना मांगे जो कुछ मिल जाय, उसे ही खाकर रहे और चौथे दिन केवल वायु पीकर रह जाय। यही एकपाद प्रायश्चित्त कहा जाता है। पहले दो दिन केवल एकवार भोजन करके रहे, उसके बाद दो दिन केवल रात्रिमें ही भोजन करके

रह जाय, इसके बाद दो दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाय उसे खाकर रह जाय, फिर दो दिनतक केवल वायु पीकर रह जाय। इसको द्विपाद प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रथम तीन दिन सिर्फ एकवार भोजन कर रह जाय, उसके बाद तीन दिन केवल रात्रिमें भोजन करे, उसके बाद तीन दिन बिना मांगे जो कुछ मिले, उसे ही भोजन करके रह जाय और अन्तके तीन दिन केवल वायु पीकर रह जाय। इसको त्रिपाद प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रथम चार दिन केवल एकवार भोजनकर रह जाय, उसके बाद चार दिन केवल रात्रिमें भोजन करे, उसके बाद चार दिन बिना मांगे जो कुछ मिले, उसे खाकर रह जाय, अन्तमें चार दिन केवल वायु पीकर रह जाय। इसीको पूर्ण प्रायश्चित्त कहते हैं। उक्तरूपसे प्रायश्चित्त करनेपर ब्रह्मभोज कराना होगा और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना होगी। द्विजगण पवित्र मन्त्र जपेंगे। ब्राह्मणभोजन करानेसे गोहत्याकारी निश्चय ही शुद्ध हो जायगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

अष्टम अध्याय समाप्त।

अथ नवम अध्यायः।

यथारीति रक्षाके लिये गौको रुद्ध किया वा बांधा जाय, और गोहत्या हो जाय, तो कोई दोष नहीं लगेगा, किन्तु इस भांतिकी गोहत्याको काम वा अकामकृत हत्या नहीं कह सकते। दशाङ्गुलि जैसा स्थूल या एक हाथ लम्बा रसयुक्त और छोटे छोटे पल्लवसे युक्त, ऐसा होनेपर उसे दण्ड कहा जाता है। दण्डव्यतीत यदि और किसी चीजसे किसी गौको मार वा निपातकर गोहत्या करे, तो वह प्रायश्चित्तका भागी होगा और उसे उल्लिखित प्रकार दुगुना गोव्रत करना होगा। रुद्ध करना, बांधना, जोतना और मारना इन्हीं चार प्रकारोंसे गोहत्या होती है। बन्द रखनेवाली गोहत्या होनेसे एकपाद प्रायश्चित्त करना होता है, बन्धन गोहत्या होनेपर द्विपाद, जोतनेवाली गोहत्या होनेसे त्रिपाद और मारनेवाली गोहत्या होनेसे पूर्ण प्रायश्चित्त करना होगा। चरागाहमें घेरकर रखने, घरमें, दुर्गमें, समतल प्रान्तर भूमिमें, नदी वा समुद्रतीरपर, तालाब वा पर्वत कन्दराके समीप अथवा दग्ध स्थानमें रोककर रखनेसे जो गोहत्या होती है उसे रोध गोहत्या कहते हैं। यदि जुएमें वा रस्सीसे बांधी जाय, घण्टीकी रस्सी अथवा आभूषणमें दी हुई रस्सीसे घरमें अथवा जलमें गौकी मृत्यु हो, तो उसे अवस्थाभेदसे कामकृत वा अकामकृत बन्धन

हत्या कहते हैं। यदि हलमें, गाड़ीमें जोते जाने, दो चार बैलोंके एक साथ मड़नी आदिमें बांधे जानेपर अथवा अत्यन्त कसकर बांधनेसे गौकी मृत्यु हो, तो उसे जोत हत्या कहते हैं। मत्त, उन्मत्त, या प्रमत्त अवस्थामें हो अथवा सज्ञान वा अज्ञान अवस्थामें हो वा कामकृत अथवा अकामकृत क्रोधसे ही हो, यदि दण्डसे वा पत्थरके टुकड़ेसे कोई गौको मारे और उस मारसे वह गौ घायल हो या मर जाय, तो ऐसी हत्याको निपातनकी गोहत्या कहते हैं। उक्तरूपसे गौके मूर्च्छित होकर गिर पड़नेपर फिर यदि गौ उठकर चलने लगे, पांच सात ग्रास खाने लगे, अथवा जलपान करे, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। पिण्डबंधी अवस्थामें यदि कोई गोगर्भ नष्ट करे, तो एकपाद, गर्भसञ्चारावस्थामें नष्ट होनेमें द्विपाद और उसके बाद गोगर्भचेतनावस्थाके पूर्व त्रिपाद प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। एकपाद प्रायश्चित्त करनेमें अङ्गका रोम त्याग करना होगा, द्विपादमें मूछ और दाढ़ी मुड़वाना होगी, त्रिपाद प्रायश्चित्तमें शिखा छोड़कर सभी अङ्गोंके रोंये मुड़वाना होंगे और पूर्ण प्रायश्चित्त करनेमें शिखा समेत रोममात्रको मुड़वाना होगा। एकपाद प्रायश्चित्तमें एक जोड़ा कपड़ा, द्विपाद प्रायश्चित्तमें कांस्यपात्र, त्रिपाद प्रायश्चित्तमें एक वृष और पूर्ण प्रायश्चित्तमें एक जोड़ा वृष दान करना होगा। सम्पूर्ण गात्र पूर्णरूपसे निष्पन्न न होनेपर भी गोभ्रूणमें चेतनता पाई जाती हो और सम्पूर्ण अङ्गोंमें यदि स्फुरण आ गया हो और उस समय किसीने उसकी हत्या की हो, तो उक्त गोव्रतसे दूना गोव्रत उसे करना होगा: यदि कोई पत्थर फेंककर वा लाठीसे गौकी सींग तोड़ दे, तो मारनेवालेको एकपाद प्रायश्चित्त करना होगा और यदि गौकी सींग जड़से उखड़ जाय, तो मारनेवालेको द्विपाद प्रायश्चित्त करना होगा। उक्त प्रकारसे यदि कोई गौकी पूंछ तोड़दे, तो उसे एकपाद कृच्छ्रव्रत करना होगा। हड्डी तोड़नेसे द्विपाद, कान तोड़नेसे त्रिपाद और सम्पूर्ण अङ्गभङ्ग करनेपर पूरा कृच्छ्रव्रत करना पड़ेगा। सींग, हड्डी और कटि, इनके टूट जानेपर यदि गौ छः महीनेतक जीती रह जाय, तो प्रायश्चित्त करनेकी कोई जरूरत नहीं है। यदि मारनेसे गौका कोई अङ्ग फूट जाय वा उसमें घाव हो जाय, तो जबतक घाव वा क्षतस्थान अच्छा न हो जाय तबतक मारनेवाला व्रणस्थानमें तेल वा मरहम आदि अपने हाथसे लगावे और जबतक गौ दृढ़, बलवान, सम्पूर्णरूप आरोग्य न हो जाय तबतक यवस, तृण या घासमात्र खाकर रहे और उस गौका पालन करे। इसके बाद ब्राह्मणको नमस्कार करके निज गौ-

रूपको परित्याग करे। यदि उस गौका सर्वाङ्ग पूर्ववत् हो जाय, किन्तु वह अङ्ग भङ्ग ही रह जाय, तो गोहत्याके प्रायश्चित्तका आधा प्रायश्चित्त करना होगा। उठनावम ढेला, पत्थर अथवा किसी अस्त्रसे बलपूर्वक गोहत्या करनेपर शुद्ध होनेकी व्यवस्था अब लिखी जाती है। काठसे गोहत्या करनेसे सान्तपन व्रत करना होगा। ढेलेसे गोवध करनेसे प्राजापत्य, पाषाणसे गोवध करनेसे तप्तकृच्छ्रव्रत और शस्त्रसे गोहत्या करनेसे अति कृच्छ्रव्रत करना होगा। सान्तपन व्रतमें पांच, प्राजापत्यमें तीन, तप्तकृच्छ्रमें आठ और अति कृच्छ्रव्रत करनेपर तेरह गोदान करना होंगे। जैसी गौकी हत्या की हो, ठीक वैसी ही गौदानमें देना उचित है। महर्षि मनुजी तो कहते हैं, कि तदनुरूप गौका दाम भी देनेसे काम चल जा सकता है। गौको दागने वा चिह्नित करनेके लिये, उसे बांधना या रोक रखना दोष है। गाड़ी आदिमें जोतनेके लिये, दुहनेके समय अथवा सायङ्कालमें रक्षार्थ एकत्र करनेके लिये बांधने वा रोकनेसे कोई दोष नहीं। गौको दागनेके समय अतिरिक्त दागने, बहुत बोझा ढोआने, नाक फोड़ देने अथवा दुर्गम नदी पर्वत आदिपर ले जानेसे प्रायश्चित्त करना होगा। उक्त प्रकारसे अतिरिक्त दुःख करनेपर एक पाद, अति भार ढोलानेसे द्विपाद, नाक फोड़ देनेसे तीन पाद और उक्त सब पाप करनेसे पूर्ण प्रायश्चित्त करना होगा। चाहे गो बंधी हो चाहे खुली हो, पर यदि दागनेसे उसकी मृत्यु हो, तो पराशर भगवान्की मति है, कि यथाविधि एकपाद प्रायश्चित्त करने हीसे चलेगा। गोवधके छः कारण कहे गये हैं, (१) रोक रखना, (२) बांधना, (३) जोतना, (४) भार ढोलाना, (५) मारना, (६) जोतकर दुर्गमस्थानमें ले जाना। यदि किसी गायके सुप्राङ्गमें रस्सी बंधी हो और उसी अवस्थामें वह मर जाय, तो जिसके घरमें ऐसी गोहत्या होगी उसको अर्द्ध कृच्छ्रव्रत करना होगा। नारियलकी, सनकी और मूंजकी रस्सीसे अथवा लोहे आदिके सीकलसे गौको बांधना उचित नहीं है। यदि कदाचित् बांधे भी, तो उसके समीप फरसा हाथमें लेकर खड़ा रहे। कुश अथवा काशकी रस्सी बांधकर गौको दक्षिणमुख रखना चाहिये। इनकी रस्सियोंमें यदि आग लग जाय और गौका कोई अङ्ग जल जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा, पर यदि उस जगह तृणराशि हो और उसमें आग लगनेसे गौ जल जावे, तो किस भांति प्रायश्चित्त करना होगा? इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहते हैं, कि वहां पवित्र गायत्री जपकर उस पापसे मुक्त हो जायगा। कुएं वा बावलीके किनारे गौको भेजने, वृक्ष काटकर गौके ऊपर

गिरा देने अथवा गोभक्षण करनेवालेके हाथ गौको वेचनेसे गोवध करनेका पाप लगता है। यदि उक्त अवस्थामें गौके वचानेका यत्न करनेपर भी उसका कोख फट जाय, आंख फूट जाय, कान टूट जाय, कुएमें गिरकर डूब जाय अथवा कुएसे निकालनेमें भी उसकी गर्दन वा टाङ्ग टूट जाय और इन्हीं कारणोंसे यदि गौकी मृत्यु हो जाय, तो त्रिपाद प्रायश्चित्त करना होगा। जल पिलानेके लिये कुए, गड्हे वा पोखरे, नदीमें वंधे हुए घाटपर अथवा छोटे जलाशय या कुण्डमें गौको ले जाय और वहां यदि उसकी मृत्यु हो जाय, तो इसके लिये कुएके मालिकको प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। इसी भांति कुएके समीप खोदे हुए खात, नदी वा दीर्घिकाके खातमें अथवा साधारणरूपसे जलपानके लिये किसी खातमें, उक्त कारणसे गिरी हुई गौकी यदि मृत्यु हो जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। घरके प्रवेशद्वारपर, घरमें अथवा अपने किसी कामके लिये वा घर बनानेके लिये जो कोई खात खोदे और उसमें यदि गिरकर गौ मर जाय, तो उसके लिये प्रायश्चित्त करना होगा। रात्रिमें गौको रूद्धकर वा वांधकर रखनेके समय यदि उसे सांप काट ले या वाघ पकड़ ले अथवा आग लगने वा विजली गिरनेसे घायल होकर गौकी मृत्यु हो जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। मृत्यु वेष्टित होकर किसी गांवके शरजालद्वारा पीड़ित होनेके समय, वा घर गिरने वा अतिवृष्टि होनेसे यदि गौकी मृत्यु हो जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। गौ यदि युद्धके समयमें मारी जाय, घर जलनेके समय जल जाय या वनाग्निसे अथवा गांव नष्ट होनेके समय मर जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। यदि गौकी चिकित्सा करने तथा मूढ़गर्भके मोचनके समय उसे वांधे या रुद्ध करे और इस अवस्थामें अनेक यत्न करनेपर भी यदि उसकी मृत्यु हो जाय, तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा। बहुतसी पीड़ित गौओंको एकत्र वांधने वा रुद्ध करनेपर एवं अनभिज्ञ गो-चिकित्सकसे चिकित्सा करानेपर यदि गौकी मृत्यु हो जाय, तो प्रायश्चित्त करना होगा। गाय अथवा बैलकी विपत्तिके समय उपस्थित रहकर जो उस अपघात मृत्युको देखे और देखनेवाला यदि उस विपत्तिका प्रतिकार न करे, तो जितने देखनेवाले हैं, उन सबों को गोहत्याका पातक लगेगा। यदि बहुत लोगोंके बीच गोहत्या हुई हो और प्रकृत हत्याकारीका पता न लगे, तो राज-नियुक्त कर्म्मचारीगण प्रत्येकको शपथ खिलाकर साक्ष्य ग्रहणपूर्व्वक प्रकृत हत्याकारीका निर्णय कर लेंगे। यदि दैवात् एक गोहत्यामें अनेक लोग शामिल हों, तो वे सभी पृथक पृथक् गोवधका एकपाद वा चतुर्थांश

प्रायश्चित्त करें। गोहत्या होनेपर गौकी स्थितिकी परीक्षा करना होगी, क्योंकि यह देख लेना अवश्य चाहिये, कि गौको कोई रोग तो न था, वा वह बहुत कृश थी, कि नहीं, इसका निर्णय करना भी बहुत प्रयोजनीय है। यदि गायको ऐसा दोष रहा हो, तो उसके अनुसार पृथक् और भिन्न भिन्न प्रकारके प्रायश्चित्त भी होंगे, इसलिये इसका भली भांति अनुसन्धान करना चाहिये। एकमात्र सर्व्वशास्त्रज्ञ मनुजी ही कहते हैं, कि गोवधके प्रायश्चित्तमें सभी हालतमें चान्द्रायण व्रत करना होगा। जो व्यक्ति प्रायश्चित्तमें केशमुण्डन न कराकर उसकी रक्षा करना चाहे, तो उसे दुगुना प्रायश्चित्त करना होगा और जैसा ही द्विगुण प्रायश्चित्त करना होगा, वैसी ही द्विगुण उसकी दक्षिणा भी देना होगी। राजा, राजपुत्र अथवा वेदविद् ब्राह्मण हों, तो उनका विना केश मुण्डन कराये ही प्रायश्चित्त करनेकी व्यवस्था देना। जो व्यक्ति प्रायश्चित्त करनेमें केश मुण्डन नहीं कराते अथवा द्विगुण दानादि नहीं करते, उनका पाप ज्योंका त्यों बना रहता है वह पापमुक्त नहीं होते। और जो केशमुण्डनवर्जित प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। जो कुछ पाप किया जाता है, वह सभी पाप केशमें टिके रहते हैं। अन्ततः सब केश छोड़कर आगेका दो अङ्गुल केश काट डालना पड़ेगा। जिस स्थानमें केशमुण्डन कहा गया है, वहां यदि प्रायश्चित्तकारिणी कुमारी वा सधवा स्त्री हो, तो उसके शिरके अग्र भागका दो अङ्गुल केश काट देना चाहिये, क्योंकि स्त्रीलोगोंका केशमुण्डन, पृथक् शय्या और भोजनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। रात्रिमें स्त्री गोशालामें शयन नहीं करे और न दिनमें गौओंका अनुसरण ही करे, उसमें भी नदीका सङ्गम और वनमें जाना विशेषकर उनके लिये मना है। वे मृगचर्म्म नहीं पहन सकतीं, इसलिये वे त्रिकाल स्नानकर देवाराधना करते हुए उस व्रतको समाप्त करें। वे लोग अपने भाई बन्धुमें रहकर ही कृच्छ्र, चान्द्रायणादि व्रत कर सकती हैं; वे बराबर घरमें रह तथा पवित्र होकर सम्पूर्ण नियमको पालन करें। इस संसारमें जो कोई गोहत्या करके छिपा रखेगा, वह निश्चय ही कालसूत्र नामक घोर नरकमें पड़ेगा। नरक भोगके बाद फिर आकर इसी मृत्युलोकमें जन्म ग्रहण करेगा और जन्म लेकर सात जन्मपर्य्यन्त नपुंसक, दुःखी और कुष्ट रोगसे पीड़ित रहेगा, इसलिये पाप कर उसे छिपानेकी चेष्टा नहीं करना चाहिये। उस पापको प्रकाश कर देना चाहिये और सर्व्वदा स्वधर्म्म पालन करना चाहिये। स्त्रीजाति, बालक, गो और

ब्राह्मणके ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिये। नवम अध्याय समाप्त।

अथ दशम अध्याय।

चारो वर्णोंके सब प्रकारके पाप छूटनेका विधान हो चुका। अब अगम्यागमनकी बात कही जाती है। अगम्यागमन करनेसे चान्द्रायण व्रत करना होगा। कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन एक एक ग्रास भोजन घटाना और शुक्ल पक्षमें उसी तरह एक एक ग्रास बढ़ाना होगा। अमावस्याको कुछ नहीं खाना होगा। यही चान्द्रायण व्रतकी विधि है। मुरगीके अण्डेके तुल्य एक ग्रास बनाना होगा। उक्त प्रमाणसे भिन्न ग्रास रचनेमें शास्त्र प्रमाणसे विरुद्ध समझा जायगा और वैसे व्रताचरणसे धर्म्म वा शुद्धिलाभ कुछ भी नहीं होगा। प्रायश्चित्त अनुष्ठानके अन्तमें ब्रह्मभोज कराना चाहिये। दो गाय और एक जोड़ा वस्त्र ब्राह्मणको दक्षिणास्वरूप देना होगा। जो द्विज चाण्डाली वा श्वपचीके साथ सङ्गम करें, वह ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार त्रिरात्र उपवास करें। उसके बाद शिखासमेत सभी केशोंका मुण्डन कराकर तीन प्राजापत्य व्रत करें। उसके बाद ब्रह्मकूर्च (पांच दिनतक उपवासपूर्व्वक पञ्चगव्य पान करे) पान कर भोजनादिसे ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करें। उनको नित्य गायत्री जप करना होगा। एक गो और एक सांढ़ ब्राह्मणको दान देना होगा। ऐसा करनेसे वे अवश्य शुद्ध हो जायगे। यदि कोई क्षत्रिय वा वैश्य चाण्डालीके साथ सम्भोग करे, तो इन्हे दो प्राजापत्य व्रत, एक गाय और एक सांढ़ ब्राह्मणोंको दान करना होगा। यदि कोई शूद्र चाण्डाली वा श्वपचीके सङ्ग सङ्गम करे, तो उसे एक कृच्छ्र प्राजापत्य व्रत करना तथा एक गाय और एक सांढ़ दान करना होगा। यदि कोई मोहवश मातृगमन, भगिनीगमन, वा कन्या गमन करे, तो उनको तीन कृच्छ्र व्रत और उसके बाद तीन चान्द्रायण व्रत करना होगा। अन्तमें लिङ्गच्छेदन करनेपर वे शुद्ध हो सकते हैं। जान बूझकर मौसीके साथ सम्भोग करनेसे उक्त प्रकारसे प्रायश्चित्तकर शुद्ध हो सकता है। यदि कोई न जानकर मौसीके साथ सम्भोग करे, तो पराशर भगवान् कहते हैं,—कि वह केवल दो चन्द्रायण व्रत और दश गाय और दश वृष दान करनेपर शुद्ध होता है। जो व्यक्ति सौतेली मा, माताकी सखी, भाईकी लड़की, गुरुपत्नी, पतोहू, भाईकी स्त्री, मामी, वा अपने गोत्रकी कन्याके साथ सम्भोग करे, तो उसे तीन प्राजापत्य व्रत करना और उसके बाद दो गोदान करना होगा, तब वे शुद्ध हो सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

पशु, वेश्या आदिके साथ सम्भोग करने अथवा भैंस, ऊंटनी, वनरिया, गदही वा शूकरीके साथ सम्भोग करे, तो उसे प्राजापत्य व्रत करना होगा। जो गौके साथ सम्भोग करे, वह त्रिरात्र व्रत-कर ब्राह्मणको एक गोदान करे। गदही ऊंटनी और भैंसके साथ गमन करनेसे एक अहोरात्रमें शुद्ध हो जाता है। गदर, परस्पर काटाकाटी और युद्धके समय, दुर्भिक्षमें, जनक्षयमें, विपक्ष राजासे बन्दी किये जानेके समय, अथवा किसी तरहके भयका कारण उपस्थित होनेके समय अपनी स्त्रीकी देख भाल करना चाहिये। जो स्त्री चाण्डालके साथ संसर्ग करे, वह दश प्रधान प्रधान ब्राह्मणोंके सामने अपना दोष प्रकाश करे। एकदिन निराहार रहकर गोमय जल और कादासे परिपूर्ण कुएमें कण्ठ पर्य्यन्त सभी शरीरको डुबाकर खड़ी रहे। इससे निकलकर शिखासमेत मस्तक केशका मुण्डन करावे और यावकोदनमात्र भोजन करे। उसके बाद त्रिरात्र उप-वासकर फिर एकरात्र जलमें रहे। अन्तमें शङ्खपुष्पीलताका मूल, पत्र, फूल, फल और सोना और पञ्चगव्य इकट्ठा पीसकर इनका क्वाथ निकालकर उसी जलको पीती हुई जबतक ऋतुमती न हो जाय, एकबारमात्र भोजन करे। जबतक व्रतानुष्ठान करे, तबतक बाहर ही रहना होगा। इस भांति प्रायश्चित्त शेष हो जानेपर ब्रह्मभोज करावे और दो गौकी दक्षिणा दे, तब वह शुद्ध हो सकती है,— ऐसा पराशर भगवान् कहते हैं। चारो वर्णोंकी नारियोंको ही यह कृच्छ्र-चान्द्रायण व्रत करना होगा। भूमि और स्त्री एक स्वरूप हैं; इसलिये इनको सहसा दूषित नहीं समझना चाहिये। यदि कोई पुरुष कैद करने या मार डालनेका भय दिखाकर, बांधकर अथवा जबरदस्तीकर वा और किसी प्रकारका भय दिखाकर स्त्रीके साथ सम्भोग करे, तो पराशर भगवान् कहते हैं, कि वैसा कृच्छ्र सान्तपन व्रताचरण करके वह शुद्ध हो जायगी। जो स्त्री एक ही बार किसीके साथ सम्भोग करके अब अन्य पुरुषके साथ सम्भोग करना नापसन्द करती हो, तो वह प्राजापत्य व्रत करने तथा फिर ऋतुमती हो जानेसे शुद्ध हो जावेगी। जिसकी स्त्री सुरापान करती है, उसके शरीरका आधा भाग पतित हो जाता है और जिसका आधा अङ्ग पतित हो जाता है, उसकी नरक जानेसे निष्कृति नहीं हो सकती। कृच्छ्र-सान्तपन व्रताचरण करनेके समय गायत्री जपना होगा। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत इन्हीं पञ्चगव्यों और कुशोदकको पानकर एक रात्रि उपवास करनेसे स्मृतिकी मतिसे कृच्छ्र-

सान्तपन व्रत करना कहा जाता है। स्वामीके विदेश जाने, स्वामीकी मृत्यु होने अथवा स्वामीसे परित्यक्त होनेपर जो स्त्री उपपतिसे जारज गर्भ उत्पादन कराती है, उस पतिता पापकारिणी स्त्रीको दूसरे राज्यमें ले जाकर छोड़ आना चाहिये। यदि कोई ब्राह्मणी किसी परपुरुषके साथ फंसकर निकल जाय, तो उसे नष्टा कहते हैं। उसको किसी भांति फिर घरमें लाकर अपना नहीं सकते हैं। जो स्त्री कामवश वा मोहवश अपने बन्धु वा पुत्रका परित्याग कर दे, उसके यह लोक और परलोक दोनो ही नष्ट हो जाते हैं। यदि स्त्री उक्त रूपसे घरसे बाहर निकलकर दश दिनके भीतर फिर लौटकर अपने घर न चली आवे, तो उसके लिये प्रायश्चित्त भी नहीं है, इसीलिये कोई स्त्री दश दिनतक घर छोड़कर बाहर नहीं रह सकती है। बाहर रहनेपर नष्टा स्त्रियोंमें गिनी जायगी। उक्त अवस्थामें यदि वह स्त्री फिर घरमें रख ली जाय, तो उसके स्वामीको कृच्छ्रचान्द्रायण व्रत करना होगा। उसके बन्धु लोगोंको आधा कृच्छ्रचान्द्रायण व्रत करना पड़ेगा और उन लोगोंके साथ जिन्होंने खाया या जलपान किया है, उनको भी एकरात्र उपवास करना होगा, तब वह शुद्ध हो सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मणी बिना पर पुरुषकी सहायता घरसे अकेली निकल जाय और बाहर जाकर एक सौ पुरुषसे उसने संसर्ग कर लिया हो, तो उसके सगोत्र लोग भी उसे परित्याग कर देंगे। ऐसी स्त्री यदि किसी पुरुषके घरमें चली जावे, तो वह अशुद्ध हो जाता है, और उस स्त्रीके यारका जो घर है, वही उसका मातृ-पितृ-गृह है। ऐसा लिखकर फिर पञ्चगव्यसे उस घरको शुद्ध करना होगा। उस घरके जितने मिट्टीके वर्त्तन हैं, उन्हें निकाल देना होगा और वस्त्र तथा काठ इत्यादि परिशोधन करना होगा। फलयुक्त द्रव्य समुदायको गौके केशसे शुद्ध करना होगा। ताम्रपात्रको पञ्चगव्यसे, कांस्यपात्रको दशबार भस्मसे मलकर शुद्ध करना चाहिये। इसके बाद जिस ब्राह्मणके घरमें उस नष्टा नारीने वास किया हो, वह ब्राह्मण व्यवस्था देनेवाले ब्राह्मणोंके पास जाय और वे लोग जैसी व्यवस्था दें उसी भांति प्रायश्चित्त करे। उस ब्राह्मणको दो गोदान और प्राजापत्यव्रत करना होगा। ब्राह्मण भिन्न और किसी जातिके घर उक्त नारी यदि रहे, तो घरका मालिक एक दिन रात उपास करके पञ्चगव्यसे घरको शुद्ध करें। उसके बाद पुत्र और भृत्य सब मिलकर ब्राह्मणोंको भोजन करावें। आकाश, वायु, अग्नि और यज्ञीय द्रव्य, चमस, भूमिस्थित जल और कुशा, ये किसी हालतमें अपवित्र नहीं होते हैं। ब्राह्मणगण

उपवासव्रत, पुण्यकर्म्म, सन्ध्या, देवार्च्चना, जप, होम और दान, इनको करनेसे सभी अवस्थामें शुद्धिलाभ कर सकते हैं। दशम अध्याय समाप्त।

अथ एकादश अध्याय।

ब्राह्मण यदि अपवित्रतः, गोमांस अथवा चण्डालान्न भोजन करलें, तो कृच्छ्र-चान्द्रायण व्रत करें। ऐसा यदि क्षत्रिय वा वैश्य करें, तो आधा कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत करें। शूद्र यदि उक्त चीज खा लेवे, तो उसको प्राजापत्यव्रत करना होगा। शूद्र पञ्चगव्य भोजन करे, द्विज ब्रह्मकूर्चपान करें। ब्राह्मणको एक, क्षत्रियको दो, वैश्यको तीन और शूद्रको चार गोदान करना होगा। शूद्रान्न, अशौचान्न, अभोज्यान्न, शङ्कितान्न, निषिद्धान्न, पूर्व्वोच्छिष्टान्न यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश अथवा विपद्‌में पड़कर खा लेवे, तो जब उनको यह मालूम हो जाय, तब वह कृच्छ्र-चान्द्रायणव्रत करें और ब्रह्मकूर्च पान करें, यदि अन्नको सांप, न्योला, अथवा बिल्ली उच्छिष्ट कर दे, तो उस अन्नमें तिल, कुश और जल डाल देनेसे वह अन्न शुद्ध हो जायगा। इसमें कोई संशयकी बात नहीं है। यदि शूद्र अभोज्य अन्न भोजन करे, तो वह पञ्चगव्यसे शुद्ध हो जायगा। क्षत्रिय और वैश्य उक्त अन्न व्यवहार करें, तो वे प्राजापत्यव्रत करके शुद्ध होंगे। ब्राह्मण-गण एक पंक्तिमें बैठकर एकसाथ भोजन करते हों और उनमें एक भी कोई अपने पात्रको छोड़कर उठ जाय, तो पंक्तिमें कोई भी पुरुष शेष अन्नको न खाय। उक्त बात होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण लोभवश वा मोहवश शेषान्न नहीं छोड़े, खाता ही रह जाय, तो वह ब्राह्मण कृच्छ्र-सान्तपन व्रतकर उस दोषका प्रायश्चित्त करें। दूध जैसा उजला लहसुन, बैगन, गाजर, प्याज, ताड़ी, देवपूजार्थ द्रव्य, ओला ऊंटनीका दूध और बकरीका दूध,—इन सब पदार्थोंको जो ब्राह्मण अज्ञानवश सेवन करे, तो त्रिरात्रव्रत-कर पञ्चगव्य खानेसे शुद्ध होता है। यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश मेंढक अथवा चूस-का मांस खा ले, तो जब उसे उस विषयका ज्ञान हो जाय, तो अहोरात्र उपवासकर यावकान्न खानेसे उसकी शुद्धि होती है। चाहे क्षत्रिय हो वा वैश्य हो, पर वह क्रियावान्, धर्म्म कर्म्मकारी और विशुद्धाचारी हो, तो उसके घर जाकर होम, यज्ञ वा पित्र्याद्धादिमें ब्राह्मणगण सदा ही भोजन कर सकते हैं। ब्राह्मण नदीतीरपर जाकर शूद्रसे दिया हुआ अन्न खा सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश जन्माशौच और मरणाशौचवाले व्यक्तिका अन्न खा ले, तो किस प्रकार उसे प्रायश्चित्त करना होगा,—इसका वर्णक्रमसे निर्देश किया जाता है।

शूद्रके जन्माशौचमें उसके अन्नको भोजन करनेसे शुद्धिके लिये आठ हजार गायत्री जप करना होगा। उक्त दशामें वैश्यका अन्न खानेसे पांच हजार गायत्री जप करना होगा। उक्त दशामें क्षत्रियका अन्न हो, तो उसके खानेसे तीन हजार गायत्री जप करना होगा। ब्राह्मणका जन्माशौचान्न खानेसे केवल प्राणायाम करने अथवा वामदेव्य सामवेद पाठ कर लेनेसे शुद्धि हो जाती है। यदि शूद्रके घरसे शुष्क अन्न या चावल आदि घी, दूध, और तेल वगैरह आवे और अपने घरपर रसोई बनाई जाय, तो वह अन्न पवित्र ब्राह्मणोंके भी भोजन योग्य है,—ऐसा मनु भगवान् कहते हैं। यदि किसी विपद्कालमें ब्राह्मण किसी शूद्रके घरमें भोजन करें, तो उस भोजन करनेका मनमें पछतावा होने होसे वे शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा न होनेपर सौवार गायत्री जपकर शुद्ध हो जायेंगे। शूद्रोंमें दास, गोपाल, कुलमित्र (कदाचित इसीका अपभ्रंश कुरमी शब्द है! (?) अर्द्धसीर (कदाचित इसी शब्दका अपभ्रंश अर्द्ध-सिरा, अधसिरा, औधसिया, अन्तमें औधिया शब्द बन गया हो, अथवा जो शूद्र आत्मसमर्पण कर चुका हो, शूद्रोंमें इनका अन्न भोजन कर सकते हैं। शूद्र-कन्यामें ब्राह्मण वीर्य्यसे जो लड़का जन्मे और ब्राह्मण उसका संस्कार करें, तो उसको "दास" कहते हैं। पर यदि वह असंस्कृत हो, तो उसे "नापित" कहते हैं। शूद्रकन्यामें क्षत्रियके औरससे जो लड़का उत्पन्न हो, तो उसको "गोपाल" कहते हैं। ब्राह्मण निःसन्देह गोपालके घर भोजन कर सकते हैं। वैश्य कन्याके गर्भमें ब्राह्मणके वीर्य्यसे उत्पन्न जो पुत्र हैं, उन्हें आर्द्धिक अर्थात् "अर्द्धसिर कहते हैं" इनके घरमें भी ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। जिसका अन्न वा जल ग्रहण किया जाय और उसके वरतनका जल, दही, दूध वा घी यदि कोई अज्ञानवश खा ले, तो उसको कैसा प्रायश्चित्त करना होगा? उसकी व्यवस्था अब कही जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र यदि उक्त पातकके प्रायश्चित्तकी व्यवस्था चाहें, तो क्रमानुसार ब्रह्मकूर्च भोजन वा उपवाससे प्रायश्चित्तकी विधि देना होगी। शूद्रोंको उपवास करना विहित नहीं है। वे केवल दान करने हीसे शुद्ध हो सकते है। एक दिन रात मात्र ब्रह्मकूर्च आहार करनेसे चाण्डाल भी शुद्धि पा सकता है। गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदूध और गोघृत एवं कुशका जल इनके सम्मिलन को ब्रह्मकूर्च कहते हैं। यह प्रञ्चगव्य पवित्र और पापनाशक हैं। काली गायका मूत्र और उजली गायका गोमय ताम्रवर्ण गौका दही और कपिल वर्ण गौका घृत लेना चाहिये। यदि ये पांच

वर्णकी गाय न मिले, तो केवल कपिल वर्ण गाय होसे सब काम चला लेना। गोमूत्र एक पल, दही तीन पल, घी एक पल, गोमय अर्द्धाङ्गुष्ठ परिमित, दूध सात पल एवं कुशोदक एक पल लेना होगा। गायत्री पढ़कर गोमूत्र "गन्धद्वारा इत्यादि" मन्त्र पढ़कर गोमय, "आप्यायस्व इत्यादि" मन्त्र, पढ़कर दूध, "दधिक्राव्ण इत्यादि" मन्त्रसे दही, "तेजोऽसि शुक्रम् इत्यादि" मन्त्रसे घृत और "देवस्यत्वा इत्यादि" मन्त्र पढ़कर कुशोदक लेना चाहिये। इसके बाद ऋक मन्त्र पाठ करके पञ्चगव्य शुद्ध करे, फिर उसे अग्निके समीप रखे। "आपोहिष्ठेत्यादि" मन्त्र पढ़ते पढ़ते सभी द्रव्योंको हिला हिलाकर एक जगह मिलाना चाहिये। "मानस्तोक इत्यादि" मन्त्रसे पञ्चगव्यको मन्त्रपूत करे। अन्तमें जिसका अग्रभाग कटा न हो ऐसे सात पत्तेवाले शुकवर्णवत् कुशसे पञ्चगव्यका हवन करना होगा। "इरावती इदं विष्णुः मानस्तोक मध्वती" इसी मन्त्रसे हवन करना होगा। अन्तमें जो कुछ होम शेष रहेगा, उसीको पान करना होगा। पीनेके प्रथम प्रणव उच्चारणकर उसे हिला ले, प्रणव पढ़कर मिला ले, प्रणव पाठकर उठावे और प्रणव पाठ कर ही उसे पीवे। जो पाप देहधारियोंके हाड़ हाड़में वेध गया हो, वह ब्रह्मकूर्च पान करनेसे इस तरह भस्म हो जाता है, जैसे अग्निसे काष्ठसमूह। जल पीते समय यदि मुखसे जल निकलकर पीनेवाले जलमें गिर पड़े, तो जल पीने लायक नहीं रहता। उस जलको फिर पी लेनेसे चान्द्रायणव्रत करना होगा। कुएमें कुत्ता, स्यार वा मर्कट गिरते देखा जाय अथवा उसमें हड्डी वा चमड़ा गिर गया हो, तो उस अपवित्र जलको जो ब्राह्मण पीवे, वह निम्नलिखित विधानके अनुसार प्रायश्चित्त करे। यदि कुएमें नर, काक, विड़ाल, शूकर, गदहा, ऊंट, गौ, हस्ती, मयूर, गेंडा, बाघ, भालू वा सिंह,—इनमें किसीकी हड्डी वा कङ्काल गिर पड़े, तो उस कुएंका जल दूषित हो जायगा। उस कुएका जल पीनेसे निम्न-लिखित क्रमसे ब्राह्मणादि चारो वर्णोंको प्रायश्चित्त करना होगा। ब्राह्मण तीन रात उपवास करनेसे, क्षत्रिय दो रात, वैश्य एक दिन और शूद्र एक रात उपवास कर-नेसे शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्राह्मण पर-पाकनिवृत्त वा परपाकमें रत हों अथवा किसी अपच ब्राह्मणका अन्न खा लें, तो उनको चान्द्रायणव्रत करना होगा। अपच ब्राह्मणको दान देनेसे दानका यही फल होता है, कि दाता और प्रतिग्रहीता दोनो ही नरकगामी होते हैं। जो गृहस्थ अग्नि ग्रहणकर अग्निस्थापनके बाद पञ्चयज्ञ नहीं करते,—मुनि लोगोंने उसी व्यक्तिको परपाकनिवृत्त कहा है। जो व्यक्ति नित्य प्रातःकाल उठकर स्वयं पञ्च

यज्ञ करके दूसरेके अन्नसे अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, उसे "परपाकरत" कहते हैं। जो ब्राह्मण गृहधर्म्मसे रहित होकर भी दान करे, धर्म्मतत्त्वज्ञ ऋषिगण उसे "अपच" कहते हैं। प्रति युगके लिये जो युगधर्म्म निर्द्दिष्ट है, उसी धर्म्मके अनुसार जो ब्राह्मण चलते हैं, उनकी निन्दा नहीं करना चाहिये। क्योंकि ब्राह्मणगण ही युग-रूपसे इस जगत्में अवतार लेते हैं। यदि कोई ब्राह्मणको "हुङ्कार" करे अथवा माननीय श्रेष्ठ व्यक्तिको "तुम" कहके सम्बोधन करे, तो वह व्यक्ति स्नानकर दिनभर उनका अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करे। यदि कोई ब्राह्मणको तृणसे भी मार दे, उनके गलेमें वस्त्र दे दे वा वहसमें उनको हरा दे, तो प्रणामादिद्वारा उनको प्रसन्न करना होगा। यदि कोई ब्राह्मणपर लाठी उठावे, तो उसे एकरात्र उपवास करना पड़ेगा। भूमिपर पटके, तो त्रिरात्र उपवास और लाठीसे मारकर ब्राह्मणकी देहसे रुधिर निकाल दे, तो अतिकृच्छ्रव्रत करना होगा। और यदि भीतर ही चोटका रुधिर जम जाय, तो केवल कृच्छ्रव्रत करना होगा। पाणिपरिमित अन्न खाकर नौ दिन रह जानेको अतिकृच्छ्र व्रत और त्रिरात्र मात्र उपवास करनेको केवल कृच्छ्रव्रत कहते हैं। यदि सभी पाप एक साथ इकट्ठे हो गये हों, तो लाख गायत्री जप करनेसे पूर्णरूपसे सभी पापोंसे छुटकारा पाकर शुद्ध हो जाता है।

एकादश अध्याय समाप्त।

द्वादश अध्याय।

दुःस्वप्न देखने, वमन करने, क्षौर कराने, स्त्रीसम्भोग करने और श्मशानका चिताधूम देहमें लगनेके वाद स्नान करना होगा। यदि द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमेंसे कोई अज्ञानवश विष्टा, मूत्र अथवा सुरा पी ले, तो उसका फिर संस्कार करना पड़ेगा। द्विजगणके पुनः संस्कारकर्म्ममें मृगचर्म्म, मेखला, दण्ड, और भिक्षाटन इन व्रतोंको करना होगा। स्त्री और शूद्रकी शुद्धिके लिये प्राजापत्यव्रत विहित है। व्रत करनेके वाद स्नानके उपरान्त पञ्चगव्य वनाकर उसे पान करनेसे ही शुद्धि होती है। यदि नित्य स्नान-क्रियामें कोई वाधा पड़े, गृहस्थापित अग्नि वुझ जाय अथवा किसी दूसरे कारणसे अग्निकार्य्यमें कोई वाधा पड़ जाय वा परिव्रज्यामें विघ्न पड़े, तो इन तीनों प्रत्यवायसे जिस प्रकार शुद्धि होगी, उसे कहते हैं। उक्त दशामें क्षत्रिय वैश्य वा शूद्र, इन तीन वर्णोंको दो प्राजापत्य व्रत वा तीर्थपर्य्यटन अथवा ग्यारह वृष दान करना होगा। ऐसा करनेसे उनकी शुद्धि हो जायगी। अब ब्राह्मणोंके लिये व्यवस्था कही जाती है। वे वह में [illegible]

किसी चौराहेपर शिखासमेत शिर मुण्डन कराकर तीन प्राजापत्यव्रत करें और एक गौ और एक वृष दक्षिणा दें। स्वायम्भुव मनुने कहा है, कि ऐसा करनेसे ब्राह्मणगण उक्त पापसे मुक्त होकर फिर यथापूर्व ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। बुद्धिमान् लोगोंने पांच तरहके स्नान कहे हैं, यथा, आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। भस्मसे मार्जन करनेको आग्नेय, जलसे स्नान करनेको वारुण, "आपोहिष्ठा मयोभुव" इत्यादि मन्त्र उच्चारणकर मानसिक स्नान करनेको ब्राह्म; धूलि अङ्गमें लगाकर स्नान करनेको वायव्य और धूप रहते वर्षाके जलमें स्नान करनेको दिव्य स्नान कहते हैं। इस दिव्य स्नान करनेवालेको गङ्गास्नानका फल होता है। जब ब्राह्मणगण स्नान करनेके लिये चलते हैं, उस समय उनके पितृगण और देवगण तृषातुर होकर वायुरूपमें उनके साथ साथ चलते हैं। स्नानकर जब वे वस्त्र फींचकर गार लेते हैं, तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। इसलिये विना तर्पण किये कभी कपड़ेको गारना नहीं चाहिये। जो द्विज स्नानकर खड़े ही खड़े शिर भारते हैं अथवा जलके ऊपर आचमन करते हैं, पितृगण वा देवगण उनके दिये हुए जलको ग्रहण नहीं करते। शिरपर पगड़ी देकर, लाङ्ग खुली रखकर, शिखाबन्धन न कर और यज्ञोपवीत न रखकर द्विजगण आचमन करनेपर भी अपवित्र ही रहते हैं। स्थलपर रहकर जलमें और जलमें रहकर स्थलमें आचमन नहीं करना चाहिये। जलमें रहकर जल छीमें और स्थलपर रहकर स्थल छीमें आचमन करनेसे पवित्रता हो सकती है। स्नान, पान, छींक, शयन, भोजन, रास्ता चलने और कपड़ा बदलनेके पहले आचमन किया भी हो, तो फिर आचमन कर लेना चाहिये। छींकने, थूकने दांतसे जूठा होने, भूठ बोलने अथवा पतित व्यक्तिके साथ सम्भाषण करनेपर दाहिना कान छू लेना चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्य्य और वायु, ये सभी ब्राह्मणके दाहिने कानमें वास करते हैं। सूर्य्य किरणोंसे पवित्र दिवाभागमें ही स्नान करना प्रशस्त है। जिस समय राहुदर्शन अर्थात् ग्रहण हो, उससे भिन्न और समय रात्रिमें स्नान करना प्रशस्त नहीं है। मरुद्गण, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण और अन्यान्य आदि देवता सभी चन्द्र देवके अन्तर्गत हैं; इसलिये चन्द्रग्रहणमें स्नान करना चाहिये। खलयज्ञ, विवाह, संक्रान्ति और ग्रहण ऐसे ही कई एक समयमें रात्रिमें दान करना चाहिये। दूसरे समय रात्रिमें दान करना विहित नहीं है। पुत्रजन्ममें, यज्ञकालमें, स्वस्त्ययन वा राहुदर्शनमें ही रात्रिकालमें दान करना प्रशस्त है और समयमें रात्रिमें दान करना प्रशस्त नहीं है। रात्रिके द्वितीय और तृतीय प्रहरको महानिशा

कहते हैं। रात्रिके प्रथम और चतुर्थ प्रहरमें दिनकी तरह स्नान कर सकते हैं। चितिस्थित चैत्य वृक्ष, चाण्डाल और सोम विक्रय करनेवालेका स्पर्श करनेपर ब्राह्मण सवस्त्र जलमें स्नान करे। अस्थिसञ्चय करनेके पूर्व रोनेसे स्नान करना होगा। ब्राह्मणगणके दशाहके बीचमें रोनेसे स्नानके पहले उन्हें आचमन करना होगा। सूर्य्य जब राहुसे ग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय सभी जल गङ्गाजलके सदृश पवित्र हो जाते हैं। चन्द्रग्रहणके समय भी सभी जल पवित्र हो जाते हैं। ग्रहणकालमें सर्वत्र ही स्नानादि कार्य्य कर सकते हैं। कुशसे पवित्र किये हुए जलमें स्नान करने, कुश-जलसे आचमन करने एवं कुशजलका पान करनेसे ब्राह्मणगणको सोमरस पान करनेका फल होता है। जो ब्राह्मण अग्निकार्य्यसे भ्रष्ट अथवा सन्ध्योपासनाविहीन हो गये हों, वेदाध्ययन नहीं करते हों, उन ब्राह्मणोंको "वृषल" कहते हैं। वृषल होनेके डरसे ब्राह्मण वेद पढ़ें। यदि सम्पूर्ण वेद न पढ़ सकें, तो वेदका एक अंश भी उन्हें अवश्य पढ़ लेना चाहिये। शूद्रका अन्न खाने वा जल पानसे पुष्ट होकर ब्राह्मण यदि वेद भी पढ़ें वा जप और हवन करें तब भी उनकी सद्गति नहीं होती है। शूद्रका अन्न खाने, शूद्रके साथ संसर्ग रखने, शूद्रके साथ उठने बैठने और शूद्रसे ज्ञान प्राप्त करनेसे ब्राह्मणका अन्तः-करण ज्ञानाग्निसे यद्यपि प्रज्वलित हो, तथापि वे अधःपतित हैं, जिस ब्राह्मणका शरीर जननाशौच वा मरणाशौच युक्त शूद्रके अन्नसे परिपुष्ट हुआ है। वह ब्राह्मण किस किस नीच योनिमें जन्म पावेंगे, यह हम भी विशेष रूपसे नहीं जानते। वह ब्राह्मण १२ जन्म गिद्ध, १० जन्म शूकर और ७ जन्म कुत्ता होंगे, ऐसा मनुजी कहते हैं। यदि कोई ब्राह्मण दक्षिणा पाकर शूद्रके लिये होम करें, तो वे ब्राह्मण शूद्र होंगे और शूद्र ब्राह्मणत्व पावेगा। जो ब्राह्मण मौनव्रत धारण करें, वे किसी समय बैठकर बातचीत न करें। जो ब्राह्मण भोजन करनेके समय बोलें, उनको वह अन्न छोड़कर उठ जाना चाहिये। जो ब्राह्मण आधा भोजनकर भोजनपात्रमें जल पीते हैं, उनके दैवकर्म्म और पितृकर्म्म दोनो ही नष्ट हो जाते हैं और वे अपनेको भी अधोगतिको पहुंचाते हैं। तर्पणपात्र रहनेपर भी जो द्विजातीय तर्पण नहीं करते, उनसे देवता अप्रसन्न रहते और उनके पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। न्यायवान् और बुद्धिमान् गृहस्थ जब अपने पोष्यका पालन एवं धर्म्मार्थकी सिद्धिके लिये निरत रहें, उस समय भी सदा सर्व्वदा धर्म्म होका ख्याल रखेंगे। न्यायके अनुसार उपार्ज्जन कर सर्व्वदा ज्ञानरक्षा और ज्ञानोपार्ज्जन करना चाहिये, क्योंकि न्यायपथपर न

चलकर जो जीवन यापन करते हैं, वह सब धर्म्म कर्म्मसे बाहर होते हैं। अग्निचित्‌ब्राह्मण, कपिला गौ, यज्ञकारी, राजा, भिक्षुक और समुद्र, इन सबोंको देखतेही पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिये इनको देखनेकी चेष्टा सदा ही करना चाहिये। अरणी, काली बिल्ली, चन्दन, श्रेष्ठ मणि, घी, तिल, काला मृगचर्म्म और खसी इनको घरमें रखना चाहिये। सौ गाय और एक सांढ़ खुले हुए जिस खेतमें चर सकें, उस खेतसे दशगुना खेतको एक गोचर्म्म कहते हैं। यदि कोई मन, वचन वा किसी तरह कर्म्मसे ब्रह्महत्यादि महापातक करें, तो उक्त प्रमाणका एक गोचर्म्म दान करनेसे ही तुरन्त उक्त महापातकसे छुटकारा पा जाते हैं। बहुत कुटुम्ब वा परिवारवाले दरिद्र ब्राह्मणको विशेषतः श्रोत्रियको दान देनेसे दाताकी परमायु वृद्धि होती है। सोलह दिनके बीचमें यदि कोई स्त्री फिर रजस्वला हो जाय, तो वह स्नान कर शुद्ध हो जाती है, और यदि सोलह दिनके बाद रजस्वला हो, तो तीन रात अशौच रहता है,—ऐसा मनुजी और उशनाजी कहते हैं। चाण्डालीको स्पर्श करनेसे दो दिन, प्रसूतिको स्पर्श करनेसे चारदिन, रजस्वलाको स्पर्श करनेसे छः दिन और पतिताको स्पर्श करनेसे आठ दिन अशौच रहता है। इसीलिये इनके समीप जानेसे भी स्वतन्त्र स्नान करना होगा। यदि अज्ञानसे उनका स्पर्श कर ले, तो स्नानकर सूर्य्यकी ओर ताक देने हीसे पवित्र हो जायगा। यदि कोई ज्ञानहीन ब्राह्मण वापी, कूप, तड़ागमें मुखसे जल पीवे, तो निश्चय है, कि वे जन्मान्तरमें कुत्तेका जन्म पावेंगे। यदि कोई पुरुष क्रोध-वश होकर "अपनी स्त्रीके पास नहीं जाऊंगा, वह अगम्या है" ऐसी प्रतिज्ञा कर ले और फिर उसके पास जाना चाहे, तो उसे ब्राह्मणोंको अपनी इच्छा सुनाना होगी। यदि थकावट, क्रोध, अथवा तमोभावका आधिक्य हो जाने अथवा श्रम, भूख, प्यास, भयकी अधिकतासे अतिशय कातर होनेके कारण दानादि पुण्यकर्म्म न कर सके, तो उसे तीन दिन प्रायश्चित्त करना होगा। उसको महानदीके सङ्गमपर प्रतिदिन तीनवार स्नान करना होगा। इस भांति प्रायश्चित्त समाप्तकर दश ब्राह्मणोंको भोजन कराना और गोदान करना होगा। यदि कोई दुराचारी वा निषिद्धाचारी ब्राह्मणका अन्न खा ले, तो उसे एक दिन बिना खाये रहना होगा। जो ब्राह्मण सदाचारी और वेदान्तवादी हों, उनका अन्न एक दिन रात खानेसे मनुष्यगण पापसे मुक्त हो जाते हैं। ऊर्द्ध्वोच्छिष्ट वा अधोच्छिष्ट अवस्थामें, अन्तरिक्ष, शून्यपथमें जहां

मृत्तिकासे स्पर्श न हों, वहां मरे, तो ऐसे मनुष्यका मरणाशौच एवं तीन कृच्छ्रव्रत करना होगा। कृच्छ्रव्रत करनेके समय दश हजार गायत्री जप और तीन सौ प्राणायाम तथा बारहबार शीशें शिर होकर किसी पुण्य तीर्थमें स्नान करना होगा। अन्तमें दो योजनकी तीर्थयात्रा करना होगी इसीको कृच्छ्रव्रत कहते हैं। यदि कोई गृहस्थ कामवश होकर इच्छापूर्वक जमीनमें वीर्यपात करे, तो उसे हजार बार गायत्रीका जप और तीनबार प्राणायाम करना होगा। यदि कोई ब्रह्महत्याकारी प्रायश्चित्तकी व्यवस्थाके लिये चतुर्वेदी ब्राह्मणके पास जाय, तो वह चतुर्वेदी ब्राह्मण उसको सेतुबन्ध तीर्थ जानेकी व्यवस्था दें। वह प्रायश्चित्ती सेतुबन्ध तीर्थके रास्तेमें चारो वर्णके पास जाकर भिक्षा मांग सकता है। केवल कुकर्म्मी मनुष्यके समीप भिक्षा न मांगे, उस समय छाता और पादुका त्याग कर देना चाहिये। प्रायश्चित्तीको भिक्षा मांगनेके समय यों कहना होगा,—"मैंने भारी कुकर्म किया है। मैंने महापापकारी ब्रह्महत्या की है। इस समय भिक्षा लेनेके लिये आपके द्वारपर खड़ा हूं।" गोकुल, गांव, नगर, वन, तीर्थ, नदी और प्रस्रवणकी धारा, इन सब जगहोंमें पातकीको वास करना होगा, और जहां जहां वह ठहरेगा वहां वहां सर्व्वत्र ही अपने पापका वर्णन करता रहेगा। अन्तमें पवित्र समुद्रके समीप जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर "नल" वानरने दश योजन प्रशस्त और सौ योजन दीर्घ समुद्रमें जो सेतु बांधा है, उसका दर्शन कर ब्रह्महत्या पापसे छुटकारा पावेगा। यदि पृथिवीपति महाराज ब्रह्महत्या करें, तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। इसके बाद प्रथमोक्त व्यक्ति सेतुबन्ध दर्शनकर और महाराज यज्ञाश्वके साथ भ्रमणकर फिर अपने अपने घरको लौटें। घर आकर पुत्र और मित्रकी सहायता लेकर ब्रह्मभोज करावें और चतुर्वेदी ब्राह्मणको एकसौ गौ दान दें। इन ब्राह्मणोंके प्रसाद होसे ब्रह्महत्याकारी पापसे छुटकारा पाता है। यज्ञ वा व्रत करनेवाली स्त्रीकी हत्या करनेसे भी ब्रह्महत्या होके प्रायश्चित्तका नियम पालन करना होगा। जो ब्राह्मण मद्य पीते हैं उनको समुद्रगामिनी नदीमें जाकर चान्द्रायण व्रत करना होगा। व्रत समाप्त होनेपर ब्रह्मभोज कराना और वृष सहित गौदान करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मणका सोना चुरा ले उसके लिये प्रायश्चित्त यही है, कि वह अपने बधके लिये आप ही हाथमें मूसल लेकर राजाके पास जाय। यदि राजा उसे छोड़ दे, तो वह पापसे मुक्ति पा सकता है। यदि राजा समझे, कि जान बूझकर पापीने चोरी की है, तो राजा को उचित है, कि चोरके बधकी आज्ञा दें। जिस भांति जलके

ऊपर तैलविन्दु डालनेसे वह जलके ऊपर पसर जाता है उसी भांति एक साथ बैठने सोने, चलने, बातचीत करने और भोजन करनेसे एक आदमीका पाप दूसरेको लग जाता है। चान्द्रायण, यावक भोजन, तुलापुरुषव्रत और गौका अनुगमन करनेसे पापपुञ्ज दूर होता है। इन पांच सौ निन्यानवे श्लोकोंके पराशर भगवान्‌के शास्त्रमें धर्म्मशास्त्रका संग्रह किया गया है। जिसको स्वर्ग पानेकी इच्छा हो, उसका जैसे नित्य वेद पढ़ना परम कर्त्तव्य है, उसी भांति इस धर्म्मशास्त्रका भी यत्नपूर्व्वक अध्ययन करना कर्त्तव्य है।

द्वादश अध्याय समाप्त।

पराशरसंहिता समाप्त।